भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार

(राजस्व विभाग - सीमा शुल्क)

(अनुपालन लेखापरीक्षा)

2019 की संख्या 17

.....को लोक सभा तथा राज्य सभा के पटल पर प्रस्तुत

विषय-सूची

	अध्याय	पैरा सं.	पृष्ठ
प्राक्कथन			***i***
कार्यकारी सार			***iii***
शब्दावली			***xiii***
अवलोकन - सीमा शुल्क राजस्व	***I***	**1.1 से 1.12.2**	**1**
नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा अधिदेश और लेखापरीक्षा की सीमा	***II***	**2.1 से 2.7.1**	**13**
आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क (एडीडी) के उद्ग्रहण पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	***III***	**3.1 से 3.6**	**19**
सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और टैरिफ अधिसूचनाओं के प्रावधानों का अननुपालन	***IV***	**4.1 से 4.11**	**37**
विदेश व्यापार नीति की विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों का अननुपालन	***V***	**5.1 से 5.5**	**61**
सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (एसईईपीजेड), विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), प्राधिकरण द्वारा प्रमुख निर्माण कार्य प्रदान करने में अनियमितताएं	***VI***	**6.1 से 6.3**	**85**
अनुलग्नक			**93**

प्राक्कथन

मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए यह रिपोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग सीमा शुल्क तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन महानिदेशक विदेश व्यापार की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

सरकार ने व्यापक, कागज रहित, पूरी तरह से स्वचालित सीमा शुल्क निकास प्रणाली तैयार करने और इलेक्ट्रॉनिक डेटा के रूप में लेन-देन की जानकारी की उपलब्धता के लिए भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई सिस्टम (आईसीईएस) में महत्वपूर्ण निवेश किया है। यह लेखापरीक्षा को कुछ स्थानों पर लेन देन की नमूना लेखापरीक्षा की अपेक्षा सौ फीसदी डेटा की समीक्षा करने और सभी सीमा शुल्क आयुक्तों पर कर कानूनों के लागू करने की सटीकता पर सरकार और संसद को उच्च स्तरीय आश्वासन प्रदान करने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। पूर्ण डेटा की उपलब्धता लेन-देन की नमूना जांच के लिए सीमा शुल्क परिसर में लेखापरीक्षा की प्रत्यक्ष जांच की आवश्यकता को भी कम करती है। तथापि, चूंकि विभाग अखिल भारतीय लेन-देन के लिए पूर्ण और समय पर डेटा प्रदान करने में असमर्थ था, इसलिए 67 में से 38 सीमा शुल्क कमिश्नरियों में प्रत्यक्ष रूप से लेखापरीक्षा की गई थी।

इस रिपोर्ट में उल्लेखित वे दृष्टान्त हैं, जो 2017-18 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए और साथ ही जो पहले के वर्षों में ध्यान में आए थे, लेकिन पिछले लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दर्शाये नहीं जा सके थे। 2017-18 के बाद की अवधि से संबंधित दृष्टान्तों को भी, जहाँ भी आवश्यक हो, शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सार

भारत में सामान आयात किये जाने और भारत से बाहर कतिपय सामान के निर्यात किये जाने पर (संविधान की सांतवीं अनुसूची की सूची 1 की एंट्री 83) सीमा शुल्क उद्ग्रहित किया जाता है। सीमा शुल्क प्राप्तियां सरकार के अप्रत्यक्ष कर राजस्व का भाग होती हैं।

सीमा शुल्क की ड्यूटी सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत उद्ग्रहित की जाती हैं और ड्यूटी की दरें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं के अंतर्गत नियंत्रित की जाती हैं।

माल और सेवा कर (जीएसटी) के लागू किये जाने से पहले सीमा शुल्क प्राप्तियों में मूल सीमा शुल्क (बीसीडी), प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) और सीमा शुल्क की विशिष्ट अतिरिक्त ड्यूटी (एसएडी) शामिल होते थे। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी के लागू किये जाने के बाद, पैट्रोलियम उत्पादों और स्पिरिट को छोड़कर सभी वस्तुओं के आयात पर सीवीडी और एसएडी को सम्मिलित कर दिया गया है और इसके स्थान पर एकीकृत कर (आईजीएसटी) लागू कर दिया गया है।

वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत गठित दो सांविधिक बोर्ड नामत: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष संघीय कर के प्रशासन हेतु उत्तरदायी है।

पूरे देश में 67 सीमा शुल्क कमिश्नरियों द्वारा सीबीआईसी द्वारा सीमा शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण तथा सीमा-पार निवारक कार्य किये जाते हैं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन वाणिज्य विभाग विदेश व्यापार के महानिदेशक (डीजीएफटी) के माध्यम से विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) को प्रतिपादित, कार्यान्वित और मॉनीटर किया जाता है जो निर्यात और व्यापार बढ़ाने के लिए अनुपालन की जाने वाली नीति और कार्यनीति का आधारभूत प्रारूप प्रदान करती है।

2017-18 के दौरान, ₹ 19.57 लाख करोड़ मूल्य का निर्यात (74,67,821 लेन-देन) और ₹ 30.01 लाख करोड़ मूल्य का आयात (46,04,315 लेन-देन) किया गया। वि.व. 2017-18 के दौरान, जीडीपी अनुपात के प्रति सीमा शुल्क प्राप्तियां 0.76 *प्रतिशत* थी जबकि निवल कर प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां 6.7 *प्रतिशत* थीं। अप्रत्यक्ष करों की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां 14 *प्रतिशत* थीं।

सीमा शुल्क राजस्व की अनुपालना लेखापरीक्षा में सीमा शुल्क ड्यूटी का उद्ग्रहण और संग्रहण, सीमा शुल्क के अन्य कोई उद्ग्रहण, विदेश व्यापार नीति और समय-समय पर लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा किये गये विशिष्ट अनुपालना क्षेत्रों के अंतर्गत लागू की गई विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किये गये आयात और निर्यात के लेन-देन शामिल होते हैं। इस वर्ष की अनुपालना लेखापरीक्षा में एंटी-डंपिंग ड्यूटी के प्रशासन और संग्रहण की समीक्षा की गई थी। इस रिपोर्ट में कवर किये गये लेन-देन वित्तीय वर्ष 2018 से संबंधित है परन्तु कुछ मामलों में अवधि पूर्व लेन-देनों की समग्र स्थिति प्राप्त करने के लिए भी समीक्षा की गई है।

23 जोनों के अंतर्गत कुल 67 सीमा शुल्क कमिश्नरियों में से 38 को नमूना जांच के लिए चयनित कमिश्नरियों के नमूने में शामिल किया गया। हमने लेखापरीक्षा के लिए चयनित सीमा शुल्क कमिश्नरियों के अधीन कार्यरत 142 निर्धारण प्रभारों और 90 गैर-निर्धारण प्रभारों की लेखापरीक्षा की। लेखापरीक्षा कस्टम हाऊस सर्विस सेंटर या वेब आधारित आईसगेट द्वारा भारतीय सीमा शुल्क इडीआई प्रणाली (आईसीईएस) में इलैक्ट्रॉनिक रूप से फाईल किये गये बिल ऑफ एंट्री (बीई) और शिपिंग बिलों (एसबी) की जांच पर आधारित थी। गैर-ईडीआई कस्टम स्थानों पर, बीई और एसबी को मूर्त रूप से फाईल किया जाता है और निर्धारण किया जाता है। आईसीईएस स्वचालित चरणों की श्रृंखला द्वारा डेटा को प्रसंस्कृत करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम (आरएमएस) का प्रयोग करती है और इसके परिणामस्वरूप इलैक्ट्रानिक निर्धारण किया जाता है। यह निर्धारण सुनिश्चित करता है कि क्या बिल ऑफ एंट्री पर कार्यवाही की जाएगी अर्थात निर्धारण अधिकारी द्वारा मैन्यूल मूल्यांकन या माल की जांच या दोनों या शुल्क के भुगतान के बाद भेज दिया

जाए और बिना किसी निर्धारण और जांच के प्रत्यक्ष रूप से निकासी कर दी जाए। हमने आरएमएस और मैन्यूल मूल्यांकन प्रणाली दोनों द्वारा संसाधित बीई और एसबी की लेखापरीक्षा की।

एफटीपी की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाइसेंस फाईलों की नमूना जांच द्वारा डीजीएफटी के अधीन 37 क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों में विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत प्रदत्त प्रोत्साहन की लेखापरीक्षा की गई थी।

यह रिपोर्ट छः अध्यायों में बंटी हुई है। अध्याय । राजस्व विभाग और वाणिज्य विभाग के कार्यों का संक्षिप्त विवरण तथा सीमा शुल्क प्राप्तियों, व्यापार शेष, सीमा शुल्क पर कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव, सीमा शुल्क प्राप्तियों के बकाया और विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा के परिणामों के संबंध में उच्च स्तरीय सांख्यिकीय सूचना का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है। अध्याय ।। सीएजी का लेखापरीक्षा अधिदेश, कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा प्रयासों के परिणामों का वर्णन करता है। अध्याय ।।।, ।V, V और V। में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल किये गये हैं। इस रिपोर्ट में ₹ 4795 करोड़ के राजस्व महत्व के 92 पैराग्राफ हैं। ₹ 368 करोड़ के धन मूल्य सहित 79 पैराग्राफ में; कारण बताओ नोटिस जारी करने, कारण बताओ नोटिस पर निर्णय करने के रूप में विभाग/मंत्रालय द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की गई है और ₹ 18 करोड़ की वसूली अभी तक की जा चुकी है।

वाणिज्य विभाग और राजस्व विभाग से प्राप्त उत्तर को यथास्थान शामिल किया गया हैं।

अध्याय ।: विहंगावलोकन- सीमा शुल्क राजस्व

- 1 जुलाई 2017 को जीएसटी के लागू किये जाने के बाद, सीवीडी और एसएडी को सम्मिलित किया गया है और इसके स्थान पर एकीकृत कर (आईजीएसटी) को लागू किया गया है। एकीकृत कर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार उद्ग्रहित किये जाने वाले लागू बीसीडी के अतिरिक्त है। इसके अतिरिक्त, माल और सेवा कर (राज्यों की क्षतिपूर्ति) उपकर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत विशिष्ट विलासिता और डीमेरिट वस्तु पर भी जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर उद्ग्राहय है। शिक्षा उपकर के साथ-

साथ एंटी-डंपिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी का उद्ग्रहण परिवर्तित नहीं हुआ है।

{पैराग्राफ 1.4.1 और 1.4.2}

- 2016-17 में वसूल किए गए ₹ 2,25,000 करोड़ के सीमा शुल्क प्राप्ति के सापेक्ष 2017-18 के दौरान ₹ 1,29,030 करोड़ की ही वसूली की जा सकी। वि.व. 18 के दौरान सीमा शुल्क प्राप्तियों में कमी के कारणों में से एक कारण यह हो सकता है कि जीएसटी व्यवस्था में प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएडी) को आईजीएसटी में सम्मिलित किया गया है। इसलिए, सीमा शुल्क प्राप्तियों में मुख्यत: मूल सीमा शुल्क ड्यूटी शामिल है।

{पैराग्राफ 1.6}

- आयात में 16.44 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई थी जबकि उसी अवधि में ही निर्यात में 5.62 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई थी।

{पैराग्राफ 1.7}

अध्याय II: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा अधिदेश और लेखापरीक्षा की सीमा

- वि.व. 18 के दौरान, लेखापरीक्षा ने 2715 आपत्तियों और ₹ 1363 करोड़ के राजस्व निहितार्थ सहित संबंधित कमिश्नरियों/क्षेत्रीय लाइसैंसिंग प्राधिकरणों को 479 निरीक्षण रिपोर्ट जारी की। इन लेखापरीक्षा आपत्तियों में से वि.व. 18 के दौरान पाये गये ₹ 590 करोड़ के राजस्व निहितार्थ वाली 91 लेखापरीक्षा आपत्तियों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। शेष मामलों पर संबंधित क्षेत्रीय स्थापनाओं द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षाओं के दौरान लगातार देखी गई निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के लाइसेंस धारकों द्वारा निर्यात बाध्यताओं को पूरा न करने के संबंध में सतत अनियमितताओं के कारण ₹ 4205 करोड़ के धन मूल्य सहित एक बड़ा पैराग्राफ भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

{पैराग्राफ 2.6.1 और 2.6.2}

- इन वर्षों में, लेखापरीक्षा में निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं जैसे अग्रिम प्राधिकरण और ईपीसीजी के लाइसेंसधारकों द्वारा निर्दिष्ट निर्यात

बाध्यताएं पूरे न करने के सतत मामले पाये गये है। एकल समय अवधि के प्रयोग के रूप में, 22[1] आरएलए और 5 सीमा शुल्क कमिश्नरियों[2] के संबंध में वर्ष 2000 से 2017 के दौरान ऐसे सभी मामलों को समेकित किया गया था। अग्रिम प्राधिकरण और ईपीसीजी योजनाओं के अंतर्गत जारी किये गये 3000 लाइसेंस मामलों सहित 1043 पैरा में, ₹ 4,205 करोड़ के राजस्व निहितार्थ सहित निर्दिष्ट निर्यात उत्तरदायित्व को पूरा नहीं किया जाना पाया गया।

{पैराग्राफ 2.6.6 और 5.2}

अध्याय III: आयात पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी (एडीडी) का उद्ग्रहण

- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन वाणिज्य विभाग में क्रियाशील व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर), (पूर्वनाम एंटी-डंपिंग और संबद्ध ड्यूटी महानिदेशालय) द्वारा भारत में एंटी-डंपिंग उपाय प्रशासित किये जाते हैं और उस की अध्यक्षता "नामित प्राधिकारी" द्वारा की जाती है, इस मामले में महानिदेशक इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। नामित प्राधिकारी का कार्य एंटी-डंपिंग ड्यूटी की जांच करना और एंटी-डंपिंग उपाय लागू करने के लिए सरकार को अनुशंसा करना है। ऐसे शुल्क अंतत: वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना द्वारा लागू/उद्ग्रहित किये जाते हैं। इस प्रकार, यद्यपि वाणिज्य विभाग एंटी-डंपिंग ड्यूटी (एडीडी) की अनुशंसा करता है; परंतु वित्त मंत्रालय ऐसे ड्यूटी का उद्ग्रहण करता है।
- वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान, आयातों पर ₹ 3,169 करोड़ का एडीडी संग्रहित किया गया था।
- लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईसीईएस में सीमा शुल्क जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) आधारित मंजूरी के अंतर्गत प्रणाली के द्वारा एंट्री आयात बिलों को मंजूरी दी गई थी। नमूना जांच में यह भी पाया गया था

[1]आरएलए: वड़ोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, बेंगलुरु, पानीपत, अमृतसर, चेन्नई, त्रिची, कोयंबटूर, पुदुचेरी, मदुरै, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, कटक, कोलकाता, वाराणसी, मुरादाबाद, देहरादून, कानपुर, मुंबई, सूरत और पुणे।

[2]सीमा शुल्क कमिश्नरी सी एच सिक्का, आईसीडी बेंगलुरु, एसीसी बेंगलुरु, चेन्नई समुद्र और सीमा शुल्क (पी) नौतनवास

कि काफी एंट्री बिलों के अंतर्गत प्रभावित आयातों में, आरएमएस, एडीडी की विशिष्ट परिस्थितियों को जानने में असमर्थ था।

- उद्ग्रहण से बचने की और एंटी-डंपिंग शर्तों की अननुपालना की कई घटनाऐं देखी गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 86.69 करोड़ की एंटी-डंपिंग ड्यूटी राशि का गैर/कम उद्ग्रहण किया गया था। विभाग ने ₹ 53 करोड़ की राशि की आपत्तियां स्वीकृत की और ₹ 1.20 करोड़ की वसूली की सूचना दी।

{पैराग्राफ 3.1 से 3.6}

अध्याय IV: सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और टैरिफ अधिसूचनाओं के प्रावधानों का अननुपालन

- वर्ष 2017-18 के लिए आयात और निर्यात लेन-देनों के डेटा सीबीआईसी से काफी विलम्ब के बाद प्राप्त हुये थे और वह भी काफी अंतर तथा त्रुटियों के साथ प्राप्त हुआ था। पूर्ण डेटा के अभाव में, अनुपालन लेखापरीक्षा पर इस अध्याय के निष्कर्ष इस क्षेत्र में किये गये सीमित लेखापरीक्षाओं के आधार पर थे। तथापि, नमूना लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्रणालीगत त्रुटियों की ओर इंगित करते हैं जिन्हें विभाग द्वारा दूर की जाने की जरूरत है।
- 2017-18 के दौरान, कुल 46.04 लाख बीई तथा 74.68 लाख शिपिंग बिल (एसबी) सृजित किये गये थे जिसमें से लेखापरीक्षा ने 4.04 लाख बीई और 1.62 लाख एसबी के नमूने का चयन किया। सीमा शुल्क कमिश्नरी में आयात/निर्यात दस्तावेजों की नमूना जांच के दौरान पाई गई ₹ 10 लाख या अधिक के राजस्व निहितार्थ की महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों की सूचना इस रिपोर्ट में दी गई थी। जहां भी संभव हुआ, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2017-18 के लिए सीबीआईसी से प्राप्त आयात डेटा का उपयोग करके समान लेन-देनों की कुल संख्या प्राप्त करते हुए राजस्व के संभावित जोखिम को आंकने का प्रयास किया।

  लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये अननुपालना के मामलों को वृहद रूप से इस प्रकार से श्रेणीबद्ध किया गया है:

I. सामान्य छूट अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग

II. आयातों का गलत वर्गीकरण

III. लागू उद्ग्रहणों और अन्य प्रभारों का गलत उद्ग्रहण

- लेखापरीक्षा में आयातित माल के गलत वर्गीकरण, सामान्य छूट का गलत लागू करना और लागू उद्ग्रहण और अन्य प्रभारों के गलत उद्ग्रहण के कारण लागू सीमा शुल्कों के निर्धारणों के अंतर्गत 49 मामले पाये गये थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 88.42 करोड़ का राजस्व जोखिमपूर्ण था।

{पैराग्राफ 4.1 से 4.11}

अध्याय V: विदेश व्यापार नीति की विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों का अननुपालन

निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) योजना को पूर्ण करने में खामियां

- लेखापरीक्षा सिफारिशों पर सरकार के आश्वासनों के बावजूद, ईपीसीजी लाइसेंसों के नियंत्रण और निगरानी तंत्र में कोई अधिक सुधार नहीं थे। निर्यात बाध्यता पूरे न किये जाने, ईपीसीजी लाइसेंस को अनियमित रूप से जारी करने, चूककर्ताओं पर कोई कार्रवाई न करने/कार्रवाई विलम्ब से करने, निर्यात बाध्यता का गलत निर्धारण, प्राधिकरण का अनियमित शोधन आदि जैसे मामले चयनित नमूनों में काफी अधिक संख्या में योजना को प्रभावित करते रहे। निर्यातकों/आयातकों जिन्होंने ईपीसीजी योजना के लाभ प्राप्त किये थे परंतु निर्दिष्ट निर्यात बाध्यता/शर्तें पूरी नहीं की थी, से ₹ 306 करोड़ का राजस्व बकाया था।

{पैराग्राफ 5.3 से 5.5}

अन्य निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं

- इसके अतिरिक्त, विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत जारी किये गये लाईसेंसों के 39 मामलों में, नमूना जांच में घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निर्यात बाध्यता के निर्धारण, प्रतिबंधित माल की निकासी में अनियमिततायें पाई गई, जिसके परिणामस्वरूप शुल्क छूट/प्रेषण योजनाओं आदि के लाभ प्राप्त हुये। शुल्क छूट योजनाओं के लाभ प्राप्त करने वाले परंतु निर्दिष्ट बाध्यता/शर्तें पूरी

न करने वाले निर्यातकों/आयातकों से ₹ 40.51 करोड़ का राजस्व बकाया था।

{पैराग्राफ 5.4.1 से 5.4.5}

अध्याय VI: सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (एसईईपीजेड), विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), प्राधिकरण द्वारा प्रमुख निर्माण कार्यों को प्रदान करने में अनियमितताएं

- जिस प्रकार से मुख्य निर्माणकार्य; मरम्मत और अनुरक्षण कार्य के लिए प्राधिकरण द्वारा बाह्य एजेंसियों को आऊट सोर्स किया जा रहा है, वह लेखापरीक्षा द्वारा इंगित कमजोर प्रशासनिक, वित्तीय और आंतरिक नियंत्रणों का द्योतक हैं। इसमें ₹ 67.91 करोड़ का व्यय शामिल है।

{पैराग्राफ 6.2.1}

- अनुमोदन के बिना अतिरिक्त कार्य आदेश जारी करने और सांविधिक प्राधिकरणों से आवश्यक मंजूरियों के अभाव के कारण इकाईयों के निर्धारण के निरस्तीकरण के मामले एसईईपीजैड प्राधिकरण की कार्यप्रणाली की कमी है और उच्चतम स्तर से इन्हें दूर किये जाने की आवश्यकता है।

{पैराग्राफ 6.2.2 से 6.2.4}

सामान्य सिफारिशें

यद्यपि, कई मामलों में शुल्क वसूली के लिए मंत्रालय ने सुधारात्मक कार्रवाई की है, यह भी इंगित किया जा सकता है कि इस रिपोर्ट में लेखापरीक्षा पैराग्राफ केवल कुछ निदर्शी मामले हैं। यह पूरी-पूरी संभावना है कि आरएमएस आधारित निर्धारण या मैन्यूल निर्धारणों में भूल-चूक की ऐसी त्रुटियों के कई और मामले भी हो सकते हैं। जहां भी संभव हुआ, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2017-18 के लिए सीबीआईसी से प्राप्त आयात डेटा का प्रयोग करते हुए समान लेन-देनों के समस्त आंकड़ों को प्राप्त करके राजस्व के संभावित जोखिम का आंकलन करने के प्रयास किये हैं। विभाग द्वारा इसकी जांच किये जाने की आवश्यकता है।

यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि नमूना जांच में लेखापरीक्षा द्वारा जांच किये गये बीई की काफी बड़ी संख्या को आरएमएस द्वारा निर्धारित किया गया था जिसने दर्शाया कि प्रणाली आधारित निर्धारणों को सुगम बनाने के लिए आरएमएस में तय किये गये निर्धारण नियम अपर्याप्त थे।

आरएमएस में जोखिम मानदंडों की मैपिंग और अद्यतन की प्रक्रिया की भी समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है।

शब्दावली

संक्षिप्ति करण	विस्तारित रूप
एए	अग्रिम प्राधिकरण
एईओ	औसत निर्यात बाध्यता
एआरओ	अग्रिम जारी करने का आदेश
एडीडी	एंटी-डंपिंग ड्यूटी
बीसीडी	मूल सीमा शुल्क
बीई	एंट्री ऑफ बिल
सीटीएच	सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक
सीबीआईसी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
सीबीडीटी	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीईसीए	व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते
सीईटीएच	सेंट्रल एक्साइज टैरिफ हैडिंग
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यि की संगठन
सी.आई.एफ	लागत बीमा भाड़ा
कमिश्नरी	सीमा शुल्क कमिश्नरी
सीवीडी	प्रतिकारी शुल्क
डीएमए	आपदा प्रबंधन सलाहकार
डीओआर	राजस्व विभाग
डीओसी	वाणिज्य विभाग
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशक
डीसी	विकासआयुक्त
डीजीएडी	एंटी डंपिंग महानिदेशक
डीजीसीआईएस	वाणिज्यिक जांच और सांख्यिकी महानिदेशक
डीजीटीआर	व्यापार उपचार महानिदेशालय
डीजीओवी	मूल्यांकन महानिदेशालय
डीटीए	घरेलू टैरिफ क्षेत्र
डीईपीबी	ड्यूटी हकदारी पास बुक
डीईईसी	शुल्क छूट हकदारी प्रमाण पत्र
डीएफआरसी	शुल्क मुक्त प्रतिकृति प्रमाण पत्र
ईडीआई	इलेक्ट्रॉनिक सूचना का आदान प्रदान
ईओ	निर्यात दायित्व
ईओडीसी	निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाण पत्र
ईओयू	निर्यातोन्मुख इकाई

संक्षिप्ति करण	विस्तारित रूप
ईपी	निर्यात निष्पादन
ईपीसीजी	एक्सपोर्टप्र मोशन कैपिटल गुड्स
ईपीज़ेड	निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र
ईएक्सआईएम	निर्यात और आयात
एफवाई	वित्तीय वर्ष
एफओबी	फ्री ऑन बोर्ड
एफओआर	फ्री ऑन रोड़
एफटीपी	विदेश व्यापार नीति
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीएफआर	सामान्य वित्तीय नियम
जीएसटी	माल और सेवा कर
एचबीपी	क्रिया विधि पुस्तिका
एचएसएन	नामावली की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली
आईसीटी	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईसीईजीएटी	इंडियन कस्टमस इलैक्ट्रॉनिक कॉमर्स गेटवे
आईईसी	आयातक निर्यातक कोड
आईसीईएस	भारतीय सीमा शुल्क इलैक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज प्रणाली
आईसीडी	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो
आईटीसी (एचएस)	अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ वर्गीकरण (हार्मोनाइज्डसिस्टम)
जेडीजीएफटी	विदेश व्यापार के संयुक्त महानिदेशक
एलओपी	अनुमति पत्र
एलआरएम	स्थानीय जोखिम प्रबंधन
एमईआईएस	मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम
एनएफसीडी	राष्ट्रीय सहकारी निर्माण और विकास महासंघ
ओसी	कब्जा प्रमाण पत्र
ओएसपीसीए	साईट पर पश्च निर्गत लेखापरीक्षा
पीएसी	लोक लेखा समिति
प्री. सीसीए	प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
पीडब्ल्यूओ	लोक निर्माण संगठन
आरसीएमसी	पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र
आरएलए	क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी
आरएमएस	जोखिम प्रबंधन प्रणाली

संक्षिप्ति करण	विस्तारित रूप
₹	रुपये
एसएडी	विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क
एसईआईएस	भारत से सेवा निर्यात योजना
एसईज़ेड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसएफआईएस	भारत योजना से सेवा प्राप्त
एसटीपी	सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
एसआईओएन	मानक इनपुट आउट पुट मानदंड
यूएसी	इकाई अनुमोदन समिति
वीकेजीयूवाई	विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना

अध्याय ।

सीमा शुल्क राजस्व

1.1. सीमा शुल्क की प्रकृति

1.1.1 भारत में माल के आयात किये जाने और भारत से बाहर कतिपय माल के निर्यात किये जाने पर (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की एंट्री 83) सीमा शुल्क उद्ग्रहित किया जाता है। सीमा शुल्क प्राप्तियां सरकार के अप्रत्यक्ष कर राजस्व का भाग होती हैं।

1.1.2 सीमा शुल्क की ड्यूटी सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत उद्ग्रहित की जाती हैं और ड्यूटी की दरें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं के अंतर्गत नियंत्रित की जाती हैं।

1.2. सीमा शुल्क राजस्व आधार

1.2.1 डीजीएफटी द्वारा आईईसी के साथ जारी किये गये आयातक और निर्यातक सीमा शुल्क राजस्व आधार में शामिल होते हैं। मार्च 2017 तक 2,65,285 सक्रिय आईईसी[3] थे। 2017-18 के दौरान ₹ 19.57 लाख करोड़ मूल्य के निर्यात (74,67,821 लेन-देन) और ₹ 30.01 लाख करोड़ मूल्य के आयात (46,04,315 लेन-देन) किये गये।

1.3. प्रशासनिक विभागों का गठन और कार्य

1.3.1 वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग (डीओआर), केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत गठित दो सांविधिक बोर्ड नामत: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघीय करों के प्रशासन केलिए उत्तरदायी भारत सरकार का सर्वोच्च विभाग है।

1.3.2 पूरे देश में प्रधान कमिश्नर/कमिश्नर की अध्यक्षता वाली 23 जोनों द्वारा सीबीआईसी द्वारा सीमा शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण तथा सीमा-पार निवारक कार्य किये जाते हैं।

[3]प्रत्येक आयातक/निर्यातक को आईईसी, डीजीएफटी, दिल्ली द्वारा जारी किया जाताहै।

1.3.3 विदेश व्यापार के महानिदेशक (डीजीएफटी) द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (एमओआईसी) के अधीन वाणिज्य विभाग (डीओसी) विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) जो निर्यात और व्यापार बढ़ाने के लिए अनुपालन की जाने वाली नीति और कार्यनीति को आधारभूत प्रारूप प्रदान करती है, उन्हें प्रतिपादित, कार्यान्वित और मॉनीटर करता है। इसके अतिरिक्त, विभाग को बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंध, विशिष्ट आर्थिक जोन (सेज़), राज्य व्यापार, निर्यात प्रोत्साहन और व्यापार सरलीकरण और विकास और कतिपय निर्यात उन्मुख उद्योग और सामग्री के विकास औरविनियमन के संबंध में उत्तरदायित्व भी सौंपे गये है।

1.3.4 एफटीपी को निर्यात प्रोत्साहन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आईईसी प्रदान करने और लाइसेंस देने के लिए उत्तरदायी क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों (आरएलए) द्वारा लागू किया जाता है। 2017-18 के दौरान पूरे भारत में 38 आरएलए थे।

1.4. सीमा शुल्क प्राप्तियां

1.4.1 माल और सेवा कर (जीएसटी) के लागू किये जाने से पहले सीमा शुल्क प्राप्तियों में मूलभूत सीमा शुल्क ड्यूटी (बीसीडी), प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क ड्यूटी (एसएडी) शामिल होते थे। शिक्षा उप कर और एंटी-डंपिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी, जहां पर पिछले दोनों लागू थे, सहित आयात पर अन्य उद्ग्रहण शामिल थे।

1.4.2 1 जुलाई 2017 से लागू जीएसटी के उपरांत, पैट्रोलियम उत्पादों और एल्कोहल को छोड़कर सभी वस्तुओं के आयात पर सीवीडी और एसएडी को सम्मिलित कर दिया गया है और इसके स्थान पर एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) कर लागू कर दिया गया है। एकीकृत कर लागू बीसीडी के अतिरिक्त है जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार उद्ग्रहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) उपकर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत कतिपय ऐश्वर्यपूर्ण तथा निषेध माल पर भी उद्ग्राह्य होता है। शिक्षा उपकर सहित एंटी-डंपिंग ड्यूटी और सेफ गार्ड ड्यूटी का उद्ग्रहण भी अपरिवर्तित रहा।

1.5. बजट अनुमान और वास्तविक प्राप्तियां

1.5.1 संघ सरकार का राजस्व बजट सरकार के कर और गैर कर राजस्व का बजट अनुमान प्रदान करता है। बजट अनुमान के साथ वास्तविक प्राप्तियों की तुलना राजकोषीय प्रबंधन की गुणवत्ता का संकेतक है। वास्तविक प्राप्तियां या तो अप्रत्याशित घटनाओं या अवास्तविक अनुमानों के कारण अनुमानों से भिन्न हो सकती हैं।

1.5.2 वि.व. 2013-14 से वि.व. 2017-18 के दौरान बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक सीमा शुल्क प्राप्तियां नीचे तालिका 1.1 में दी गई हैं:

तालिका 1.1: बजट और संशोधित अनुमान, वास्तविक प्राप्तियां **₹ करोड़**

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	वास्तविक और बीई में अंतर	वास्तविक और बीई के बीच *प्रतिशत* भिन्नता	वास्तविक और आरई के बीच *प्रतिशत* भिन्नता
वि.व.14	1,87,308	1,75,056	1,72,085	(-)15,223	(-)8.13	(-)1.73
वि.व.15	2,01,819	1,88,713	1,88,016	(-)13,803	(-)6.84	(-)0.37
वि.व.16	2,08,336	2,09,500	2,10,338	(+)2,002	(+)0.96	(+)0.40
वि.व.17	2,30,000	2,17,000	2,25,370	(-)4,630	(-)2.01	(+)3.85
वि.व.18	2,45,000	1,35,242	1,29,030	(-) 1,15,970	(-)47.33	(-) 4.59

स्रोत: संबंधित वर्ष हेतु संघीय बजट और वित्त लेखे

1.5.3 वि.व. 2013-14 से वि.व. 2016-17 के दौरान आरई और वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता (-) 1.73 *प्रतिशत* से 3.85 *प्रतिशत* के बीच थी। उक्त अवधि के दौरान ही बीई और वास्तविक के बीच भिन्नता काफी अधिक थी।

1.5.4 वि.व. 2017-18 के दौरान बीई ₹ 2,45,000 करोड़ तक नियंत्रित था। जीएसटी के लागू करने के बाद, 2017-18 के दौरान सीमा शुल्क प्राप्तियों के लिए संशोधित अनुमान ₹ 1,35,242 करोड़ पर निर्धारित किये गये थे। वसूल किया गया राजस्व ₹ 1,29,030 करोड़ था। वि.व. 2017-18 के दौरान सीमा शुल्क प्राप्तियों में कमी के कारणों में से एक कारण यह माना जा सकता है कि

जीएसटी व्यवस्था में सीवीडी और एसएडी को आईजीएसटी में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार, सीमा शुल्क प्राप्तियां मुख्यत: बीसीडी का भाग हैं।

1.6 सीमा शुल्क प्राप्तियों की वृद्धि

1.6.1 सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), सकल कर राजस्व प्राप्तियां (जीटीआर) और सकल अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों के संदर्भ में सीमा शुल्क प्राप्तियों की परस्पर वृद्धि को तालिका 1.2 में नीचे दर्शाया गया है

तालिका 1.2: सीमा शुल्क प्राप्तियों की वृद्धि **₹ करोड़**

वर्ष	सीमा शुल्क प्राप्तियां	वृद्धि *प्रतिशत* वर्ष दर वर्ष	जीडीपी	जीडीपी के % के रूप में सीमा शुल्क प्राप्ति	सकल कर राजस्व	सकल कर के%के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां	सकल अप्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष कर के % के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां
वि.व.14	1,72,085	4	1,13,45,056	1.52	11,38,996	15.10	4,97,349	34.60
वि.व.15	1,88,016	9	1,25,41,208	1.50	12,45,135	15.10	5,46,214	34.42
वि.व.16	2,10,338	12	1,35,76,086	1.55	14,55,891	14.45	7,10,101	29.62
वि.व.17	2,25,370	7	1,51,83,709	1.48	17,15,968	13.13	8,62,151	26.14
वि.व.18	1,29,030	(-)43	1,67,73,145	0.76	19,19,183	6.72	9,16,445	14.07

1.6.2 वि.व. 2013-14 से वि.व. 2015-16 तक पहले तीन वर्षों में वर्ष दर वर्ष आधार पर सीमा शुल्क प्राप्ति वृद्धि दर बढ़ी परंतु विगत वर्ष में 12 *प्रतिशत* की तुलना में 2017-18 में 7 *प्रतिशत* तक घट गई। **वि.व. 2017-18 में सीमा शुल्क प्राप्तियां पूर्ववर्ती वर्षों के साथ तुलना योग्य नहीं है क्योंकि इसमें पूर्व वर्षों की तुलना में, जब सीवीडी और एसएडी सीमा शुल्क प्राप्तियों का भाग थी; 1 जुलाई 2017 से केवल मूल सीमा शुल्क शामिल होता है।**

1.6.3 वि.व. 2013-14 से वि.व. 2016-17 के दौरान, जीडीपी की सीमा शुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता 1.52 से 1.48 *प्रतिशत* के बीच स्थिर रही। जीटीआर की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां वि.व. 2013-14 में 15 *प्रतिशत* की तुलना में वि.व. 2016-17 में 13 *प्रतिशत* थी। कुल अप्रत्यक्ष करों की

प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां वि.व 2013-14 में 35 *प्रतिशत* से वि.व. 2017-18 में 26 *प्रतिशत* तक स्थाई रूप से घट गई है।

1.6.4 वि.व. 2017-18 के दौरान, जीडीपी प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियों का अनुपात एक *प्रतिशत* (0.76 *प्रतिशत*) से कम थी जबकि सकल कर प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां 6.7 *प्रतिशत* थी। अप्रत्यक्ष कर की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां 14 *प्रतिशत* थी।

1.7 भारत के आयात और निर्यात

1.7.1 वि.व. 2013-14 से वि.व. 2017-18 के दौरान भारत के आयात और निर्यात की वृद्धि की प्रवृति को तालिका 1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3: भारत के आयात और निर्यात

वर्ष	आयात	विगत वर्ष में वृद्धि % में	निर्यात	विगत वर्ष में वृद्धि % में	व्यापार असंतुलन ₹ करोड़
वि.व.14	27,15,434	-	19,05,011	-	-8,10,423
वि.व.15	27,37,087	0.79	18,96,348	(-) 0.45	-8,40,739
वि.व.16	24,90,298	(-) 9.00	17,16,378	(-) 9.49	-7,73,920
वि.व.17	25,77,422	3.49	18,52,340	7.92	-7,25,082
वि.व.18	30,01,033	16.44	19,56,515	5.62	-10,44,518

स्रोत: एक्सिम डाटा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

1.7.2 वि.व. 2015-16 के दौरान (-) 9 *प्रतिशत* की नकारात्मक वृद्धि वहन करने के बाद वि.व. 2016-17 और वि.व. 2017-18 के दौरान वर्ष दर वर्ष आयातों की वृद्धि दर बढ़ी। आयात में भी वि.व. 2015-16 में (-) 9.5 *प्रतिशत* से वि.व. 2016-17 में 8 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। 2016-17 की अपेक्षा 2017-18 में आयात में 16.44 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई जबकि उसी समयावधि के दौरान निर्यात में 5.62 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

1.7.3 भारत के आयात का मूल्य वि.व. 2016-17 में ₹ 25.77 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व. 2017-18 के दौरान ₹ 30.01 लाख करोड़ तक हो गया, जबकि निर्यात वि.व. 2016-17 में ₹ 18.52 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व. 2017-18 में ₹ 19.56 लाख करोड़ तक हो गया था।

1.8 वि.व. 2017-18 के दौरान मुख्य आयात और निर्यात

1.8.1 वि.व. 2017-18 में आयात की वृद्धि मुख्य पांच सामग्री समूह नामत: (i) खनिज ईंधन, खनिज तेल और उनके आसवन के उत्पादों (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 27) (ii) प्राकृतिक या कृत्रिम मोती, महंगे या कम महंगे स्टोन (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 71) (iii) इलैक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण तथा उनके भाग, साउंड रिकॉर्डर और रिप्रोड्यूसर, टेलीविजन इमेज और साऊंड रिकॉर्डर और भाग (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 85) (iv) न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी और यांत्रिकी उपकरण, उनके भाग (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 84) और (v) जैविक रसायन (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 29) के कारण थी। ये सामग्रियां वि.व. 18 के दौरान किये गये कुल आयातों का 67 *प्रतिशत* भाग थी।

1.8.2 वि.व. 18 के दौरान मुख्य पांच निर्यात सामग्रियां (i) प्राकृतिक या कृत्रिम मोती और महंगे स्टोन, महंगी धातु और इनके सामान (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 71) (ii) खनिज ईंधन और खनिज तेल (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 27) (iii) मशीनरी और यांत्रिकी उपकरण, उनके भाग (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 84) (iv) रेलवे के अतिरिक्त वाहन और इनके भाग और सहायक भाग (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 87) और (v) जैविक रसायन (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 29); इनके संबंधित क्रम में निर्यात किये गये।

वि.व. 18 के दौरान आयातित पांच मुख्य सामग्रियों का भाग किये गये कुल निर्यात का 43 *प्रतिशत* था।

1.9 वि.व. 2013-14 से वि.व. 2017-18 के दौरान सीमा शुल्क प्राप्तियों के संग्रहण की लागत

1.9.1 संग्रहण की लागत सीमा शुल्क के संग्रहण पर की गई लागत है और इसमें आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्यों, निवारक कार्यों, आरक्षित निधि/जमा लेखे के हस्तांतरण और अन्य व्यय शामिल होते हैं।

1.9.2 सीबीआईसी ने सूचित किया कि 2017-18 के लिए सीमा शुल्क प्राप्तियों के संग्रहण की लागत सीमा शुल्क प्राप्तियों का 3.05 *प्रतिशत* था।

2014-15 से 2017-18 की अवधि हेतु सीमा शुल्क प्राप्तियों के संग्रहण की लागत नीचे (तालिका 1.4) में दर्शाया गयी है।

तालिका 1.4: वि.व. 14 से वि.व.18 के दौरान संग्रहण की लागत₹करोड़

वर्ष	राजस्व एवं आयात/निर्यात और व्यापार नियंत्रण कार्य पर व्यय	निवारक और अन्य कार्यों पर व्यय	रिज़र्व फंड, जमा लेखे और अन्य व्यय का हस्तांतरण	कुल	सीमा शुल्क प्राप्तियां	सीमा शुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में संग्रहण की लागत
वि.व.14	333	1,804	5	2,142	1,72,085	1.25
वि.व.15	382	2,094	20	2,496	1,88,016	1.33
वि.व.16	412	2,351	36	2,799	2,10,338	1.33
वि.व.17	544	2,771	7	3,322	2,25,370	1.47
वि.व.18	640	3262	39	3,941	1,29,030	3.05

स्रोत: संबंधित वर्षों हेतु संघ सरकार के वित्त लेखे

1.9.3 सीमा शुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त, संग्रहण की लागत 1.25 *प्रतिशत* (वि.व.14) से 3.05 *प्रतिशत* (वि.व.18) के बीच थी।

1.10 सीमा शुल्क का बकाया

1.10.1 बकाया की वसूली का एकमात्र उत्तरदायित्व क्षेत्राधिकारिक कमिश्नर का होता है। उनके द्वारा कमिश्नरियों में कार्य कर रही वसूली कक्ष के कार्यों की समीक्षा और निगरानी किया जाना अपेक्षित है। वित्त मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 15.12.1997 के अनुसार, एक "वसूली कक्ष (आरसी)" सरकारी बकाया की वसूली करने के उद्देश्य हेतु प्रत्येक सीमा शुल्क कमिश्नरी में गठित किया जाना चाहिए। मुख्य कमिश्नर {सीसी (टीएआर)} द्वारा प्रत्येक कमिश्नरी के लिए प्रत्येक वर्ष वसूली लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। अगस्त 2015 से सीसी (टीएआर) के कार्य और उत्तरदायित्व, महानिदेशालय, निष्पादन प्रबंधन (डीजीपीएम) को हस्तांतरित कर दिये गये हैं।

1.10.2 सीमा शुल्क के बकाया वे शुल्क हैं जिन्हें विभाग द्वारा प्राप्त किया गया है परन्तु विभिन्न कारणों जैसे अधिनिर्णयन, विवादास्पद दावे, कम उद्ग्रहण, अनन्तिम निर्धारण आदि के कारण 31 मार्च 2018 तक ₹ 24,685 करोड़ की राशि की वसूली नहीं की गई हैं।

1.10.3 2014-15 से 2017-18 के लिए सीमा शुल्क राजस्व बकाया नीचे तालिका 1.5 में दर्शाये गये हैं:

तालिका 1.5: सीमा शुल्क के बकाया

वर्ष	विवाद के अधीन सीमा शुल्क के बकाया (₹ करोड़ में)	गैर-विवादित सीमा शुल्क के बकाया (₹ करोड़ में)	कुल (₹ करोड़ में)	कुल बकाया के विवादास्पद बकाया की प्रतिशतता
2014-15	14597	6210	20807	70.15
2015-16	12300	12322	24622	49.95
2016-17	21780	4700	26480	82.25
2017-18	18836	5849	24685	76.31

स्रोत: डीजी निष्पादन प्रबंधन (टीएआर), सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाएं

1.10.4 वि.व. 2014-15 से वि.व. 2016-17 के दौरान सीमा शुल्क ड्यूटी के बकाया लगातार बढ़ रहे हैं। तथापि, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बकाया लगभग ₹ 2000 करोड़ तक कम हो गये। वि.व. 2014-15 की तुलना में वि.व. 2017-18 में सीमा शुल्क में समग्र बकाया 18.63 *प्रतिशत* तक बढ़ गये हैं।

1.10.5 कुल बकाया का एक भाग के रूप में विवाद के अधीन बकाया राशि वि.व. 2015-16 में 49.95 *प्रतिशत* से बढ़कर वि.व. 2016-17 में 82.25 *प्रतिशत* तक हो गई और वि.व. 2017-18 में 76 *प्रतिशत* तक कम हो गई और ₹ 1,88,386 करोड़ थी। 2014-15 से 2017-18 में गैर-विवादास्पद श्रेणी के अधीन बकाया 5.81 *प्रतिशत* तक कम हो गया।

1.10.6 कुल 23 जोन {11 सीमा शुल्क कमिश्नरी और 12 संयुक्त कमिश्नरी (सीमा शुल्क और जीएसटी)}में से 10 जोन में वि.व. 2017-18 के दौरान लंबित कुल बकाया 81 *प्रतिशत* (₹ 19,897 करोड़) था जैसाकि नीचे तालिका 1.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: 31 मार्च 2018 तक सीमा शुल्क राजस्व का अवधि-वार और जोन-वार बकाया

₹ करोड़

सीसी जोन	विवाद के अधीन राशि				गैर-विवादास्पद राशि				
	5 वर्ष से कम	पांच वर्ष परंतु 10 वर्षों से कम	10 वर्षों से अधिक	कुल (कॉलम 2+3+4)	5 वर्ष से कम	पांच वर्ष परंतु 10 वर्षों से कम	10 वर्षों से अधिक	कुल (कॉलम 6+7+8)	कुल योग (कॉलम 5+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अहमदाबाद सी.शु.	2,860	596	214	3,670	278	48	157	483	4,153
चेन्नई सी.शु.	1,793	368	309	2,469	269	181	169	619	3,088
दिल्ली सी.शु	1,271	108	41	1,420	1,283	123	68	1,474	2,895
मुंबई-I सी.शु.	836	151	42	1,028	134	42	35	211	2,133
बैंगलोर सी.शु	1,348	340	91	1,779	54	41	9	104	1,883
मुंबई - II सी.शु	878	101	47	1,026	835	6	0	841	1,868
कोलकाता सी.शु	920	191	26	1,137	379	38	53	469	1,606
मुंबई - III सी.शु	1,808	44	70	1,922	74	103	50	226	1,254
विशाखापट्नम सीई और जीएसटी	758	77	7	842	129	17	29	175	1,017
पुणे सीई और जीएसटी	552	12	2	567	11	0	35	46	613
उपजोड़	13,024	1976	847	15,293	3,435	599	570	4602	19,897
अन्य	2,530	303	158	3,543	496	381	368	1,247	4,788
सकल जोड़	15,554	2279	1005	18,836	3931	980	938	5,849	24,685

स्रोत: महानिदेशक निष्पादन प्रबंधन (टीएआर), सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाएं

1.10.7 अहमदाबाद जोन के मुख्य कमिश्नर सीमा शुल्क के पास वि.व. 2017-18 में सीमा शुल्क का सबसे अधिक बकाया था, उसके बाद चेन्नई और दिल्ली जोन आते है।

1.10.8 बकाया के समय-वार विश्लेषण से पता चला कि कुल ₹5,849 करोड़ के निर्विवाद बकाया में से ₹1,918 करोड़ (33%) की पांच वर्ष से अधिक समय से

वसूली नहीं की गई थी। दस वर्षों से अधिक समय से वसूली हेतु लबिंत ₹938 करोड़ की राशि दर्शाती है कि विभाग निर्विवाद बकाया की वसूली हेतु पूरी सक्रियता से कार्य नहीं कर रहा है।

1.11 आंतरिक लेखापरीक्षा

1.11.1 सीबीआईसी और इसके क्षेत्रीय संगठनों की आंतरिक लेखापरीक्षा में महानिदेशक (डीजी), लेखापरीक्षा द्वारा निष्पादित तकनीकी लेखापरीक्षा और प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (प्र.सीसीए) द्वारा निष्पादित भुगतानों और लेखाओं की लेखापरीक्षा शामिल है। महानिदेशक (लेखापरीक्षा) की अध्यक्षता में महानिदेशक (लेखापरीक्षा) का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है जिसके दायरे में सात जोनल इकाईयां अहमदाबाद, बैंगलोर,चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में है, इनमें प्रत्येक की अध्यक्षता अपर महानिदेशक द्वारा की जाती है। डीजीए की प्रत्येक जोनल इकाई का उनके अंतर्गत आने वाले मुख्य कमिश्नर और कमिश्नरियों की जोनल इकाईयों पर क्षेत्रवार आधिकारिक नियंत्रण होता है।

1.11.2 सीबीआईसी ने सूचना दी कि वर्ष 2017-18 के लिए डीजी (आडिट) ने 19,58,900 इकाईयों की लेखापरीक्षा करने की योजना बनाई थी जिसमें से 5,05,363 (26 प्रतिशत) इकाईयों की ही इस वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा की गई थी। डीजी (आडिट) ने ₹ 564.75 करोड़ के शुल्क के कम/गैर-उदग्रहण का पता लगाया जिसमें से ₹ 53.61 करोड़ की वसूली कर ली गई थी।

1.11.3 सीबीआईसी द्वारा वि.व 18 के दौरान दी गई सूचना के अनुसार प्रधान महालेखा नियंत्रक द्वारा की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों में स्थापना बिंदुओं के अलावा मुख्यत: निम्नलिखित अनियमितताएं शामिल थी:

क) सरकारी विभाग/राज्य सरकार के निकायों/निजी पार्टियों/स्वायत्त निकायों से देयताओं की वसूली न होना; ₹ 2,163 करोड़;

ख) सरकारी धन का अवरोधन; फलदायी व्यय, अनियमित खरीद/व्यय आदि पर ₹ 3,552 करोड़,

सकल मूल्य ₹ 5,715 करोड़[4] के 244 आंतरिक लेखापरीक्षा पैराग्राफ थे जो अंतिम कार्रवाई हेतु लंबित थे और इसलिए प्रधान महालेखा नियंत्रक द्वारा इनका निपटान नहीं किया गया था।

1.12 कर अपवंचन और जब्ती

1.12.1 राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार शुल्क अपवंचन के मामलों की संख्या में वि.व. 14 में 694 से वि.व. 18 में 940 तक वृद्धि हुई जबकि मूल्य में उसी अवधि के दौरान ₹ 3,113 करोड़ से ₹ 3,065 करोड़ तक कमी आई थी **(अनुलग्नक-1) ।**

1.12.2 अपवंचन मामलों में शामिल प्रमुख वस्तुएं यूरिया, रसायन, लौह अयस्क, कन्फेक्शनरी मदें, मादक पेय, धातू स्क्रैप, स्वर्ण तथा स्वर्ण आभूषण, एलईडी टीवी, रेड सेंडर्स, ऑटो पार्ट, सुपारी, पीवीसी रेजिन, तैयार वस्त्र, 4जी एलटीई एंटिना**,** स्मार्ट कार्ड और ब्रांडेड घडियां थी।

[4] प्र.सीसीए डी.ओ. नं. आईए /एनएजेड/एचक्यू/सीएजी/सूचना/2017-18/194 दिनांक 8 अगस्त2018

अध्याय II

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा अधिदेश और लेखापरीक्षा की सीमा

2.1 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्राधिकार

2.1.1 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 16, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भारत सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार और विधान सभा वाले प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की सभी प्राप्तियों (राजस्व एवं पूंजीगत दोनों) की लेखापरीक्षा और स्वयं की संतुष्ट करने कि राजस्व का निर्धारण, संग्रहण और उचित संवितरण पर प्रभावी जांच को सुरक्षित करने के नियम और प्रक्रियाएं बनाई गई है और इनका यथावत पालन किया जा रहा है, के लिए अधिकृत करता है। लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमावली, 2007 में प्राप्ति लेखापरीक्षा हेतु सिद्धांतों को निर्धारित किया गया है।

2.1.2 सीमा शुल्क राजस्व की अनुपालन लेखापरीक्षा में उन संव्यवहारों को शामिल किया जाता है जिसमें सीमा शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण, सीमा शुल्क के कोई अन्य उदग्रहण, विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के तहत किए गए आयात और निर्यात के संव्यवहार और समय-समय पर लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा किए गए विशेष अनुपालन क्षेत्र शामिल है। इस वर्ष अनुपालन लेखापरीक्षा में एंटी डंपिंग ड्यूटी के उद्ग्रहण और प्रशासन की समीक्षा की गई थी। इस प्रतिवेदन में शामिल संव्यवहार वि.व. 2018 से संबंधित है, परंतु कुछ मामलों में समग्र चित्रण प्राप्त करने के लिए पूर्व अवधि के संव्यवहारों की भी समीक्षा की गई थी। यह प्रतिवेदन वि.व.18 तक की गई लेखापरीक्षा पर आधारित है।

2.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

2.2.1 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक सीमा शुल्क के क्षेत्रीय संगठनों के आयातों, निर्यातों, प्रतिदायों से संबंधित संव्यवहार अभिलेखों के नमूनों सहित केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के विभिन्न कार्यशील विंग के जोखिम आधारित नमूनों से चयनित अभिलेखों की जांच करता है। सीएजी

विभागीय कार्यों जैसे बकाया के अधिनिर्णयन एवं वसूली तथा निवारक कार्यों से संबंधित अभिलेखों की भी जांच करता है।

2.2.2 विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत आयातकों/नियातकों द्वारा लिए गए सीमा शुल्क छूट लाभ के संबंध में डीजीएफटी के अधीन आने वाले संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों के अभिलेखों की जांच की गई है। इसी प्रकार सीएजी सरकारी स्वामित्व की सेज़ के लेखाओं के प्रमाणीकरण सहित सेज और इओयू के विकास कमिश्नरों की लेखापरीक्षा करता है।

2.3 लेखापरीक्षा संसृति

2.3.1 सीमा शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा संसृति में सीमा शुल्क के क्षेत्रीय संगठन और पोर्ट (ईडीआई संबंधी और गैर-ईडीआई दोनों), डीजीएफटी के अधीन आने वाले क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण और सेज़/ईओयू के विकास कमिश्नर शामिल है।

2.3.2 सीमा शुल्क के क्षेत्रीय संगठनों को 11 सीमा शुल्क जोन और 23 मुख्य कमिश्नरों तथा 67 प्रधान कमिश्नरों/कमिश्नरों वाले 12 संयुक्त (सीमा शुल्क एवं जीएसटी) जोन में बांटा गया है। 1 अप्रैल 2018 तक 498 उप/सहायक कमिश्नर थे जिसमें से 293 निर्धारण और 205 गैर निर्धारण प्रभारों पर कार्य कर रहे थे।

2.3.3 निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं की लेखापरीक्षा के लिए, लेखापरीक्षा संसृति में महानिदेशालय, विदेश व्यापार (डीजीएफटी) शामिल है जो वाणिज्य एवं उद्यम मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है और इसकी अध्यक्षता महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा की जाती है। डीजीएफटी भारत के निर्यात प्रोत्साहन के मुख्य उद्देश्य से विदेश व्यापार नीति बनाने और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। डीजीएफटी निर्यातकों को स्क्रिप/प्राधिकार जारी करता है तथा 38 क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क और इंदौर में एक विस्तार काउंटर के माध्यम से उनके तदनुरूपी दायित्वों की निगरानी करता है।

2.3.4 विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज़) और निर्यात उन्मुख इकाईयों (इओयू) के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं की लेखापरीक्षा सेज/ईओयू के संबंधित विकास

आयुक्त के कार्यालय में की जाती है। सीमा शुल्क लेखापरीक्षा सात सार्वजनिक क्षेत्र की सेज[5] के लेखाओं के वार्षिक प्रमाणीकरण के लिए भी उत्तरदायी है।

2.4 लेखापरीक्षिती के डेटा तक पहुंच

लेखापरीक्षा में यह आश्वासन[6] प्राप्त करने हेतु सीमा शुल्क संव्यवहार डेटा पर विश्वास किया जाता है कि राजस्व की हानि को रोकने के लिए कानूनों को उचित रूप से लागू किया गया है। समस्त भारत के डेटा तक पूर्ण पहुंच की कमी संव्यवहारों की नमूना जांच हेतु लेखापरीक्षा संवीक्षा को सीमित करती है और राजस्व प्राप्तियों के प्रमाणीकरण में आश्वासन को सीमित करती है।

लेखापरीक्षाद्वारा वर्ष 2017-18 के लिए 67 कमिश्नरियों में आयात और निर्यात संव्यवहारों हेतु मांगा गया डेटा सीबीआईसी से काफी विलंब से प्राप्त हुआ था, और वह भी काफी अंतरालों और कमियों के साथ कमियों को फरवरी 2019 में सीबीआईसी के संज्ञान में लाया गया था, जिसके लिए उत्तर अभी प्रतीक्षित है।

पूर्ण डेटा के अभाव में 38 कमिश्नरियों में प्रत्यक्ष दौरा करके लेखापरीक्षा की गई थी।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वह हैं जो 2017-18 की अवधि के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए थे। लेखापरीक्षा में विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा पर आधारित यथा संभव सीमा तक और नमूना जांच निष्कर्षों के आधार पर जोखिम वाले संव्यवहारों की कुल संख्या का मापन किया गया था।

2.5 लेखापरीक्षा नमूना

संव्यवहारों की नमूना जांच 11 चयनित जोनों में 67 कमिश्नरियों में से 38 में (57 प्रतिशत) की गई थी। कमिश्नरियों की लेखापरीक्षा में 142 निर्धारण इकाईयों और 90 गैर-निर्धारण इकाईयों की लेखापरीक्षा शामिल थी।

---

[5]सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (एसईपीजेड), कांडला सेज़, मद्रास सेज़, कोचीन सेज़, विशाखापट्टनम सेज़, नोएडा सेज़ और फालटा सेज़

[6] 'मानदंड के प्रति विषय वस्तु के मूल्यांकन या मापन के परिणाम के बारे में उत्तरदायी पार्टी के अलावा अभीष्ट प्रयोक्ताओं के विश्वास की मात्रा बढाने के लिए तैयार किए गए निष्कर्ष व्यक्त करते हुए'

डीजीएफटी द्वारा इसके क्षेत्रीय लाइसेसिंग प्राधिकरणों द्वारा दी गई एफटीपी की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाइसेंसों की लेखापरीक्षा 38 लाइसेंसिग प्राधिकरणों में से 37 में की गई थी।

तालिका 2.1: लेखापरीक्षा संसृति तथा नमूना

लेखापरीक्ष संसृति			**लेखापरीक्षा नमूना**
	लेखापरीक्षा संसृति	कुल	
राजस्व विभाग	मुख्य कमिश्नरियों के संयुक्त जोन (सीमा शुल्क और जीएसटी)	23[7]	11 (48 %)
	प्रधान कमिश्नर/कमिश्नर	67	38 (57 %)
	निर्धारण इकाईयां	293	142 (48%)
	गैर-निर्धारण इकाईयां	205	90 (44%)
वाणिज्य विभाग	क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण	38	37 (97%)

2.6 लेखापरीक्षा प्रयास

2.6.1 वि.व 2017-18 के दौरान हमने संबंधित कमिश्नरियों/क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को 479 निरीक्षण रिपोर्टें जारी की थी जिसमें 2715 टिप्पणियां थी और उनका राजस्व प्रभाव ₹ 1,363 करोड़ था।

2.6.2 हम लेखापरीक्षा में देखे गए महत्वपूर्ण और उच्च मूल्य के मामलों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने से पूर्व टिप्पणियों हेतु मंत्रालय को भेजते है। इस प्रतिवेदन में वि.व 18 के दौरान देखी गई ₹ 590 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाली 91 लेखापरीक्षा टिप्पणियां शामिल है। शेष मामलों का संबंधित क्षेत्रीय संगठनों द्वारा अनुसरण किया जा रहा है। इसके अलावा, लेखापरीक्षाओं के दौरान लगातार देखे गए निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के लाइसेंस धारकों द्वारा निर्यात दायित्वों को पूरा न करने से संबंधित निरंतर अनियमितताओं पर ₹ 4205 करोड़ धन मूल्य का दीर्घ पैराग्राफ भी इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

[7](सीमा शुल्क-11 + संयुक्त (सीमा शुल्क + जीएसटी)-12 जोन)

2.6.3 मंत्रालय ने परिशोधन कार्रवाई की जिस में कारण बताओ नोटिस जारी करने, कारण बताओ नोटिस के अधिनिर्णयन के रूप में 79 पैराग्राफों के संबंध में ₹ 368 करोड़ धन मूल्य शामिल है और सीमा शुल्क के गलत निर्धारण के 42 मामलों में ₹18 करोड़ की वसूली की सूचना दी।

2.6.4 सरकार द्वारा एंटी-डंपिंग शुल्क ऐसे आयातों पर लगाया जाता है जो घरेलू उद्योग के लिए खतरा पैदा करती है और भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुन: स्थापित करने के लिए लगाया जाता है, जो देश के सामान्य हित में है। हमने एंटी-डंपिंग शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधी सीमा शुल्क प्रक्रियाओं की जांच की और ₹ 86.68 करोड़ के राजस्व प्रभाव के निष्कर्षों की सूचना अध्याय III में दी गई है।

2.6.5 अध्याय IV में हमने चयनित कमिश्नरियों में एन्ट्री बिलों और अन्य अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान देखे गए महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रतिवेदित किए है जिनका राजस्व प्रभाव ₹ 88.42 करोड़ है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष सामान्यत: आयातों के गलत वर्गीकरण; छूट अधिसूचना के गलत प्रयोग और अधिसूचनाओं की शर्तों के पूर्ण न होने से संबंधित थे।

2.6.6 निरंतर अनियमितताओं, विशेष रूप से निर्यात दायित्व पूरा न होने के मामले, जो व्यापक प्रतीत होते है, का महानिदेशक विदेश व्यापार, नई दिल्ली और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा समाधान किए जाने की आवश्यकता के साथ-साथ लेखापरीक्षा में बताए गए मामलों में बचाए गए शुल्क की वसूली हेतु उचित कार्रवाई करने की भी आवश्यकता है। अध्याय V में हमने निर्यात दायित्व की अपूर्णता के 1043 पैरा की सूचना दी है जिन्हें वर्ष 2000 से लेखापरीक्षा द्वारा नियमित रूप से बताया गया है और जिसके लिए मंत्रालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कई सर्वांगी त्रुटियों सहित निर्यात दायित्व के पूरा न करने के मामले को 2011 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 22 में सूचित मार्च 2011 को समाप्त अवधि हेतु ईपीसीजी योजना की पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा में बताया गया था। इस प्रतिवेदन में शामिल सीएजी की सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तथापि, जैसेकि यह प्रतीत होता है कि ईपीसीजी योजना के कार्यान्वयन में त्रुटियां जारी रही, जैसा कि ईपीसीजी लाईसेंसों की संव्यवहार लेखापरीक्षा से स्पष्ट है, अत: ईपीसीजी

योजना की पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सीएजी की सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद योजना के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए कुछ चयनित आरएलए कार्यालयों में ईपीसीजी योजना की अनुवर्ती लेखापरीक्षा की गई थी। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को अध्याय V में प्रतिवेदित किया गया है।

2.6.7 अध्याय VI में हमने सांताक्रूज इलेक्ट्रोनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन (एसईईपीजेड), मुम्बई की प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए व्यय की संस्वीकृति में अनियमितताए प्रतिवेदित की हैं।

2.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का राजस्व प्रभाव

2.7.1 हमने वि.व 2013-14 से वि.व 2017-18 से संबंधित पांच प्रतिवेदनों में 570 लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल किए है **(तालिका 2.2)** जिसमें ₹ 9,533 करोड़ शामिल हैं। सरकार ने ₹ 548 करोड़ मूल्य के 454 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में की गई टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया है और 291 पैराग्राफों में ₹ 92 करोड़ की वसूली की है।

तालिका 2.2: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का राजस्व प्रभाव

वर्ष	शामिल पैराग्राफ		स्वीकृत पैराग्राफ		प्रभावित वसूलियां	
	सं.	राशि (₹ करोड़)	सं.	राशि (₹ करोड़)	सं.	राशि (₹ करोड़)
वि.व14	154	2,428	137	46	78	17
वि.व 15	122	1,162	91	85	67	23
वि.व 16	103	1,063	70	19	54	15
वि.व 17	99	85	77	30	50	19
वि.व 18	**92**	**4,795**	**79**	**368**	**42**	**18**
कुल	**570**	**9533**	**454**	**548**	**291**	**92**

अध्याय III

आयातों पर एंटी डंपिंग शुल्क (एडीडी) के उद्ग्रहण पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

3.1 प्रस्तावना:

3.1.1 जब किसी देश के निर्यातक या उत्पादक द्वारा किसी वस्तु को इसके सामान्य मूल्य से कम पर भारत में निर्यात किया जाता है तब भारत में ऐसी वस्तु के आयात पर केंद्र सरकार सीमा शुल्क टैरिफ (डम्प की गई वस्तुओं और क्षति के अवधारण पर एंटी-डंपिंग शुल्क की पहचान, निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 1995 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9ए के अधिकार द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा एंटी-डंपिंग शुल्क लगा सकती है जो इसकी निर्यात कीमत और इसके सामान्य मूल्य के बीच अंतर से अधिक न हो। व्यापार के सामान्य क्रम में सामान्य मूल्य का तात्पर्य समान वस्तुओं हेतु तुलनात्मक कीमत से है जब इसका उपभोग निर्यातक देश में किया जाता है जैसाकि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की उपर्युक्त धारा 9ए की उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित है। इन दो कीमतों के अंतर को "डंपिंग का मार्जिन" भी कहा जाता है।

3.1.2 सामान्यत: अधिसूचना पांच वर्षों की अवधि हेतु प्रभावी होती है (जब तक रद्द,हटाई या संशोधित न की जाए)।

3.1.3 भारत में एंटी डंपिंग उपायों को वाणिज्य एवं उद्यम मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में कार्यशील महानिदेशालय, व्यापार उपाय (डीजीटीआर), (पूर्व में महानिदेशालय,एंटी डंपिंग और संबंधित शुल्क) द्वारा शासित किया जाता है और उक्त की अध्यक्षता "नामित प्राधिकारी", इस मामलें में महानिदेशक द्वारा की जाती है। नामित प्राधिकारी का कार्य एंटी डंपिंग शुल्क जांच करना और एंटी-डंपिंग उपायों हेतु सरकार को सिफारिश करना है। इस प्रकार के शुल्क अंतत: वित मंत्रालय,राजस्व विभाग की अधिसूचना के द्वारा ही लगाए/उद्ग्रहीत किए जाते है। इस प्रकार, वाणिज्य विभाग एंटी-डंपिंग शुल्क (एडीडी) की सिफारिश करता है जबकि वित्त मंत्रालय ऐसे शुल्क उद्ग्रहीत करता है।

3.1.4 तद्नुसार, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथावत जांच के बाद,नामित प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित अंतिम निष्कर्षों के आधार पर एडीडी

लगाया जाता है। भारत में, 1992-2017[8] के दौरान 377 उत्पादों की एडीडी जांच की गई।

3.1.5 दूसरी तरफ, चीन, यूरोपियन संघ जैसे देशों द्वारा लगाए गए एंटी डंपिंग शुल्क से भारत प्रभावित हुआ और 1995-2017 के दौरान 130 उत्पाद एंटी डंपिंग उद्ग्रहणों के अधीन है। वर्ष 2015-16 से 2017-18 की अवधि के दौरान आयातों पर ₹3169 करोड़[9] का एडीडी संग्रहीत किया गया था।

3.2 2015-16 से 2017-18 के दौरान एडीडी अधिसूचनाओं के तहत शामिल प्रमुख उत्पाद श्रेणियां

3.2.1 31 मार्च 2018 तक 484 एंटी-डंपिंग अधिसूचनाएं लागू थी जिसमें 205 उत्पादों को शामिल किया गया था। इन उत्पादों को मुख्यत: निम्नलिखित उत्पाद श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता था;

तालिका 3.1: उत्पाद समूहवार एंटी डंपिंग अधिसूचना

उत्पाद समुह	जारी अधिसूचना की संख्या	शामिल वस्तुओं की संख्या
अकार्बनिक रसायन	214	88
प्लास्टिक, रबड़ और इसके उत्पाद	63	22
कपड़ा और कपडे से बनी वस्तुए	48	16
यांत्रिक उपकरण और इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपस्कर	48	20
लौह स्टील, एल्युमिनियम और उससे बनी वस्तुए	32	17
पत्थरों से बनी वस्तुए, सिरेमिक उत्पाद, कांच और कांच के बर्तन	26	11
फार्मास्यूटिकलस, उर्वरक और विविध रसायन उत्पाद	14	11
अन्य[10]	39	18
कुल	484	205

3.2.2 कुछ वस्तुएं जिनका आयात एडीडी लगाने के बावजूद तीन वर्ष की अवधि में बढ़ा है, कार्बन ब्लैक,सोडा ऐश, एसीटोन, पीवीसी रोल और चिपकने

[8]पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडी, सीसीआई) सर्वेक्षण "भारत में उद्योग पर एंटी-डंपिंग शुल्क का प्रभाव" विषय पर आयोजित किया।

[9]स्रोत: वित्त लेखें

[10]खनिज उत्पाद, बिटुमिन सपदार्थ, वाहन और उसके सामान, ऑप्टिकल, फोटोग्राफिक, मापन उपकरण, लकड़ी और लकड़ी की बनी वस्तुए, कागज और पेपर बोर्ड और उसकी वस्तुए, खाद्य उद्योग, फशस्किन और कृत्रिम फर, जूते और इस तरह की वस्तुए; ऐसी वस्तुओं के भाग और प्रोजेक्ट आयात

वाली फिल्म, विस्कोस फिलामेंट यार्न, कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील उत्पाद और इजेक्शन मोल्डिंग मशीनरी सहित प्लास्टिक मशीनरी है **(अनुलग्नक-2)**।

3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

सीमा शुल्क में एंटी-डंपिंग शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण की विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा एडीडी अधिसूचनाओं के दुरूपयोग के प्रति सुरक्षा हेतु एंटी डंपिंग शुल्क एवं आंतरिक नियंत्रण तथा निगरानी तंत्र सहित एंटी डंपिंग अधिसूचनाओं, अधिनियम नियमावली, विनियमों के अंतर्गत एंटी डंपिंग अधिसूचनाओं संबंधित प्रावधानों की शर्तों की विभाग द्वारा अनुपालना का मूल्यांकन करने के लिए की गई थी।

3.4 लेखापरीक्षा कार्य प्रणाली

3.4.1 वि.व 2017 के दौरान 12 अध्यायों[11] के अंतर्गत किए गए आयात कुल आयातों का 26.87 प्रतिशत है जिन पर एडीडी उद्ग्रहीत किया गया था। 12 अध्याय के अंतर्गत एडीडी लगाई गई प्रमुख वस्तुओं के आयात की सांख्यिकी दर्शाती है कि इन वस्तुओं के कुल आयातों में वि.व 16 से वि.व 18 तक तीन वर्षों के दौरान ₹ 19.68 लाख करोड़ से ₹ 22.61 लाख करोड़, अर्थात 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

लेखापरीक्षा में सीमा शुल्क टैरिफ के इन 12 अध्यायों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो एडीडी का मुख्य हिस्सा है।

लेखापरीक्षा में सीबीआईसी से उन आयातों के समस्त भारत के संव्यवहार डेटा मांगे गए थे जिन पर 2015-16 से 2017-18 तक तीन वर्षों हेतु एडीडी उद्ग्रहीत किया गया था हालांकि, सीबीआईसी द्वारा काफी विलंब के बाद डेटा उपलब्ध कराया गया था।

[11]अध्याय28- अकार्बनिक रसायन, 29 (ऑर्गेनिक केमिकल्स), 38 (विविध रासायनिक उत्पाद), 39 (प्लास्टिक और उससे बनी वस्तुएं), 44 (लकड़ी और लकड़ी की वस्तुएं, लकड़ी चारकोल), 54 (मानव निर्मित फिलामेंट और वस्त्र सामग्री), 69 (सिरेमिक उत्पाद), 70 (ग्लास और ग्लास वेयर), 72 (आयरन और स्टील-प्राथमिक सामग्री उत्पाद), 73 (आयरन या स्टील की वस्तुएं), 84 (मशीनरी और यांत्रिक उपकरण) और 87 (वाहन और उसके सामान)।

डेटा के अभाव में, लेखापरीक्षा 67 कमिश्नरियों में से 18 में सीमित रही जिनका उपर्युक्त 12 अध्यायों के अंतर्गत वस्तुओं का सबसे अधिक आयात था **(अनुलग्नक-3)।**

3.4.2 प्रविष्टि बिलों के नमूना चयन हेतु यादृच्छ नमूना पद्धति का उपयोग किया गया था जिसे निर्धारणीय मूल्य के आधार पर तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया था। इस प्रकार, ₹ 5 करोड़, ₹ 1 से ₹ 5 करोड़ और ₹ 5 करोड़ से कम की निर्धारणीय मूल्य के प्रविष्टि बिलों का चयन प्रत्येक स्तर की प्रतिशतता के रूप में किया गया था। कुल प्रविष्टि बिल, जिन पर लेखापरीक्षा हेतु चयनित 12 अध्यायों के अंतर्गत एडीडी लगाया गया था, 2015-16 से 2017-18 के दौरान 6,44,828 थे। इनमें से 1,82,431 (29 प्रतिशत) बीई का चयन नमूना के रूप में किया गया था।

3.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.5.1 एडीडी उद्ग्रहण में प्रणाली आधारित निर्धारणों में कमी

सीमा शुल्क और किसी अन्य उद्ग्रहणों और अधिप्रभारों का भुगतान स्व-घोषणा के आधार पर किया जाता है। आयातक द्वारा आयातित माल के ब्यौरे उपलब्ध कराने के लिए प्रविष्टि बिल प्रस्तुत करने के बाद भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली या आईसीईएस द्वारा परेषणों का निर्धारण किया जाता है। आईसीईएस में उन संव्यवहारों की पहचान के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) का उपयोग किया जाता है जिन्हें निर्धारण अधिकारी द्वारा अतिरिक्त संवीक्षा की आवश्यकता होती है। आईसीईएस में व्यवसाय नियमावली को हर बार अद्यतित करने की अपेक्षा है ताकि लागू शुल्क और उद्ग्रहणों को प्रणाली में बीई दर्ज करते ही स्वत: प्रभारित किया जा सके।

3.5.1.1 निम्नलिखित सैक्शन में प्रतिवेदित गैर/कम उद्ग्रहण के कई नमूना जांच किए गए मामलों में लेखापरीक्षा में देखा गया कि प्रविष्टि बिल आईसीईएस में आरएमएस आधारित समाशोधन के विषयाधीन थे। यह देखा गया कि एडीडी की विशेष शर्तों का पता लगाने में आरएमएस सक्षम नहीं था विशेषत: यदि उत्पाद का नाम या विवरण अधिसूचना से भिन्न हो या यदि

एडीडी का उद्ग्रहण मोटाई या भार जैसी उत्पाद विशेषताओं पर निर्भर करता हो।

3.5.1.2 हमने यह भी देखा कि भारतीय सीमा शुल्क इडीआई प्रणाली (आईसीईएस) में उत्पादक/ विनिर्माता का नाम दर्ज करना अनिवार्य नहीं किया गया था। उद्गम देश के अलावा उत्पादक/विनिर्माता और आपूर्तिकर्ता/निर्यातक का नाम विशेष वस्तुओं के आयात पर लागू एडीडी की दरे निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि विनिर्माता/निर्यातक या इसके संयोजन से विभिन्न दरें निर्धारित की जाती है। हालांकि,दर्ज की गई अधिकतर बीई को आईसीईएस में जोखिम प्रबंधन प्रणाली से गुजारा गया था,लेखापरीक्षा में देखा गया था कि आईसीईएस से उत्पादक/विनिर्माता के नाम के फील्ड को भरना अनिवार्य करने हेतु कोई प्रावधान नहीं था।

कोडला कमिश्नरी में यह देखा गया कि कोरिया और सिंगापुर से उद्भूत और निर्यातित फिनोल[12] के आयात के 53 मामलों में एडीडी से छूट का दावा किया गया था यद्यपि, ये वस्तुएं एडीडी के अंतर्गत आती है जब इन्हे कोरिया और सिंगापुर से आयात किया गया हो। आयातक द्वारा प्रणाली में दर्ज किए गए आयात दस्तावेजों में 'विनिर्माता' के स्थान को रिक्त छोडा गया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में न तो प्रणाली में निर्धारण अधिकारियों की कोई टिप्पणियां मिल सकी और न ही संबंधित फाइलें लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई, जिसके कारण इन आयातों हेतु ₹ 91.28 लाख की एडीडी छूट की स्वीकार्यता की सटीकता सुनिश्चत नहीं की जा सकी।

इस विषय को मार्च 2019 में मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

[12]उद्गम देशो/निर्यात, निर्यातक/उत्पादक के विभिन्न संयोजनों के साथ फिनोल का आयात (सीटीएच 29071110) जिस पर निर्धारित दरों पर एडीडी लगता है (अधिसूचना सं. 6/2016 सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 8 मार्च 2016)

3.5.2 एडीडी अधिसूचना की वैधता की समाप्ति के बावजूद एडीडी का उद्ग्रहण

सीबीआईसी द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन के विन्यसन की तिथि से एडीडी उद्ग्रहणीय है और अधिकतम पांच वर्षों की अवधि हेतु प्रभावी है जब तक इसे रद्द, समाप्त या संशोधित न किया जाए।

3.5.2.1 सीटीएच 29291020 के अंतर्गत वर्गीकरणीय डाई-आईसोसाइनेट के आयात पर अधिसूचना सं. 25/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 5 जून 2017 के अंतर्गत एडीडी उद्ग्रहणीय है। यह अधिूसचना केवल छ: माह अर्थात 4 दिसंबर 2017 तक वैध थी। इसी प्रकार, फॉस्फोरिक एसिड, विस्टामैक्सक्स 6202 प्रोपलीन, ग्लेज्ड/अनग्लेज्ड पोर्सिलेन/विट्रीफाइड टाइलों आदि के आयात पर अधिसूचना 19/2012 दिनांक 4 अप्रैल 2012, 119/2010 दिनांक 19 नवंबर 2010 और 12/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 29 मार्च 2016 के अंतर्गत क्रमश: पांच वर्षों और छ: माह की वैधता के साथ एडीडी उद्ग्रहणीय है।

चार कमिश्नरियों[13] में लेखापरीक्षा में देखा गया कि विभाग ने निर्धारित अधिसूचनाओं की समाप्ति के बाद डी-आईसोसाइनेट, फोस्फोरिक एसिड, विस्टामेक्स फिनोल और ग्लैज्ड/अनग्लेज्ड पोर्सिलेन/विट्रीफाइड टाइल्स के आयात के 72 मामलों में ₹ 1.17 करोड़ के एडीडी की वसूली की थी। तद्नुसार,किसी मौजूदा अधिसूचना के बिना एडीडी की वसूली अनियमित थी **(अनुलग्नक-4)।**

इस विषय को मार्च 2019 में मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

3.5.3 एडीडी अधिसूचनाओं की शर्तों का अननुपालन

एडीडी का उद्ग्रहण विशेष वस्तुओं पर किया जाता है और यह स्त्रोत विशेष है। एडीडी की अधिसूचना में एडीडी के उद्ग्रहण की शर्तों का प्रावधान किया जाता है जो मुख्यत: उद्गम देश/निर्यात का देश, विनिर्माता का नाम, नियार्तित वस्तु का वर्गीकरण और आयातित माल की प्रकृति है। उन आयातों पर एडीडी उद्ग्रहणीय है जो अधिसूचनाओं में निर्दिष्ट इन कुछ शर्तों में से सभी को पूरा करते हो।

[13]जेएनसीएच, कांडला, कोलकाता और मुंद्रा

3.5.3.1 लेखापरीक्षा में पाया गया कि एडीडी अधिसूचना के प्रावधानों के गलत अनुप्रयोग के कारण 2015-16 से 2017-18 के दौरान 15 कमिश्नरियों के माध्यम से आयात के 1205 मामलों **(अनुलग्नक-5)** में ₹ 63.60 करोड़ के एडीडी का उद्ग्रहण नहीं/कम हुआ था। वह वस्तुए, जो शुल्क से बच गई, जैसेकि संव्यवहारों की नमूना जांच से पता चला, प्लास्टिक और प्लास्टिक उत्पाद, कपडा और नायलोन यार्न, रसायन, धातु और चीनी मिट्टी की वस्तुए तथा कांच के बने बर्तन जैसी उत्पाद श्रेणियों के तहत आती हैं।

3.5.4 उद्गम देश की शर्तों के उल्लंघन में एडीडी का अनुद्ग्रहण

एंटी डंपिंग का उद्ग्रहण निर्यातक विशिष्ट और देश विशिष्ट दोनों हैं। यह उन देशों से आयातों तक विस्तारित होता है जिसके, संबंध में नामित प्राधिकरण की सिफारिशों पर सीमा शुल्क द्वारा शुल्क अधिसूचित किया गया है।

संव्यवहारों की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा में उन देशों से आयातों पर एडीडी के अनुद्ग्रहण के कुछ मामले देखे गए जिनके संबंध में एडीडी उद्ग्रहणीय थी। कुछ मामलों पर चर्चा नीचे दी गई है:

(i) मशीनरी और यांत्रिक उपकरण

चीन, चीनी ताइपे, फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम से उद्भूत या आयातित सीटीएच 84771000 के तहत आने वाले 40 टन से कम नहीं और 3200 टन के बराबर या कम की क्लैंपिंग फॉर्स वाली सभी प्रकार की प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों या इंजेक्शन मॉल्डिंग मशीनों, जिन्हें इन्जेक्शन प्रैस भी कहा जाता है, पर उतराई मूल्य[14] के 29 प्रतिशत के बराबर एडीडी लगाया जाता है।

पांच कमिश्नरियों[15] में, चीन ताइवान और वियतनाम से आयातित इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों के 24 परेषणों की निकासी सीटीएच 84771000 के अंतर्गत सही रूप से वर्गीकृत करने के बावजूद ₹ 2.95 करोड़ का एडीडी लगाए बिना की गई थी जो उपर्युक्त अधिसूचनाओं का उल्लंघन है।

[14]{अधिसूचना संख्या 57/2015 - सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 4 दिसंबर 2015 और अधिसूचना संख्या 9/(एडीडी) सीमा शुल्क दिनांक 15 मार्च 2016}.

[15]चेन्नई समुद्र, जेएनसीएच, तूतीकोरिन समुद्र, आईसीडी बेंगलुरु और आईसीडी पटपड़गंज

इस विषय को जनवरी/अगस्त 2018 में विभाग के संज्ञान में लाया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

(ii) कपड़ा, वस्त्र और धागा

(क) **चीन, ताइवान, मलेशिया, थाइलैंड, कोरिया आरपी और इंडोनेशिया** में उद्भूत किसी उत्पादक द्वारा उत्पादित या निर्यातित और भारत में आयातित नाइलॉन फिलामेंट धागे पर उत्पादक और निर्यातक के संयोजन के आधार पर यूएसडी 0.20 से 1.51 प्रति कि.ग्रा. के बीच की दर पर एडीडी[16] उद्ग्रहणीय हैं।

चेन्नई सी कमिश्नरी और आईसीडी पटपड़गंज के माध्यम से **चीन, कोरिया आरपी और इंडोनेशिया** से आयातित (जुलाई 2015 से जनवरी 2018) नाइलॉन फिलामेंट धागा की तेईस परेषणों की निकासी अध्याय शीर्षक 54 के तहत सही रूप से वगीकृत करने के बावजूद ₹ 1.33 करोड़ के प्रयोज्य एडीडी के उद्ग्रहण के बिना की गई थी।

इस विषय को जून 2018 में विभाग के संज्ञान में लाया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

(ख) किसी उत्पादक/निर्यातक द्वारा चीन से उद्भूत या निर्यातित सीटीएच 50020010 के तहत आने वाले किसी विनिर्देश के साथ शहतूत का कच्चा सिल्क ग्रेड 3ए ग्रेड और इससे कम पर यूएस डॉलर 1.85 प्रति कि.ग्रा की दर पर एडीडी[17] लगाया जाएगा।

चेन्नई समुद्र कमिश्नरी में **चीन** से आयातित शहतूत का कच्चा सिल्क ग्रेड 3 के 5 परेषणों की निकासी ₹ 13.67 लाख के लागू एडीडी, के उद्ग्रहण के बिना की गई थी, हालांकि उसी पोर्ट के माध्यम से समान आयातों पर एडीडी लगाया जाता है।

इस विषय को मार्च 2017 में विभाग के संज्ञान में लाया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित है। (अक्टूबर 2019)।

---

[16]अधिसूचना सं. 3/2012-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 13 जनवरी 2012, अधिसूचना संख्या 4/2017 दिनांक 19 जनवरी 2017 द्वारा संशोधित

[17]अधिसूचना सं. 01/ 2016-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 28-01-2016 (क्रम. नं.1)।

(iii) धातु और धातु की वस्तुएं

चीन से 'एल्युमिनियम फॉयल' के आयात पर यूएसडी 1.63 प्रति कि.ग्रा. की दर पर एडीडी उद्ग्रहणीय है यदि उत्पादक और निर्यातक का संयोजन उनके अलावा 'कोई' अन्य है जो दिनांक मई 2017 की अधिसूचना[18] के अंतर्गत निर्धारित है।

चीन से एल्युमिनियम फॉयल के आठ परेषणों का आयात आईसीडी-तुगलकाबाद और जेएनसीएच, मुंबई कमिश्नरी के माध्यम से किया गया था। आयातित माल को एडीडी लगाए बिना आरएमएस के माध्यम से निकासी की सुविधा दी गई थी। अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अननुपालन के परिणामस्वरूप ₹ 1.12 करोड़ के एडीडी का उद्ग्रहण नहीं हुआ। इस विषय में बताए जाने पर आईसीडी, तुगलकाबाद प्राधिकरण ने तीन आयातकों से ₹ 75.11 लाख के पूरे अनुद्ग्रहण की वसूली की सूचना दी। जेएनसीएच, मुंबई का उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

(iv) रसायन और रासायनिक उत्पाद

(क) सीटीएच 29051620 के अंतर्गत आने वाले 2 इथिल हेक्सानॉल (2ईएच) पर यूएसडी 113.47 प्रति एमटी के निर्धारित दर पर एडीडी[19] लगाया जाता है, जहां आयातित माल का उद्गम देश यूरोपीय संघ है।

रोमानिया से आयातित 30 एमटी 2 ईएच की निकासी कांडला कमिश्नरी से सीमा शुल्क के उद्ग्रहण के बिना की गई यद्यपि रोमानिया यूरोपीय संघ का सदस्य है। आयातित माल की निकासी ₹ 23.10 लाख के एडीडी के उद्ग्रहण के बिना की गई थी।

इस विषय में बताए जाने पर विभाग ने ₹ 23.10 लाख की वसूली की सूचना दी।

(ख) **यूएसए** में उद्भूत या निर्यातित सीटीएच 29071110 के अंतर्गत वर्गीकृत फिनोल के आयातों पर यूएसडी 159.63 प्रति एमटी की निर्धारित दर पर एडीडी[20] लगाया जाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अधिनियम 2005 की धारा

[18]संख्या 23/2017-सीमा शुल्क। (एडीडी) दिनांक 16 मई 2017
[19]अधिसूचना सं0 10/सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 29 मार्च 2016
[20]अधिसूचना सं0 43/2014-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 30 सितंबर 2014

30 के अनुसार सेज से घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में ले जाए गए किसी माल पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अंतर्गत सीमा शुल्क प्रभारित होगा जिसमें एंटी डंटिंग, प्रतिकारी और सुरक्षा शुल्क शामिल होंगे जैसे आयात के समय ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय होते है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि विकास आयुक्त, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र (केएएसइजेड) के अंतर्गत एक सेज इकाई ने एडीडी के भुगतान के बिना डीटीए में 168 एमटी फिनोल की निकासी की थी। (अक्टूबर 2016)। लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि डीटीए में निकासी किया गया फिनॉल यूएसए से आयात किया गया था जिस पर एंटी डंपिंग शुल्क लगना था। इस प्रकार, डीटीए निकासियों पर उपर्युक्त अधिसूचना की शर्तों में एडीडी का उद्ग्रहण अपेक्षित था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 18.13 लाख तक एंटी-डंपिंग शुल्क का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

इस विषय में बताए जाने पर (जून 2017), विभाग ने ₹18.13 लाख की वसूली की सूचना दी (जून 2017)।

(v) अन्य

(क) ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड

चीन से उद्भूत या निर्यातित सीटीएच 8545 के अंतर्गत आने वाले सभी व्यास के ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के आयात पर यूएसडी 922.03 प्रति एमटी की दर पर एडीडी[21]उद्ग्रहणीय है।

जेएनसीएच, मुंबई और विशाखापटनम कमिश्नरी में चीनी पीआर से आयातित ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के चार परेषणों की निकासी ₹ 66.07 लाख के एडीडी उद्ग्रहण के बिना की गई थी।

(ख) मापन टेप (स्टील टेप)

मलेशिया से उद्भूत या निर्यातित सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 90178090 के अंतर्गत वर्गीकरणीय 'मापन टेप' के आयात पर यूएसडी 2.60 प्रति कि.ग्रा. की निर्धारित दर पर एडीडी[22] उदग्रहणीय है।

[21]अधिसूचना सं0 04/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) क्रम. नं 14,दिनांक 13 फरवरी 2015,
[22]अधिसूचना सं0 16/2016-एडीडी दिनांक 02.05.2016

चेन्नई समुद्र, सीमा शुल्क के माध्यम से मलेशिया से आयातित (सितंबर 2016) सीटीएच '90178090-अन्य उपकरण' के अंतर्गत वर्गीकरणीय 'मापन टेप (स्टील टेप)' के एक परेषण (18250 कि.ग्रा.) की निकासी ₹ 32.15 लाख के एडीडी के उद्ग्रहण के बिना की गई थी।

इस विषय में बताए जाने पर (फरवरी 2017) विभाग ने बताया (नवंबर 2017) कि मांग नोटिस जारी कर दिया गया है। अगली प्रगति प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

3.5.5 उत्पाद विशिष्ट शर्तों के उल्लंघन के आधार पर एडीडी का अनुद्ग्रहण

कुछ मामलों में आयातित वस्तु पर एंटी डंपिंग शुल्क का उद्ग्रहण उत्पाद की विशिष्ट विशेषताओं जैसे मोटाई, भार या रासायनिक संरचना के कारण किया जाता है। संव्यवहारों की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा में देखा गया कि उत्पाद विशिष्ट शर्तों के पूरा होने के बावजूद इन वस्तुओं के आयातों पर शुल्क उद्ग्रहीत नहीं किया गया था।

(i) फ्लोट ग्लास : 2014 से 2017 की अवधि के दौरान जारी विभिन्न एडीडी अधिसूचनाओं[23] के अनुसार 2 एमएम से 12 एमएम की नाममात्र की मोटाई के क्लीयर फ्लोट ग्लास के आयात और यूएई, साऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान और चीन से आयातों पर निर्धारित दरों पर एडीडी उद्ग्रहणीय है। अधिसूचनाओं में निर्धारित है कि सांकेतिक मोटाई का मापन भारतीय मानक ब्युरो (बीआईएस) 14900: 2000 के अनुसार किया जाना चाहिए। बीआईएस मानकों के अनुसार सांकेतिक मोटाई को ± 0.20 एमएम से ± 80 एमएम तक सहनीय स्तर की मोटाई के अंदर माना जाता है। अत: 1.80 एमएम से 2.20 एमएम की मोटाई के फ्लोट ग्लास को 2 एमएम मोटाई माना जाएगा।

तीन कमिश्नरियों[24] में लेखापरीक्षा में 1.80 एमएम से 12.80 एमएम की मोटाई के क्लीयर फ्लोट ग्लास के 42 परेषणों के आयात और विशेष देशों से आयात देखे गए जिनकी निकासी इस आधार पर एडीडी उद्ग्रहण के बिना की गई थी कि ग्लास की सांकेतिक मोटाई 2 एमएम से 12 एमएम की निर्धारित

[23]अधिसूचना संख्या (i) 48/2014 दिनांक 11.12.2014 (ii) 47/2015 दिनांक 8.9.15 और (iii) 19/2017 दिनांक 12.5.17

[24]चेन्नई समुद्र, तूतीकोरिन और कोच्चि सीमा शुल्क

मोटाई से भिन्न थी। इसके परिणामसवरूप ₹ 2.83 करोड़ के एडीडी का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

दो कमिश्नरियों जेएनसीएच, मुंबई और नोएडा में विभाग ने सऊदी अरब और ईरान से आयातित 4 एमएम से 12 एमएम की मोटाई के क्लीयर फ्लोट ग्लास के चार परेषणों पर ₹ 20.83 लाख का एडीडी उद्ग्रहीत नहीं किया था जो निर्धारित अधिसूचनाओं के उल्लंघन में है। (एडीडी अधिसूचना सं. 48/2014-एडीडी और 19/2017-एडीडी)।

इस विषय को जून 2018 में विभाग के संज्ञान में लाया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित हैं (मई 2019)।

(ii) जूट की बोरियां: बांग्लादेश[25] से उद्भूत या निर्यातित सभी रूपों और विशेषताओं के जूट उत्पादों नामत: जूट धागा/सुतली, हेसियन फैब्रिक और जूट की थैलियों के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क उद्ग्रहणीय था। पेट्रापोल लैंड कस्टम स्टेशन में विभाग ने जनवरी और जून 2017 के बीच ₹ 83.54 करोड़ के निर्धारणीय मूल्य के लिए बोरियाँ/थैलियाँ बनाने के लिए 12766.7 एमटी जूट फैब्रिक के 416 परेषणों की निकासी एडीडी के उद्ग्रहण के बिना अनुमत की थी जो सीटीएच 53101012 के अंतर्गत ''बोरियों हेतु फैब्रिक'' के रूप में वर्गीकृत किया गया था और ₹ 29.79 करोड़ मूल्य के एंटी डंपिंग शुल्क के उद्ग्रहण के बिना बांग्लादेश से आयात की गई थी।

इस विषय में बताए जाने पर, विभाग इस आधार पर लेखापरीक्षा के तर्क पर सहमत नहीं हुआ कि जनवरी 2017 की उपर्युक्त अधिसूचना में 'जूट सैकिंग कपड़ा' का विशेष उल्लेख नहीं था। अपने अगले उत्तर में (फरवरी 2018) विभाग ने अपने तर्क के समर्थन में जांच रिपोर्ट भेजी थी और बताया कि रिपोर्ट में बताया गया था कि आयातित माल हेसियन कपड़ा था और जूट उत्पाद नहीं।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि भारतीय व्यापार क्षेत्र में ''हेसियन'' का उपयोग जूट के साथ किया जाता है और नामित जांच प्राधिकारी के साथ-साथ भारतीय उद्योग, की मंशा में सभी प्रमुख जूट उत्पादों को शामिल किया

[25]अधिसूचना सं0 01/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 5 जनवरी, 2017

गया था जो उत्पाद श्रृखला अर्थात धागा, फैब्रिक और जूट की थैलियों में थे जिन्हें बांग्लादेश से बड़ी मात्रा में आयात किया जा रहा है। इसके अलावा, एडीडी अधिसूचना में यह कहते हुए 4 अंकों तक ही सीटीएच कोड निर्दिष्ट किए गए है कि विशेष शीर्षक अर्थात 5307, 5310, 5607 या 6305 के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुओं को परिभाषा 'सभी रूप और विशेषताए' में कवर किया गया है तदनुसार, निर्धारण अधिकारी द्वारा सीटीएच 53101012 के अंतर्गत वर्गीकृत होने के कारण आयातित वस्तु सैकिंग फैब्रिक पर एडीडी उद्ग्रहणीय होगी।

(iii) पॉलिआल का लचीला स्लैब स्टॉक एक पोलीईथर है जो उत्प्रेरक और योजक के साथ प्रतिक्रिया पर पॉलीयुरेथेन बनाता है जिसे पैकेजिंग,तकिए,गद्दे और परिवहन की सीटों में उपयोग किया जाता है। यूरोपीय संघ,ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर से उद्भूत 3000 से 4000 तक आणविक भार के पॉलीआल के लचीले स्लैब स्टॉक के आयात पर यूएसडी 67.79 एमटी से 154.94 एमटी तक भिन्न दरों पर एडीडी[26] उद्ग्रहणीय है।

सिंगापुर और स्पेन से आयातित आर्कील पॉलिआल 5613 और वोरानोल ईपी 1900 पॉलिआल के विवरण के अंतर्गत 3000 से 4000 के आणविक भार के पॉलिआल के लचीले स्लैब स्टॉक के चौबीस परेषणों की निकासी दो कमिश्नरियों[27] द्वारा एडीडी उद्ग्रहण के बिना की गई थी, हालांकि विभाग ने अन्य आयात परेषणों में समान ग्रेड और नामावली की समान वस्तुओं पर एडीडी उद्ग्रहीत की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 53.54 लाख का कम उद्ग्रहण हुआ था।

इस विषय को जुलाई 2008 में विभाग के संज्ञान में लाया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

(iv) विनाइल क्लोराइड के होमो पॉलीमर का उपयोग फलोरिंग, पैंकेजिंग शीट, बोतलों आदि में होता है। युरोपियन संघ, मैक्सिको और ताइवान से उदभूत और आयतित सीटीएच 3904 के अंतर्गत वर्गीकरणीय विनाइल क्लोराइड मोनोमर के

[26]अधिसूचना सं0 9/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 7 अप्रैल 2015].

[27]जेएनसीएच और मुंद्रा

होमो पॉलीमर (सस्पेंशन ग्रेड) पर यूएसडी 39.65/एमटी से 189.99/एमटी की भिन्न दरों पर एडीडी[28] उद्ग्रहणीय है।

दो कमिश्नरियों[29] में पीवीसी रेजिन नॉरविनिल ग्रेड (सस्पेंशन ग्रेड) लैकोविले पीवीसी ऐसिएल सीटी-1110 मास पीवीसी रेजिन (विनील कलोराइड मोनोमर (सस्पेंशन ग्रेड) का होमो पॉलिमर का प्रयास) के दो परेषणों की निकासी एडीडी उद्ग्रहण के बिना की गई थी यद्यपि विभाग ने अन्य आयात परेषणों में समान ग्रेड और नामावली की समान वस्तुओं पर एडीडी लगाया था। उत्पादक की वेबसाइट के साहित्य से पता चला कि ये सभी ग्रेड सस्पेंशन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पॉलिविनाइल क्लोसइड होमो पॉलिमर है। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 13.19 लाख के एडीडी का उद्ग्रहण नहीं हुआ था।

इस विषय को जुलाई 2018 में विभाग के संज्ञान में लाया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

(v) एस्कॉर्बिक एसिड: चीन से उद्भूत और निर्यातित सीटीएच 29362700 के तहत वर्गीकरणीय **मर्क इंडेक्स**[30] की प्रविष्टि संख्या 867 के तहत यथा निर्दिष्ट विटामिन सी, और विटामिन सी के सामान्यत प्रयुक्त प्रयाय जैसे एस्कॉर्बिक एसिड, एल-जाइलो एस्कॉर्विक एसिड, 3-ऑक्सो-एलगुलोफ्यूरनोल एक्टोन (एनोल फॉर्म), एल-3-केटो थ्रॉहेस्कयूरोनिक एसिड लैक्टोन आदि के आयात पर यूएसडी 3.74 प्रति कि.ग्रा. की दर पर एडीडी[31] उद्ग्रहणीय है।

सीमा शुल्क समुद्र चेन्नई के माध्यम से चीन से आयातित 'विटामिन सी के पर्याय' सोडियम एस्कॉर्बेट के पांच परेषणों की निकासी ₹ 3.31 करोड़ के एडीडी के उद्ग्रहण के बिना की गई थी।

इस विषय में बताए जाने पर विभाग ने तर्क दिया कि सोडियम एस्कॉर्बेट को विटामिन सी के पर्याय के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि मर्क इंडेक्स के अनुसार इन्हे दो भिन्न घटकों के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

---

[28]अधिसूचना सं.26/2014-सीमा शुल्क (एडीडी) और 27/2014-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 13 जून 2014

[29] जेएनसीएचऔरतुतिकोरीन सागर.

[30]मर्क इंडेक्स रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा ऑनलाइन प्रकाशित रसायनों, दवाइयों और जैविक का एक विश्वकोश है।

[31]अधिसूचना सं. 38/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 6 अगस्त 2015।

विभाग का जवाब मान्य नहीं हैं क्योंकि अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा है कि एडीडी विटामिन सी के अधिकतर प्रयोग होने वाले पर्याय सहित विटामिन सी के सभी पर्याय पर लागू होता है, जैसा कि मर्क इंडेक्स की प्रविष्टि संख्या 867 के तहत वर्णित है, जिसका अर्थ है कि एडीडी विटामिन सी के सभी रूपों के आयात पर उद्ग्राहय हैं। इसके अलावा, सोडियम एस्कॉर्बेट एस्कॉर्बिक एसिड (विटामिन सी) के खनिज लवणों में से एक है।

सोडियम एस्कॉर्बेट के आयात पर इसी तरह के अनुदग्रहण को 2015 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 8 (पैरा सं.4.9) में इंगित किया गया था, जिसमें मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार की और मांग नोटिस जारी किया।

नमूना जांच के अतिरिक्त, वर्ष 2016-17[32] में आईसीईसी डेटा के विश्लेषण में प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, कोल्ड रोल्ड सीमलैस पाइप, ग्लास फाइबर, फ्लॉट ग्लास, रबर कैमिकल, कार्बन ब्लैक और अन्य जैसे कई वस्तुओं के आयात पर ₹ 13.18 करोड़ की एडीडी राशि की अनुदग्राही का खुलासा हुआ। इन वस्तुओं को आईसीडी, व्हाइटफील्ड-बैंगलूर, नौएडा कमिश्नरी, कोलकाता (समुद्र), कोलकाता (वायु), कस्टम हाउस (पिपाब) गुजरात, और कस्टम हाउस, हाजिरा-गुजरात **(अनुलग्नक 6)** के माध्यम से आयात किया गया था। यह दिसम्बर 2018 और जनवरी 2019 में सीमा शुल्क कमिश्नरी को इंगित किया गया था, उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

3.5.6 एडीडी की अशुद्ध गणना

(i) चीन गणराज्य/ताइवान से सीटीएच 8477,1000 के तहत आयातित प्लास्टिक प्रसंस्करण या इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें ''लैंडेड वैल्यू[33]'' के 29 प्रतिशत के बराबर एडीडी[34] को आकर्षित करती है। 'लैंडेड वैल्यू' का अर्थ होता है निर्धारणीय कीमत व मूल सीमा शुल्क का योग।

[32]एडीडी से संबंधित आईसीईएस डेटा लेखापरीक्षा के समय केवल 2016-17 के लिए उपलब्धता थी।

[33]आयातित 4 दिसम्बर 2015 की अधिसूचना सं. 057/2015-एडीडी और 9/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 15 मार्च 2016

[34]"आयातित माल के मूल्य" का अर्थ सीमा शुल्क अधिनि 1962 के तहत निर्धारित निधार्य मूल्य से होता है और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3,3ए, 8बी और 9ए के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्क के सभी शुल्क शामिल है।

दो कमीश्नरियों[35] में, विभाग ने 37 परेषणों में लैंडेड वैल्यू के बजाय निर्धारणीय कीमत पर एडीडी की अशुद्ध गणना की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 15.24 लाख के एडीडी का कम उद्ग्रहण हुआ। 37 परेषणों में से, आईसीडी, तुगलकाबाद, के माध्यम से आयातित 31 परेषणों में प्रणाली द्वारा एडीडी की गणना की और प्रणाली के माध्यम से निकासी की सुविधा भी दी गई थी।

यह जनवरी (अगस्त 2018) में विभाग के संज्ञान में लाया गया था; उनका जवाब प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

(ii) जब निर्माता और निर्यातक संयोजन इंडोरामा पेट्रोकेम या टीपीटी पेट्रो केम पब्लिक लिमिटेड द्वारा "शुद्धीकृत टेरिफाथोलिक एसिड" का आयात सीटीएच '29173600' के तहत वर्गीकृत किया गया है, जो थाईलैण्ड और कोरिया से उत्पन्न और निर्यातित होने पर एडीडी[36] यूएसडी 45.43 प्रति एमटी (पीएमटी) पर और यदि निर्माता और निर्यातक का कोई अन्य संयोजन हो तो यूएसडी 62.55 पीएमटी की दर पर उद्ग्राहय है।

जेएनसीएच के माध्यम से आयात किए गए "फ्यूरिफाइड टेरेफाथोलिक एसिड" की इक्कीस परेषणों को यूएसडी 62.55 पीएमटी के बजाय यूएसडी 45.43 पीएमटी की दर पर एडीडी के रूप में मंजूरी दी गई क्योंकि निर्माता और निर्यातक पूर्वोक्त वर्णित के अलावा अन्य थे। इसके परिणामस्वरूप एडीडी की कम उगाही की राशि ₹ 1.55 करोड़ हो गई।

यह जून/नवम्बर 2017 में विभाग के संज्ञान में लाया गया था; उनका जवाब प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2019)।

3.5.7 अनंतिम निर्धारण के लिए गलत सहारा

सीमा शुल्क मैनुअल अनंतिम निर्धारण के अध्याय 7 के पैरा 3.1 के अनुसार छः महीने के भीतर तेजी से अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

(i) सीमा शुल्क अधिनियम,1962 की धारा 15 के परंतुक के तहत, आयातित वस्तुओं के शुल्क और टैरिफ मूल्यांकन की दर के निर्धारण की तारीख पोर्ट में

[35]आईसीडी, तुगलकाबाद और चेन्नई समुद्र कमिश्नरी

[36]अधिसूचना सं. 23/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 27 मई 2015

प्रवेश की तारीख है, भले ही पोर्ट में प्रवेश की तारीख से पहले प्रवेश का बिल दायर किया गया है।

जेएनसीएच, मुम्बई के माध्यम से एक आयातक ने चीन से प्यूरिफाइड टैरिफ्थैलिक एसिड की दो परेषणों का आयात करता है। प्रविष्टि के दो अग्रिम बिल 4 जुलाई 2016 को भरे गए थे जबकि पोत के प्रवेश की तारीख 5 जुलाई 2016 थी। सीटीएच 29173500 के तहत वर्गीकृत प्यूरिफाइड टैरिफ्थैलिक एसिड का आयात 5 जुलाई 2016 से एडीडी[37] के लिए निर्धारित दर यूएसडी 97.60 प्रति एमटी है, यदि मूल और निर्यातक देश चीन है।

दोनों परेषणों का अनौपचारिक रूप में निर्धारण किया गया था और उन्हें एडीडी की उगाही के बिना और विभागीय टिप्पणियों के साथ "एडीडी की प्रयोज्यता के स्पष्टीकरण तक" के बिना मंजूरी दे दी गई थी।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 15 में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद, पोत के प्रवेश की तारीख (अर्थात 5 जुलाई 2016) को बीई की प्रस्तुतिकरण की तारीख के रूप में माना जाता है, इन परेषणों पर लागू एडीडी लगाए बिना अनंतिम रूप से निर्धारण किया गया था चूंकि पोत के प्रवेश की तारीख 5 जुलाई 2016 थी और अधिसूचना सं. 28/2016 को 5 जुलाई 2016 से जारी की गई थी, इसलिए एडीडी की उगाही करना अपेक्षित था। इसके परिणामस्वरूप अनंतिम निर्धारण में ₹ 1.34 करोड़ के एडीडी को स्थागित कर दिया गया। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में देखा कि छः महीने से अधिक समय की समाप्ति के बावजूद अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप नहीं दिया गया है (अक्टूबर 2018)।

इस पर विभाग ने कहा कि मामले को एडीडी के भुगतान के लिए आयातक के साथ उठाया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019) **(अनुलग्नक 7, क्रम सं.1)**

(ii) सीटीएच 3904 के तहत वर्गीकृत विनाईल क्लोराइड मोनोमर (संस्पेंशन ग्रेड) का आयात निर्धारित दर पर एडीडी[38] आकर्षित करता हैं, यदि मूल और निर्यात का देश इंडोनेशिया है, मैसर्स 'अ' इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा जेएनसीएच (बीई सं.

[37]अधिसूचना सं. 28/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), सं. 2 दिनांक 5 जुलाई 2016

[38]अधिसूचना सं. 27/2014-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 13 जून 2014,क्र.सं. 29

6571736 और 6622177 क्रमश: दिनांक 1 और सितम्बर 2016) से आयातिक पीवीसी रेजिन ग्रेड एफजे-65 के दो परेषणों को लंबित परीक्षण रिपोर्ट के कारण अनंतिम निर्धारण किया गया था और ₹ 48.15 लाख की एडीडी की उगाही बिना निकासी कर दी गई थी। इन निर्धारणों को 6 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अंतिम रूप दिया जाना लंबित था।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि जेएनसीएच, मुम्बई के माध्यम में अन्य आयातकों द्वारा समान आयात प्रासंगिक अवधि के दौरान एडीडी के अधीन आयात किए गए थे।

छ: महीने की निर्धारित अवधि के भीतर अनंतिम निर्धारणों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारणों और जुलाई 2018 में विभाग से परीक्षण रिपोर्ट की स्थिति मांगी गई थी; उनका जवाब प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019) **(अनुलग्नक 7,क्रम सं.2)**।

3.6 निष्कर्ष

इस अध्याय के निष्कर्ष क्षेत्र में की गई सीमित लेखापरीक्षाओं पर आधारित थे। हालांकि, इस सीमित लेखापरीक्षा में भी मुद्दों के पहलुओं की प्रणालीगत कमियों को चिन्हित किया है जिन्हें विभाग द्वारा संबोधित किए जाने की आवश्यकता है। परीक्षण जांच में उगाही से बचने और एन्टी-डंपिंग की शर्तों का अनुपालन न करने के कई उदाहरणों का पता चला जिसके परिणामस्वरूप ₹ 86.69 करोड़ रूपये की राशि का एंटी-डंपिंग शुल्क का गैर/कम उगाही की गई। विभाग ने ₹ 53 करोड़ की राशि की आपत्ति स्वीकार की और ₹ 1.20 करोड़ की वसूली की सूचना दी। परीक्षण जांच पद्धति की स्पष्ट सीमा के कारण, इस अध्याय में वर्णित मामले उदाहरणात्मक है। विभाग को सलाह दी जाती है कि वह इसी प्रकार के आयातों की समीक्षा करे जो एडीडी अधिसूचनाओं की शर्तों के अनुपालन अनुसार एडीडी को आकर्षित करते है।

राजस्व विभाग उन सभी मामलों में अपनाई जा रही निर्धारण प्रक्रिया की समीक्षा कर सकता है, जहां लेखापरीक्षा की नमूना जांच में निर्धारण प्रक्रियाओं में कमी का उल्लेख किया गया है जिसके परिणामस्वरूप कम या गैर-उगाही होती है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली में प्रणालीगत कमियां को दर्शाया है। जिसमें उत्पादक/निर्माता के नाम की घोषणा, जो उगाही लागू करने की एक अनिवार्य शर्ते हैं, को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। इस कमी को दूर किया जा सकता है।

अध्याय IV

सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और टैरिफ अधिसूचनाओं के प्रावधानों का अननुपालन

4.1 भारत में किसी पोत/विमान में आयातित माल सीमा शुल्क को आकर्षित करता है अलावा इसके जब ये आगमन के बंदरगाह/एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क निपटान के लिए नहीं होते है और उनका उद्देश्य किसी अन्य सीमा शुल्क स्टेशन या भारत से बाहर किसी अन्य स्थान पर पारगमन के लिए है, आयातकर्ताओं द्वारा विस्तृत सीमा शुल्क निकासी आयातित माल की औपचारिकताओं का पालन किया जाना होता है। आयातक को कार्गो, आयातित टैरिफ वर्गीकरण और लागू शुल्क और अन्य अपेक्षित सूचनाओं का विवरण देने के लिए प्रविष्टि बिल (बीई) दायर करना अपेक्षित है। स्व-निर्धारण के अंतर्गत,प्रविष्टि बिल आईसीईएस[39] संदर्भित भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक द्वारा इंटरचेंज (ईडीआई) प्रणाली में आईसीईजीएटीई[40] के माध्यम में इलेक्ट्रॉनिक रूप में दायर किया जा सकता है। गैर-ईडीआई प्रणाली में प्रविष्टि बिल दस्तावेजों के लिए एक निर्धारित सेट के साथ आयातक द्वारा व्यक्तिगत रूप में दायर किया जाता है।

4.2 सीमा शुल्क प्राधिकारियों का निर्धारण कार्य विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत दावा की गई किसी भी छूटों या लाभों को ध्यान में रखते हुए शुल्क देयता का निर्धारण करना हैं। उन्हें यह भी देखना होगा कि क्या आयतित वस्तुओं पर कोई प्रतिबंध या निषेध है और यदि उन्हें किसी अनुमति/लाईसेंस/ अनुज्ञप्ति आदि की आवश्यकता है,और यदि हां,तो क्या इन आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। शुल्क के निर्धारण में अनिवार्य रूप से

---

[39]भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीई) के दो पहलू हैं: (i) कस्टम हाउस का आंतरिक स्वचालन एक व्यापक, पेपरलेस, पूरी तरह से स्वचालित सीमा शुल्क निकासी प्रणाली (ii) ऑनलाइन, व्यापार, परिवहन, बैंकों और के साथ वास्तविक समय इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस के लिए आईसीईगेट के माध्यम से आयात और निर्यात कार्गो की सीमा शुल्क निकासी से संबंधित नियामक एजेंसियां।

[40]आइसगेट भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य/इलेक्ट्रॉनिक डेटाइंटर चेंज (ईसी/ईडीआई) गेटवे के लिए खड़ा है।ICEGATE एक वेब आधारित पोर्टल है जिसके माध्यम से विभाग प्रवेश बिल (आयात वस्तुओं की घोषणा), शिपिंग बिल (निर्यात वस्तुओं की घोषणा), ई-भुगतान, आईपीआर, दस्तावेज़ के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सहित कई सेवाएं प्रदान करता है सीमा शुल्क ईडीआई मेंट्रैकिंग स्थिति, डीईपीबी/डीईएस/ईपीसीजी लाइसेंस, आईईकोड स्थिति, पैन आधारित चाडेटा और सीमा शुल्क व्यवसाय से संबंधित विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण वेबसाइटों/सूचनाओं के लिंक का ऑनलाइन सत्यापन

व्याख्याओं, अध्याय और वर्गो नोटो आदि के नियमों के संबंध में सीमा शुल्क टैरिफ में आयातित वस्तुओं का उचित वर्गीकरण और शुल्क दायित्व का निर्धारण करना शामिल है। इसमें मूल्य का सही निर्धारण भी शामिल है जहां वस्तुएं मूल्यानुसार निर्धारण के योग्य है।

4.3 सीमा शुल्क हाउस सेवा केन्द्र या वेब आधारित आईसीईजीएटीई के माध्यम से आईसीईएस में इलेक्ट्रॉनिक रूप में दायर प्रविष्टि बिल आईसीईएस द्वारा जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस)[41] में प्रेषित किए जाते है। आरएमएस डेटा को स्वचालित चरणों और परिणामों की एक श्रृंखला के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक निर्धारण में संसाधित करता है। यह निर्धारण निर्धारित करता है कि क्या कार्रवाई के लिए प्रविष्टि बिल को लिया जाएगा, अर्थात निर्धारिती अधिकारी या माल की जांच का मैनुअल मूल्यांकन, या दोनों या शुल्क के भुगतान के बाद और किसी भी निर्धारण और जांच के बिना निकासी की गई। जहां आवश्यक हो, आरएमएस मूल्यांकन अधिकारी, जांच अधिकारी या प्रभारी अधिकारी के लिए निर्देश प्रदान करेगा। सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा आरएमएस आधारित आईसीईएस और/या निर्धारण के माध्यम से आयातों की निकासी की प्रणाली को यह सुनिश्चित करना कि छूट दिए जाने से पहले लागू सूचनाओं में निर्धारित शर्तें पूर्ण रूप से पूरी की है।

4.4 आईसीईजीएटीई की पूरी तरह से स्वचालित प्रक्रियाओं ने व्यापक और कागज रहित सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाया है। विभिन्न सीमा शुल्क कमिश्नरी में उत्पन्न अखिल भारतीय लेनदेन डेटा सीबीआईसी के तहत प्रणाली निदेशालय (डीजी/प्रणाली) में रखे गए एक केंद्रीकृत डेटाबेस में इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध है। यह कुछ स्थानों में नमूना-जांच लेनदेनों के बजाय डेटा की शत-प्रतिशत समीक्षा के लिए लेखापरीक्षा को एक अच्छा अवसर प्रदान करती हैं, और सभी सीमा शुल्क कमिश्नरियों में कर कानून के आवेदन की शुद्धता पर सरकार और संसद को उच्च स्तर का आश्वासन देता है। पूर्ण

[41]जोखिम प्रबंधन प्रणाली सुविधा और प्रवर्तन के बीच इष्टतम संतुलन पर प्रहार करने और सीमा शुल्क मंजूरी में आत्म-अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक आईटी संचालित प्रणाली है। यह व्यापार लेन-देन से जुड़े जोखिम का आकलन करने के लिए प्रासंगिक मानदंडों की पहचान करने के लिए इकोनॉमी ट्रिकल मॉडलिंग का उपयोग करता है और प्रत्येक लेन-देन के लिए जोखिम के स्तर को निर्धारित करने और सीमा शुल्क के स्तर को असाइन करने के लिए व्यवस्थित तरीके से मानदंड लागू करता है जोखिम और उपलब्ध संसाधनों के स्तर के अनुसार हस्तक्षेप।

डेटा की उपलब्धता लेनदेनों की नमूना-जांच के लिए सीमा शुल्क परिसरों की लेखापरीक्षा के प्रत्यक्ष दौरे की आवश्यकता को भी कम करती है।

वर्ष 2017-18 के लिए 67 कमिश्नरियों में आयात और निर्यात लेन-देनों के लिए लेखापरीक्षा द्वारा अपेक्षित डेटा सीबीआईसी से बहुत देरी से प्राप्त किया हुआ,और वह भी कई अंतरालों और कमियों के साथ था। इन कमियों को फरवरी 2019 में सीबीआईसी के संज्ञान में लाया गया था,जिसके जवाब अभी भी प्रतीक्षित है।

पूर्ण डेटा के अभाव में,अनुपालन लेखापरीक्षा के इस अध्याय के निष्कर्ष 38 कमिश्नरियों का प्रत्यक्ष दौरा करके क्षेत्र में की गई सीमित लेखापरीक्षा पर आधारित थे। लेखापरीक्षा में,सीमित सीमा तक और नमूना जांच में निष्कर्षों के आधार पर,विभाग द्वारा प्रदान किए गए अखिल भारतीय आंकडों के आधार पर,जोखिम के लेन-देन की कुल संख्या निर्धारित की गई है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की श्रेणी में नमूना-जांच बिन्दू पर भी प्रणालीगत कमियों को देखा गया हैं जिन्हें विभाग द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता है।

4.5 लेखापरीक्षा नमूना: वर्ष 2017-18 के दौरान, कुल 46.04 लाख बीई और 74.68 लाख शिंपिंग बिल (एसबी) तैयार किए गए थे,जिनमें में लेखापरीक्षा में 4.04 लाख बीई (8.77 प्रतिशत) और 1.62 लाख एसबी (2.17 प्रतिशत) के नमूने चुने थे। सीमा शुल्क कमिश्नरी में आयात/निर्यात दस्तावेजों की नमूना जांच के दौरान ₹10 लाख या उससे अधिक के राजस्व निहितार्थ के साथ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को इस अध्याय में शामिल किया गया है।

4.6 लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए गैर-अनुपालन के मामलों को मौटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

i. सामान्य छूट अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग
ii. आयात का गलत वर्गीकरण
iii. लागू शुल्क और अन्य शुल्कों की गलत उगाही

4.7 सामान्य छूट अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 को धारा 25(1) के तहत सरकार को, या तो पूरी तरह या ऐसी शर्तों के अधीन जो अधिसूचना में निर्धारित है, छूट देने की शक्ति है, जो किसी निर्दिष्ट विवरण की वस्तु, सीमा शुल्क के संपूर्ण या उसके किसी भी हिस्से पर देय है।

अप्रैल से मार्च 2018 के दौरान 14 कमिश्नरियों की अनुपालन लेखापरीक्षा की गई, जिसमें सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा या तो आरएमएस या हाथ के माध्यम से निर्धारित संव्यवहारों पर गलत अनुदान छूटों के 10 मामलें सामने लाए, प्रत्येक में ₹10 लाख या उससे अधिक का राजस्व शामिल है जिसमें ₹5.33 करोड़ का कुल राजस्व निहितार्थ है। ₹10 लाख से कम मूल्यों की छूट के गलत अनुदान के व्यक्तिगत मामलों को क्षेत्रीय निरीक्षण रिपोर्टों के माध्यम से स्थानीय कमिश्नरियों को सूचित किया गया है। पांच मामलों की आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है और ₹1.62 करोड़ के राजस्व को शामिल करते हुए शेष पांच मामले जो विभाग द्वारा स्वीकार किए गए है और शुरू की गई वसूली/वसूली की कार्रवाई **अनुलग्नक 8** में उल्लिखित है।

4.7.1 अधिसूचनाओं में स्पष्टता की कमी के कारण 'कम्प्यूटर के लिए प्रिंटर में उपयोग के लिए स्याही कार्ट्रिज' के आयात पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) की कम उगाही

सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 84439951/84439952 के तहत वर्गीकृत करने के लिए 'कम्प्यूटर के लिए प्रिंटर में उपयोग के लिए स्याही कार्ट्रिज' पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को दिनांक 30 जून 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी.शु. के अनुसार पांच प्रतिशत से कम की थी। उसी दिन अधिसूचना सं. 56/2017-सी.शु. दिनांक 30 जून 2017 को जारी की गई थी, जिसमें सीटीएच 84439951/84439952 के तहत आने वाली वस्तुओं अर्थात 1 जुलाई 2017 से प्रिंटर के साथ और प्रिंटर के बिना स्याही कार्ट्रिज हेड पर 10 प्रतिशत बीसीडी बढ़ा दी। हालांकि, अधिसूचना ने पहले (अर्थात 50/2017-सी.शु.) जारी की गई अधिसूचना को संदर्भित नहीं किया और इसलिए इसमें स्पष्टता का अभाव था कि आयात के निर्धारण के लिए कोनसी अधिसूचना होगी।

लेखापरीक्षा ने न्हावा शेवा जेएनसीएच, मुम्बई जोन II और एयर कार्गो कॉम्प्लेस (एसीसी), मुम्बई जोन III के माध्यम से सीटीएच 84439951/84439952 के तहत स्पाही कार्ट्रिज के आयात के संबंध में बिलों की प्रविष्टि (बीई) की नमूना जांच की, उपर्युक्त अधिसूचना सं. 56/2017-सीमा शुल्क और सं. 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून 2017 को यह निर्धारण करने के लिए कि क्या छूट सही प्रकार से लागू की गई थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि जुलाई 2017 से फरवरी 2018 की अवधि के दौरान, कुल 1113 बीई को न्हावा शेवा जेएनसीएच और एसीसी सीमा शुल्क हाऊस के माध्यम से स्याही कार्ट्रिज के आयात के संबंध में दर्ज किया गया था। 1112 बीई में यह उल्लेख नहीं था कि आयातित मद का इस्तेमाल कंम्प्यूटर के लिए प्रिंटर में होना था। कुल 1112 में से, 943 बीई (85 प्रतिशत) का अनंतिम रूप से निर्धारण किया गया जबकि 169 बीएसई की का अंतिम रूप से निर्धारण किया गया था।

अंतिम रूप से निर्धारण की गई 169 बीई में, 122 बीई में बीसीडी 10 प्रतिशत की दर से उगाया गया था जबकि शेष 47 बीई में शुल्क 10 प्रतिशत की बजाय पांच प्रतिशत से उगाया गया था, परिणामस्वरूप ₹ 1.85 करोड़ के शुल्क की कम उगाही हुई। इस प्रकार, अधिसूचना में स्पष्टता की कमी के कारण, जिसमें कम्प्यूटर प्रिंटर के अलावा अन्य उपयोग के लिए स्याही कार्ट्रिज के आयात पर शुल्क लगाने के लिए अधिसूचना लागू होगी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.85 करोड़ के शुल्क की कम उगाही हुई थी।

अन्य 943 बीई का परिणाम, जिसे लेखापरीक्षा के समय में अनंतिम रूप से निर्धारण किया गया था, प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

लेखापरीक्षा टिप्पणी को सितम्बर 2017/जनवरी 2018/फरवरी 2018 में संबंधित कमिश्नरियों को सूचित किया गया था। जवाब में, जेएनसीएच कमिश्नरी ने शुरू में कहा (नवम्बर 2017) कि अधिसूचना संख्या 50/2017-सी.शु (क्रम सं. 230) के अनुसार, आयातित मदों पर शुल्क पांच प्रतिशत की दर से सही ढंग से लगाया गया है। इसके बाद कमिश्नरी ने कहा (नवम्बर 2018) कि दो परेषणों के संबंध में ₹ 23.49 लाख के लिए एक एससीएन एक

आयातक को जारी किया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

कमिश्नरी एयर कार्गो कॉम्पलेक्स (एसीसी), मुम्बई ने कहा (फरवरी 2018) कि ₹ 51.67 लाख के लिए कम शुल्क मांग ज्ञापन आयातक को जारी किया गया है। तथ्य यह है कि विभाग ने बहुसंख्यक बीई (983) में अनंतिम रूप से निर्धारण किया गया था, और 122 ममालों के मामलें में 10 प्रतिशत और अन्य 47 मामलों में पांच प्रतिशत की दर से शुल्क लगाया गया था, यह इंगित करता है कि अधिसूचना सं. 56/2017 सी.शु के जारी होने के बाद स्याही कार्ट्रिज पर लागू शुल्क की दर पर कोई स्पष्टता नहीं थी और विभाग ने इसके तहत आयातों के निर्धारण में असंगत उपागम को अपनाया।

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, को दिनांक 30 जून 2017 की अधिसूचना संख्या 56/2017 को जारी करते हुए, पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 50/2017 सी.शु. के संदर्भ में, उसी दिन जारी किए गए दोनों अधिसूचनाओं के तहत आयातित स्याही कार्ट्रिज पर लागू दर को स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि उन्होनें समान सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक के तहत वस्तुओं को शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए मामलों के अलावा, 2017-18 के दौरान आयातों के डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 1202 समान स्याही कार्ट्रिज 2017-18 के दौरान मुम्बई (वायु), न्हावा शेवा, कोलकाता (वायु एवं समुद्र), बैंगलोर (वायु) दिल्ली वायु, आईसीडी, तुगलकाबाद, चेन्नई (वायु व समुद्र) और कटुपल्ली, तमिलनाडू के माध्यम से आयातित को अधिसूचना संख्या 50/2017-क्यूस के छूट के लाभ की अनुमति दी गई थी। इन आयातों में निहित कुल बीई की लगभग 50 प्रतिशत की विस्तृत जांच से जुड़ी लेखापरीक्षा टिप्पणी के आधार पर, बोर्ड द्वारा अन्य सभी मामलों में अधिसूचनाओं के अनुप्रयोग की सटीकता की जांच की जानी चाहिए।

डीएपी को अक्टूबर 2018 में मंत्रालय को जारी किया गया था; उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

4.7.2 सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान केंद्रों के लिए अनुसंधान उपकरणों के आयात के लिए प्रदान की गई गलत छूट के कारण मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) की कम उगाही

सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर या क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज और अस्पताल के अलावा क्षेत्रीय कैंसर केंद्र को निर्दिष्ट शर्तों (अधिसूचना सं. 51/1996-सीमा शुल्क दिनांक 23 जुलाई 1996) के अधीन बीसीडी की रियायती दर पर अनुसंधान उपकरणों के आयात की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, अधिसूचना में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार 'अस्पताल' में एक संस्थान, केंद्र, ट्रस्ट, समुदाय, संघ प्रयोगशाला क्लिनिक या मातृत्व घर शामिल हैं जो चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या नैदानिक उपचार प्रदान करते हैं। क्षेत्रीय कैंसर केंद्र के लिए छूट उपलब्ध है जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार में पंजीकृत हैं, और आयातक संबंधित विभाग में उप सचिव के रैंक से नीचे के अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है।

पटना में एक कैंसर अस्पताल जो एक गैर-लाभकारी ट्रस्ट द्वारा संचालित है ने सीमा शुल्क कमिश्नरी कोलकाता पोर्ट के माध्यम से ₹ 7 करोड़ मूल्य की,रेडियोथेरेपी के लिए उपयोगी लिनीअर ऐक्सेलरैटर और इसके भागों की तीन परेषणों का आयात (जून/जुलाई 2016) में किया गया। आयातित वस्तुओं को 7.5 प्रतिशत की लागू दर के बजाय पूर्वोक्त अधिसूचना के तहत 5 प्रतिशत बीसीडी की रियायती दर पर मंजूरी दी गई थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि पूर्वोक्त अधिसूचना के तहत छूट गलत तरीके से दी गई थी क्योंकि निर्धारिती को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार के साथ क्षेत्रीय कैंसर संस्थान के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया था। इसलिए, यह पूर्वोक्त अधिसूचना में निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता था। अधिसूचना लाभ के गलत अनुदान के परिणामस्वरूप ₹ 96.65 लाख के शुल्क की कम उगाही हुई।

इस पर बताया जा रहा है (जुलाई 2017), कि सीमा शुल्क कमिश्नरी (पोर्ट), कोलकाता के प्राधिकारियों ने आयातक को एक मांग नोटिस जारी (दिसंबर 2017) किया।

2017-18 के दौरान आयात डेटा के विश्लेषण से पता चला कि मापने के उपकरणों, लैपटॉप, चिकित्सा उपकरणों, वीडियों कैमरा, ऑपरेंटिंग टेबल लाइट, गैस क्रोमैटोग्राफ आदि को 2017-18 के दौरान मुंबई (वायु) न्हावा शेवा, कोलकाता (वायु) और कोचीन (वायु) के माध्यम में चार अस्पतालों द्वारा आयात किया गया था और छूट की अधिसूचना 51/1996 के लाभ की अनुमति दी गई थी। बोर्ड को इन आयातों की जांच करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन आयातों को शुल्क रियायतों का अनुचित लाभ देकर कोई राजस्व की हानि तो नहीं हुई है।

डीएपी को जून 2018 में मंत्रालय को जारी किया गया था, उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

4.7.3 आरएमएस के माध्यम से स्वीकृत औद्योगिक उपयोग के लिए 'वनस्पति वसा और तेल' के आयात पर अनियमित रियायत के कारण मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) की कम उगाही

अधिसूचना संख्या 12/2012 सीमा शुल्क (क्रम सं. 58) के अनुसार, सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक (सीटीएच) 1509/1515 के तहत वर्गीकरणीय 'वनस्पति तेल' (परिष्कृत और खाद्य ग्रेड के अलावा) का आयात मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) की रियायती दर के लिए पात्र नहीं है।

औद्योगिक उपयोग के लिए बने वनस्पति तेल के आयातों के लिए अधिसूचना लाभों के गलत अनुप्रयोग पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों को 2017 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 1 (पैराग्राफ सं. 6.2) में सूचित किया गया था जिसे मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

2017-18 के दौरान इसी तरह के आयातों की नमूना जांच में पता चला कि मैसर्स ए और 10 अन्य आयातकों ने एसीसी मुम्बई के माध्यम औद्योगिक उपयोग के लिए 'विभिन्न वनस्पति वसा और तेल' की 30 परेषणों का आयात (अप्रैल 2015 से मार्च 2018) किया गया था आयातित वस्तुओं को 'कॉस्मेटिक

उपयोग/औद्योगिक उपयोग के लिए कच्चे माल' के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

विभाग ने गलत तरीके से पूर्वोक्त अधिसूचना के लाभों को अनुमति दी और 100 प्रतिशत लागू होने के बजाय 7.5 प्रतिशत/ 15 प्रतिशत/20 प्रतिशत की रियायती दरों पर बीसीडी लगाने के बाद वस्तुओं को मंजूरी दे दी। खाद्य ग्रेड के तहत आयातित वस्तुओं का गलत वर्गीकरण और छूट के लाभ के कारण ₹ 39.84 लाख की राशि के शुल्क का कम उगाही हुई।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ये आयात आरएमएस आधारित निकासी के अधीन थे, जिसने संकेत दिया कि अधिसूचना शर्तों को प्रणाली में सही तरीके से शामिल नहीं किया गया था, यद्यपि पहले की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इसी तरह के निष्कर्ष सूचित किए जिन्हें मंत्रालय द्वारा सुधारात्मक उपायों के आश्वासन के साथ स्वीकार किया गया था।

यह बताए जाने पर (अगस्त से अक्टूबर 2017), विभाग ने कहा (अक्टूबर/दिसम्बर 2017) कि कम शुल्क सह मांग नोटिस सभी आयातकों को जारी किए गए हैं और एक आयातक से ₹ 1.79 लाख की वसूली की सूचना (अप्रैल 2018) दी है। लेखापरीक्षा में नमूना-जांच किए गए मामलों के अलावा, 2017-18 के दौरान आयातों के डेटा के विश्लेषण से पता चला कि कॉस्मेटिक/औद्योगिक उद्देश्यों के लिए बैंगलोर (वायु), दिल्ली (वायु), मुम्बई (न्हावा शेवा) और मुम्बई (वायु) के माध्यम से आयातित 21 इसी तरह के आयातों को छूट अधिसूचना के लाभ की अनुमति दी गई। बोर्ड इन आयातों की जांच और सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

डीएपी को अक्टूबर 2018 में मंत्रालय को जारी किया गया था, उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

4.7.4 झींगा खाद्य आयातों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) की कम उगाही को आरएमएस के माध्यम से मंजूरी

दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012 सी.शु के क्रम सं. 107 के अनुसार सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक (सीटीएच) 230990 के तहत वर्गीकरणीय 'गोली के रूप में' झींगा खाद्य, श्रिम्प लार्वी खाद्य और मछली खाद्य पर 5 प्रतिशत की दर पर बीसीडी के लिए उदग्राहय है।

मैसर्स बी लिमिटेड और एक अन्य, हवाई सीमा शुल्क, चेन्नई के माध्यम से ₹ 1.13 करोड़ मूल्य के "झींगा/श्रिम्प खाद्य" के चार परेषणों का आयात (अप्रैल 2016 में मार्च 2017) किया गया, जिन्हें 'झींगा और श्रिम्प खाद्य' के रूप में सीटीएच 23099031 के तहत वर्गीकृत किया था और पूर्वोक्त अधिसूचना के संदर्भ में 5 प्रतिशत पर रियायती बीसीडी को आरएमएस के माध्यम से मंजूरी दी गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयातित वस्तुएं 'गोली के रूप' में नहीं थे और इसलिए विस्तारित छूट क्रम में नहीं थी ओर बीसीडी को 30 प्रतिशत की दर पर उद्ग्राहय थी। अधिसूचना लाभ के गलत विस्तार के परिणामस्वरूप ₹ 29.15 लाख के शुल्क की कम उगाही हुई थी।

यह बताने पर (जून 2017/जून 2018), मंत्रालय/विभाग ने मैसर्स बी इंडिया लिमिटेड को एससीएन के जारी (अगस्त/दिसम्बर 2018) किए जाने और दूसरे आयातक से ₹ 14.20 लाख की वसूली की सूचना दी गई।

चूंकि आयात आरएमएस आधारित निकासी के अधीन थे इसलिए यह स्पष्ट करता है कि आरएमएस अधिसूचना शर्तों को लागू करने में असमर्थ था, जो दर्शाता है कि आरएमएस में मैंपिंग करने के व्यापार नियम अपर्याप्त था।

लेखापरीक्षा में नमूना-जांच किए गए मामलों के अलावा, 2017-18 के दौरान आयातों के डेटा के विश्लेषण से पता चला कि न्हावा शेवा, चेन्नई (वायु एवं समुद्र), हैदराबाद और हैदराबाद (वायु) के माध्यम से आयातित 122 इसी तरह के आयातों को छूट अधिसूचना के लाभ की अनुमति दी गई थी। बोर्ड को इन आयातों की जांच करने और सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

4.7.5 स्पीकर/हैडफोन्स के आयात पर गलत दर के अनुप्रयोग के कारण आईजीएसटी की कम उगाही

स्पीकर, हैडफोन्स, इयरफोन या एम्पलिफायर आदि के पार्टस सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक (सीटीएच) 85189000 के तहत वर्गीकरणीय है और दिनांक 1 जुलाई 2017 एकीकृत कर (दर) की अधिसूचना 1 की अनुसूची IV के क्रम सं. 148 के अनुसर 28 प्रतिशत की दर पर आईजीएसटी लगाया गया।

मैसर्स सी लिमिटेड और अन्य दो ने आईसीडी, तुगलकाबाद के माध्यम से स्पीकर, हैडफोन आदि के पार्टस को सात पारेषणों से आयात (जुलाई से सितम्बर 2017) किया गया। आयातित माल को सीटीएच 85189000-भागों के तहत सही तरीके से वर्गीकृत किया गया था लेकिन आईजीएसटी को 28 प्रतिशत की लागू दर के बजाय 18 प्रतिशत की दर दिनांक 4 जुलाई 2017 के एकीकृत कर (दर) की अधिसूचना 1 की अनुसूची III की क्रम सं. 380 के अनुसार) से गलत तरीके से लगाया गया था। इस प्रकार, आईजीएसटी दर के गलत अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप ₹ 20.28 लाख के शुल्क की कम उगाही हुई।

इस पर बताए जानेपर (अक्टूबर 2018), राजस्व विभाग (डीओआर) वित्त मंत्रालय ने आयातकों से ₹ 3.16 लाख के ब्याज सहित ₹ 20.28 लाख की वसूली की सूचना (जून 2019) दी।

4.8 माल का गलत वर्गीकरण

आयातित मदों का वर्गीकरण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय-समय पर जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के प्रावधानों के तहत शासित है। लागू शुल्क की उगाही आयातित मदों के प्रयुक्त वर्गीकरण पर निर्भर करती है।

रिकॉर्डों की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा में आयातित माल के गलत वर्गीकरण के कारण सीमा शुल्कों की कम उगाही/गैर-उगाही के 21 मामलें देखें जिसमें ₹ 10 लाख या उससे अधिक का निहितार्थ राजस्व शामिल थे, जिसमें कुल राजस्व निहितार्थ ₹ 9.66 करोड़ था। ₹ 10 लाख से कम मूल्य के आयात के गलत वर्गीकरण के व्यक्तिगत मामलों की क्षेत्रीय निरिक्षण रिपोर्टों के माध्यम से स्थानीय कमिश्नरियों को सूचना दी गई है।

अध्याय में वर्णित गलत वर्गीकरण के 21 मामलों में से, विभाग ने ₹ 4.84 करोड़ के मामलों को स्वीकार किया है और सात मामलों **(अनुलग्नक-9)** में ₹ 1.74 करोड़ की वसूली की गई है। अन्य तीन मामले की इस अध्याय मे चर्चा की गई है।

4.8.1 मुख्य रूप से फूलों की खेती के लिए हर्बेशिअस पौधों के बीजों को अन्य बीजों के रूप में गलत वर्गीकत किया

सीमा शुल्क टैरिफ के अनुसार, मुख्य रूप से अपने फूलों की खेती किए जाने वाले हर्बेशिअस पौधों के बीजों को सीटीएच 12093000 के तहत वर्गीकरणीय और 15 प्रतिशत की दर पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) का उद्ग्राहय है। (दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सी.शु के क्रम. सं.47)

हर्बेशिअस पौधों के बीजों के गलत वर्गीकरण के मामलें को पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट (2017 की एआर सं. 1 के पैरा सं. 6.3) में सूचित किया गया था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया और आश्वासन दिया (मई 2017) कि सभी क्षेत्रीय संरचनाओं को संवेदनशील बनाया जा रहा है।

बीई लेखापरीक्षा की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (एसीसी), मुम्बई के माध्यम से छह आयातकों द्वारा आयातित (जनवरी 2016 से सितम्बर 2017) 'बुवाई के लिए विभिन्न हर्बेशिअस पौधों (मैरीगोल्ड, टैगेटस आदि) के फूलों के बीज' के बत्तीस पारेषणों को सीटीएच 12099190/12099990 के तहत अन्य वनस्पति बीजो/अन्य बीजों के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था और शुल्क 5 प्रतिशत (दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सीमा शुल्क के क्रम सं. 42) की रियायती दर पर निर्धारित किया था।

चूंकि आयातित मदों को बुवाई के लिए हर्बेशिअस पौधों के बीज, मुख्य रूप से फूलों के उद्देश्य से उगाए गए थे, इन्हें सीटीएच 12093000 के तहत उचित रूप से वर्गीकृत और 15 प्रतिशत की दर पर बीसीडी को निर्धारित किया जाना चाहिए। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 2.28 करोड़ के शुल्क की कम उगाही हुई।

यह बताए जाने पर (अगस्त 2017) विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017) कि चार आयातकों को कम प्रभार ज्ञापन जारी किया गया। डीएपी जून 2018 में मंत्रालय को जारी किया गया था, उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

आयात डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 2017-18 के दौरान मुंबई एयर कार्गो के माध्यम से 89 इसी तरह के आयात किए गए थे और सीटीएच 1209 के तहत वर्गीकृत किया गया था और 5 प्रतिशत की दर या बीसीडी से छूट उद्ग्रहित की गई थी। बोर्ड इन आयातों की जांच और सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

4.8.2 "समुद्र शैवाल चूर्ण" का गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम उगाही

टैरिफ प्रयोजनों के लिए मदों के वर्गीकरण को अपनाते हुए 'सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची की व्याख्या के लिए नियमावली के नियम 3 (क) के संदर्भ में, शीर्षक जो सबसे विशिष्ट विवरण प्रदान करता है, को सबसे सामान्य विवरण प्रदान करने वाले शीर्षक को वरीयता दी जाएगी।

तद्नुसार, 'पौधा विकास विनियामकों' जो एक पौंधे की विकास प्रक्रिया में परिवर्तन लाती है ताकि विकास में तेजी या मंदता हो उपज में सुधार हो, गुणवत्ता में सुधार या फसल की कटाई की सुविधा आदि को सीटीएच 38089340 के तहत वर्गीकृत किया जा सके। वर्तमान में 'पौधा विकास विनियामकों' के पांच मान्यता प्राप्त समूह हैं जिनहें पौधा हार्मोन्स भी कहा जाता है: ऑक्सिन, गिबेरेलिन साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड (एबीए) और एथिलीन।

समुद्री शैवाल और समुद्री शैवाल व्युत्पन्न उत्पादों जैसे कि वनस्पति समुद्र शैवाल से प्राप्त "समुद्री शैवाल चूर्ण" में समुचित समुद्रीय जैव-सक्रिय पदार्थ की पर्याप्त मात्रा होती है अैर विभिन्न विकास नियामकों जैसे साइटोकिनिन, ऑक्सिन, गिबेरेलाइन आदि की उपस्थिति के कारण फसल उत्पादन में जैव उत्तेजक के रूप में उपयोग किया जाता है साथ साथ मैक्रों पोषक तत्वों की उपस्थिति जो पोधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हैं। समुद्री शैवाल चूर्ण को सभी प्रकार के पौधों के लिए पौधा वृद्धि प्रोत्साहक के रूप में उपयोग

किया जाता है और इसलिए पूर्वोक्त व्याख्या नियमावली के संदर्भ में सीटीएच 38089340 के तहत वर्गीकरणीय और 10 प्रतिशत की दर से मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) आकर्षित करता है, सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्कों के समतुल्य 12.5 प्रतिशत उत्पाद शुल्क भी लागू है।

जेएनसीएच, मुम्बई के माध्यम से सात आयातको द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे और कनाडा से 'विलयशील समुद्रीय शैवाल चूर्ण' के अठारह पारेषणों का आयात (जनवरी 2016 से मार्च 2017) किया गया था। माल को पशु या वनस्पति उत्पादों के मिश्रण या रासायनिक उपचार द्वारा उत्पादित 'पशु और वनस्पति उर्वरकों के रूप में सीटीएच 31010099 के तहत गलत तरीके से वर्गीकृत किया और बीसीडी 10 प्रतिशत व सीवीडी 12.5 प्रतिशत की बजाए क्रमश: बीसीडी 7.5 प्रतिशत व सीवीडी शुन्य प्रतिशत की दर से निर्धारित की गई। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 7.76 करोड़ के शुल्क की कम उगाही हुई।

आयात डेटा के विश्लेषण में पता चला कि 2017-18 के दौरान जेएनसीएच, मुम्बई के माध्यम से इसी तरह के 48 आयातों को सीटीएच 3107/3808 के तहत वर्गीकृत किए और 10 प्रतिशत से कम दर पर बीसीडी को उद्ग्रहित किया गया था।

चूंकि लेखापरीक्षा द्वारा नमूना-जांच किए गए बीई का गलत वर्गीकरण का पता लगाए बिना आरएमएस के माध्यम से सुविधा प्रदान की गई थी इसलिए यह संकेत जाता है कि आरएमएस नियमावली सीटीएच 3101 और 3808 के लिए वर्गीकरण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बोर्ड इन आयातों की जांच और सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

यह बताए जाने पर (अप्रैल 2017) विभाग ने कहा (मई / सितम्बर 2017 / अक्टूबर 2018) कि पांच आयातकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अन्य आयातकों के संबंध में जवाब प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

4.8.3 ब्रश कटर, रीपर और उसके पुर्जो को, फैलाने या तरल पदार्थ छिडकने/कटाई या थ्रेशिंग मशीनरी के लिए यांत्रिक उपकरणों का गलत वर्गीकरण

सीटीएच 8433 के तहत नामकरण (एचएसएन) नोट के हार्मोनाइज्ड प्रणाली के अनुसार एक हल्के धातु फ्रेम पर स्व-निहित आंतरिक दह इंजन वाले लॉन, घास ट्रिमर और ब्रश कटर के लिए पोर्टेबल मशीनों और कटिंग उपकरणों में लैंस को सीटीएच 8433 के तहत वर्गीकरण से बाहर रखा और सीटीएच 84672700 के तहत वर्गीकरणीय है और उसके हिस्सों को सीटीएच 84679900 के तहत वर्गीकरणीय है। विषय वस्तुएं 12.5 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त सीमा शुल्क का उदग्रहाय है।

पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट (2015 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 8 के पैरा सं. 6.4) में घास और ब्रश कटर का गलत वर्गीकरण बताए गए थे, जिसे मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया था।

चेन्नई, समुद्र कमिश्नरी के माध्यम से नौ आयातकों द्वारा ब्रश कटर बास/खरपतवार के विभिन्न मॉडलों और उसके भागों के 22 पारेषणों का आयात किया गया था। आयतित माल को सीटीएच 8467 के तहत कृषि/बागवानी/कटाई करने वाली मशीनों और उनके भागों के बजाए सीमा शुल्क टैरिफ के विभिन्न शीर्षकों जैसे 8424/8432/8433 के तहत गलत वर्गीकरण किया और सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क के शून्य दर पर मंजूरी दी गई थी। गलत वर्गीकरण के परिणामसव्रूप ₹ 77.85 लाख के शुल्क की कम उगाही हुई।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इन आयातों के लिए अधिकांश बीई आरएमएम आधारित निर्धारण के अधीन थी।

यह बताने पर (नवम्बर 2017) विभाग ने एक मामले में ₹ 758 की वसूली की जानकारी दी। शेष आयातकों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)। आयात डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 2017-18 के दौरान मुम्बई (वायु एवं समुद्र), चेन्नई (समुद्र), दादरी और कोलकाता (समुद्र) के माध्यम से किए गए। इसी प्रकार के 33 आयातों को सीटीएच 8479, 8409, 8433 के अन्तर्गत गलत वर्गीकरण किया गया और शुल्क से छूट प्रदान की गई। बोर्ड इन आयातों की जांच करे और सुधारात्मक कार्रवाई करे।

4.9 लागू शुल्क और अन्य प्रभारों की अल्प वसूली/वसूली न होना

रिकॉर्ड की नमूना जांच (नवम्बर 2016 से मार्च 2018) में ₹10 लाख या उससे अधिक राजस्व निहितार्थ के 16 मामलों का पता चला जिनमें आयात त्रुटिपूर्ण रूप से निर्धारित किए गए थे। कुल राजस्व निहितार्थ ₹73.10 करोड़ था। 16 मामलों में से, विभाग ने ₹37.67 करोड़ के 12 मामले स्वीकार किए और उनमें वसूली की जा चुकी है/वसूली प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है **(अनुलग्नक 10)**। अन्य 4 चार मामलो पर अनुवर्ती पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

4.9.1 मोटर स्प्रिट के आयातों को अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाए बिना निकासी

''एल्किलेट'' जिसे ''हरित पेट्रोल'' के रूप में भी जाना जाता है, नियमित पेट्रोल की तुलना में 99 प्रतिशत साफ होता है और बोट इंजन, मोटरबाईक, गो-कार्टस, मोपेड आदि को चलाने में प्रयुक्त होता है। यह सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 27101219 के अन्तर्गत सीमा शुल्क टैरिफ के ''अन्य मोटर स्पिरिट'' के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है और अधिसूचना सं. 06/2015-सीमा शुल्क दिनांक 1 मार्च 2015 के अन्तर्गत ₹ 6 प्रति लिटर की दर से अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाए जाने योग्य है।

एक आयातक ने समुद्र सीमा शुल्क, चेन्नई के माध्यम से ₹ 111.86 करोड़ मूल्य के ''एल्किलेट'' के दो परेषण आयात किए। सामान को सीटीएच 27101219 ''अन्य मोटर स्पिरिट'' के अन्तर्गत सही रूप से वर्गीकरण किया गया था लेकिन पेट्रोल पर लगाए जाने वाले ₹ 6 प्रति लीटर के अतिरिक्त सीमा शुल्क लागू नहीं किया गया। सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क न लगाये जाने के कारण ₹ 17.60 करोड़ का कम शुल्क लगाया गया।

यह बताने पर (जुलाई 2017) विभाग ने कहा (अक्टूबर/नवम्बर 2017) कि आयातक को मांग नोटिस जारी किया गया है और अधिनिर्णयन की कार्रवाई प्रगति पर है।

आईसीईएस डाटा के विश्लेषण से पता चला कि मुंबई (वायु), व न्हावा शेवा के माध्यम से 2017-18 के दौरान इसी प्रकार के दो आयात सीटीएच 27101960/27102000 के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण रूप से निर्धारित किए गए। बोर्ड इन आयातों की जांच करे और सुधारात्मक कार्रवाई करे।

जून 2018 में मंत्रालय को मसौदा लेखापरीक्षा पैराग्राफ जारी किया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

4.9.2 अंतर्देशीय कंटेनर डिपों (आईसीडी) के संरक्षक द्वारा अल्प बीमा

सीमा शुल्क क्षेत्र विनियमन, 2009 में कार्गो सेवा प्रदाता के (एचसीसीएआर) का विनियम 5 (I) (III) यह प्रावधान करता है कि सीमा शुल्क कमिश्नर की संतुष्टि के अनुसार अनुमानित क्षमता के आधार पर सीमा शुल्क क्षेत्र में भंडाारित किए जाने वाले माल के औसत मूल्य के समान राशि का बीमा और आयातक या निर्यातक द्वारा पहले से ही बीमित माल के संबंध में सीमा शुल्क कमिश्नर द्वारा विनिर्दिष्ट राशि के समान बीमा किया जाएगा।

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने अपने परिपत्र सं. 32/2013 दिनांक 16 अगस्त 2013से यह स्पष्ट किया है, कि सीसीएसपी द्वारा उपलब्ध बीमा की राशि 30 दिनों की अवधि के लिए (अनुमानित क्षमता पर आधारित) सीमा शुल्क क्षेत्र में भंडारित किए जाने वाले माल के औसत मूल्य के समान होनी चाहिए और आयातक या निर्यातक द्वारा पहले से ही बीमित माल के संबंध में सीमा शुल्क कमिश्नर द्वारा विनिर्दिष्ट राशि के समान बीमा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सीबीआईसी ने परिपत्र सं.42/2016 सीमा शुल्क दिनांक 31 अगस्त 2016 के द्वारा बीमा की राशि में संशोधन कर इसे 10 दिनों की अवधि के लिए सीमा शुल्क क्षेत्र में भंडारित किए जाने वाले माल के औसत मूल्य के समान किया गया।

वर्ष 2016-17 के दौरान प्रबंधित किए गए कार्गों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आईसीडी, आगरा ने ₹ 39.58 करोड़ के मूल्य के आयात कार्गों तथा ₹ 1311 करोड़ के निर्यात कार्गो का प्रबंधन किया। सरंक्षक द्वारा कार्गो और कंटेनर के संबंध में ₹ 20 करोड़[42] का बीमा किया जिसमें 2017-18 के लिए सहयंत्र और एयर कार्गो परेषण के हानि/नुकसान भी शामिल था। तथापि, उपरोक्त, सीबीईसी परिपत्रों के अनुसार मै. कॉनकॉर, संरक्षक द्वारा 2016-17 की अवधि के लिए प्रबंधित आयात और निर्यात कार्गो के मूल्य पर आधारित (10 दिनों के लिए माल के औसत मूल्य पर) 2017-18 के लिए

[42]सहायंक यंत्रों को हानि /नुकसान सहित कार्गो तथा कंटेनर के संबंध में: ₹ 15 करोड़ + एयर कार्गो परेषण की ओ: ₹ 5 करोड़ (कुल ₹ 20 करोड़)

₹ 36.99 करोड़[43] का बीमा किया जाना था। इस प्रकार संरक्षक द्वारा 2017-18 के लिए ₹ 16.99 करोड़[44] का अल्प बीमा किया गया।

यह बताने पर (फरवरी/मार्च 2018) कमिश्नरी ने यह स्वीकार किया (अगस्त 2019) कि संरक्षक द्वारा सीमा शुल्क देनदारियों को कवर करने के लिए अल्प बीमा किया गया और आईसीडी, आगरा के संरक्षक को बोर्ड के परिपत्र सं. 42/2016 सीमा शुल्क दिनांक 31 अगस्त 2016 के अनुसार बीमा पॉलिसी लेने को कहा गया है। अक्तूबर 2018 में मंत्रालय को मसौदा लेखापरीक्षा पैराग्राफ जारी किया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्तूबर 2019)।

4.9.3 मोबाईल/स्मार्ट फोन आयातों पर मूल सीमा शुल्क का कम लगाना

सीटीएच 85171210/85171290 के अन्तर्गत श्रेणीबद्ध सेल्यूलर नेटवर्क या अन्य बेतार नेटवर्क के लिए टेलिफोन अधिसूचना सं. 91/2017-सीमा शुल्क दिनांक 14 दिसम्बर 2017 के अनुसार 15 प्रतिशत की दर से मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) लागू किए जाने योग्य है।

मै. डी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मै. ई लिमिटेड ने एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स मुम्बई जोन ।।। के माध्यम से मोबाईल/स्मार्ट फोन की तीन परेषणों का आयात (दिसम्बर 2017) किया। माल सीटीएच 85171210/85171290 के अन्तर्गत वर्गीकरण था लेकिन 15 प्रतिशत की लागू दर की अपेक्षा 10 प्रतिशत की दर से बीसीडी लगाकर निकासी की गई। इसके परिणामस्वप ₹ 58.76 लाख की अल्प बीसीडी लागू हुई। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन सभी आयातों के लिए बीई की सुविधा आरएमएस के माध्यम से प्रदान की गई थी। सही वर्गीकरण के बावजूद भी शुल्क का कम लगाया जाना यह दर्शाता है कि सिस्टम सुधारित लागू शुल्क की दर के साथ अद्यतित नहीं था।

यह बताने पर (जनवरी/मार्च 2018) विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 2018) कि ₹ 47.24 लाख के अन्तर का शुल्क और ₹ 1.90 लाख का ब्याज मै. डी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से वसूल कर लिया गया है। जबकि मै. ई लिमिटेड द्वारा किए गए आयात के संबंध में, विभाग ने कहा कि माल का निर्धारण 15 प्रतिशत बीसीडी के साथ ही किया गया था, अत: आयातक द्वारा कोई अतिरिक्त शुल्क

[43](39.58+1310.65)X10/365=₹ 36.99 करोड़

[44]₹ 36.99 करोड़ - ₹ 20 करोड़ = ₹ 16.99 करोड़

का भुगतान नहीं किया जाना है। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रिकॉर्ड के अनुवर्ती पुर्नजांच पर लेखापरीक्षा ने पाया कि मै. ई लिमिटेड के संबंध में बिल्स ऑफ एंट्री का निर्धारण 10 प्रतिशत बीसीडी के अनुसार ही किया गया था।

आईसीईएस डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 2017-18 के दौरान मुम्बई (वायु), बंगलौर (वायु) और दिल्ली (वायु) के माध्यम से इसी प्रकार के 17 आयात किए गए, जिनमें 15 प्रतिशत की लागू दर की अपेक्षा 10 प्रतिशत बीसीडी लगाई गई। बोर्ड इन आयातों की जांच करे और सुधारात्मक कार्रवाई करे।

जून 2018 में मंत्रालय को डीएपी जारी किए गए थे, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्तूबर 2019)।

4.9.4 पवन परिचालित विद्युत जनरेटरों के लिए उपस्कर/घटकों के भागों के आयात पर सीवीडी का न लगाया जाना

सीटीएच 84834000, 85030010 तथा 85030090 के अन्तर्गत आने वाले पवन परिचालित विद्युत जनरेटरों के लिए कास्टिंग चाहे मशीनीकृत हो या नहीं, जब चीन गणराज्य में निर्मित या आयातित हो, उस पर सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 1/2016 (सीवीडी) दिनांक 19 जनवरी 2016 के अन्तर्गत सीवीडी की निर्धारित दर के अनुसार लागू होगी।

मै. एफ इंडिया इंडस्ट्रीयल प्राईवेट लिमिटेड और दो अन्य आयातकों ने (जून 2016 से फरवरी 2017) एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (एसीसी) मुम्बई के माध्यम से पवन परिचालित विद्युत जनरेटरों के कास्टिंग भागों के 10 परेषणों का आयात किया। विभाग ने आयातित माल का निर्धारण सीटीएच 84834000, 85030010 तथा 85030090 के अन्तर्गत श्रेणीबद्ध किया, लेकिन निर्धारित सीवीडी लगाए बिना ही माल की निकासी कर दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 25.46 लाख का कम शुल्क लगाया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन सभी आयातों के लिए बीई आरएमएस द्वारा निकासी की गई थी।

यह बताने पर (अगस्त/नवम्बर 2017) विभाग ने सूचित किया (नवम्बर 2017) कि सभी आयातकों को अल्प प्रभार मांग ज्ञापन जारी किए जा चुके है।

आईसीईएस डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 2017-18 के दौरान चैन्नई (समुद्र) तथा कृष्णापत्तनम (पोत) के माध्यम से इसी प्रकार के 120 आयात किए गए जिन पर सीवीडी नहीं लगाई गई। बोर्ड इन आयातों की जांच करे और सुधारात्मक कार्रवाई करे। अगस्त 2018 में मंत्रालय को मसौदा लेखापरीक्षा पैराग्राफ जारी कर दिए गए थे, उनका उत्तर प्रतिक्षित है (अक्तूबर 2019)।

4.10 अन्य अनियमितताएं

आयातों पर ब्रैंड दर की ड्राबैक का त्रुटिपूर्ण संस्वीकरण

ड्रॉबैक के ब्रांड दर का निर्धारण ड्रॉबैक नियमावली के नियम 8(2) के विषयाधीन है जो यह व्याख्या करता है कि आयातित माल के फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) का मूल्य आयातित इनपुट के लागत बीमा मालभाड़ा (सीआईएफ) से अधिक होगा जो निर्यात माल के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त होने के लिए घोषित होते है अर्थात उनके द्वारा आयातित इनपुट में मूल्य संवर्धन होता है।

4.10.1 केरल में मै. जी ने अगस्त 2016 में निर्यातित सीटीएस 33019029 के अन्तर्गत वर्गीकृत ₹ 45.20 लाख मूल्य के 2700 कि ग्रा. "पापरिका ओलियोरेजिन" के संबंध में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के नियम 7(1) के अन्तर्गत ब्रैंड दर के ड्रॉबैक के निर्धारण हेतु याचिका (सितम्बर 2016) डाली। 2700 कि.ग्रा के आयात उत्पाद का उत्पादन ₹ 38.59 लाख के मूल्य के आयातित 2146.60 कि.ग्रा. कच्चे ओलियोरेजिन से विनिर्मित 2104.40 कि.ग्रा. रिफाइंड पापरिका ओलियोरेजिन के साथ स्थानीय रूप से खरीदी गई ₹ 1.40 लाख मूल्य की 595.60 कि.ग्रा. देसी पापरिका ओलियोरेजिन के सम्मिश्रण से उत्पादित की गई।

विभाग ने आयातक को ₹ 16.01 लाख का ड्रॉ बैक संस्वीकृत किया। चूंकि पार्टी ने इनपुट पर भुगतान किए गए आयात शुल्क के प्रति ब्रैंड दर निर्धारण के लिए ड्रॉबैक नियम 1995 के नियम 7 के अन्तर्गत आवेदन किया था, यह निर्यात माल के विनिर्माण में प्रयुक्त आयातित माल की मात्रा के अनुपात में निर्यात माल के एफओबी मूल का वह भाग है जिस पर मूल्य संवर्धन निर्धारण हेतु विचार किया जा सकता है।

ब्रैंड दर ड्रॉबैक के निर्धारण के लिए मूल्य संवंर्धन निर्धारित करते हुए देसी ओलियोरेजिन का एफओबी के आनुपातिक मूल्य (₹ 9.97 लाख)[45] की अपेक्षा देसी ओलियोरेजिन की क्रय लागत (₹ 1.40 लाख) एफओबी मूल्य (रूपये में) में से प्रत्यक्ष रूप से घटा दी जाती। शेष आंकडों पर मूल्य संवर्धन हेतु विचार किया गया जिसमें सकारात्मक मल्य संवर्धन दर्शाया गया जो कि गलत था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि जब 2104.40 कि.ग्रा. के निर्यातित पापरिका ओलियोरेजिन उत्पाद के साथ 2146.40 कि.ग्रा. आयातित कच्चे माल की सीआईएफ मूल्य से तुलना की गई तो ज्ञात हुआ कि मूल्य संवर्धन नकारात्मक था। आयातित कच्चे माल के सीआईएफ मूल्य ₹ 38.59 लाख[46] के प्रति 2104.40 कि.ग्रा. के निर्यातित उत्पाद का अनुपातिक एफओबी मूल्य ₹ 35.23 लाख[47]था जो नकारात्मक[48] मूल्य संवर्धन को दर्शाता है। तदनुसार, निर्यातक को संस्वीकृत ₹ 16.01 लाख का ब्रांड दर ड्रॉबैक अनियमित था।

यह बताने पर (अप्रैल/मई 2017) विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2017) कि फर्म द्वारा यह बयान दिया गया था कि निर्यात उत्पाद को सम्मिश्रण हेतु प्रयुक्त देसी पापरिका ओलियोरिजिन (595.60 कि.ग्रा.) किसी प्रक्रिया से नही गुजारी थी और चूंकि उसमें कोई मूल्य संवर्धन नही था अत: उसकी क्रय लागत ₹ 1.40 लाख को निर्यातित लागत में प्रयुक्त आयातित कच्चे माल (2104.40 कि.ग्रा.) के मूल्य संवर्धन की गणना करने हेतु कुल एफओबी मूल्य (₹ 45.20 लाख) में से घटा दिया गया था।

यह उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि ड्रॉबैक नियमावली, 1995 के नियम 2(ई) में विनिर्माण शब्द की व्याख्या माल में किए गए सभी प्रसंस्करण या कोई अन्य परिचालनों के रूप में की गई है। मानकीकरण के लिए सम्मिश्रण निरपवाद रूप से प्रक्रिया के रूप में विनिर्माण की परिभाषा के लिए अर्हक होता है अत:

---

[45](2700 किलो के एक्सपोर्ट प्रोडक्ट का एफओबी वैल्यू ₹ 45.20 लाख) x 595.60 किलो (स्वदेशी इनपुट) / 2700 (कुल क्यूटी एक्सपोर्ट) = ₹ 9.97 लाख।

[46]2700 किलोग्राम लाल शिमला ओलेरेसिन ₹ 45.20 लाख का एफओबी मूल्य, 2104.4 किलोग्राम का आनुपातिक मूल्य = (45.20 x 2104.40) /2700 = ₹ 35.23 लाख.

[47]2146.40 किलोग्राम (2104.4 किलोग्राम + 42 किलोग्राम बर्बादी उत्पन्न) का सीआईएफ मूल्य: ₹ 38.59 लाख

[48]मूल्यवर्धन= {(एफओबी-सीआईएफ वैल्यू)/सीआईएफ वैल्यू} * 100 यानी {₹ 35.23 - ₹ 38.59/38.59)*100 = (-) 8.7%

सम्मिश्रण के लिए प्रयुक्त देसी पापरिका ओलियोरेजिन का अनुपातिक एफओबी मूल्य (₹ 9.97 लाख) इसकी क्रय लागत (₹ 1.40 लाख) की अपेक्षा निर्यात उत्पाद के एफओबी मूल्य में से घटाया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त 2104.40 कि.ग्रा. के निर्यात उत्पाद का (पापरिका ओलियोरेजिन) विभाग द्वारा विचारित अनुपातिक एफओबी मूल्य ₹ 43.40 लाख के सापेक्ष केवल ₹ 35.23 लाख था।

जारी किए गए लेखापरीक्षा प्रत्युत्तर की प्रतिक्रिया (मार्च 2018) में विभाग ने सूचित किया (मई 2018 कि ब्रैंड दर ड्रॉबैक के संवितरण पर रोक लगा दी गई है तथा निर्यातक को कारण बताओं नोटिस जारी किया जा चुका है (अप्रैल 2018)।

मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को अस्वीकार करते हुए अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2019) कि ब्रैंड दर निर्धारण ड्रॉबैक नियमावली 1995 के नियम 8 के साथ पठित बोर्ड परिपत्र सं. 14/2003 सीमा शुल्क दिनांक 06 मार्च 2003 के विषयाधीन है, जो यह व्याख्या करता है कि निर्यात माल का एफओबी मूल्य प्रयुक्त किए गए उद्घोषित निर्यात इनपुट की सीआईएफ मूल्य से अधिक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि आयातित और देसी इनपुट की मात्रा के अनुपात मे एफओबी मूल्य का प्रभाजन करना उचित नही होगा क्योंकि यह सम्मिश्रण कार्यकलाप के कारण होने वाले मूल्य संवर्धन की अवहेलना करता है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि लेखापरीक्षा नियम 8(2) और बोर्ड के परिपत्र के लागूकरण के साथ कोई विवाद नहीं कर रहा, लेकिन 2104.40 कि.ग्रा. के निर्यात उत्पाद (पापरिका ओलियोरेजिन) के एफओबी मूल्य की गणना के तरीके पर आपत्ति उठा रही है। मंत्रालय ने देसी इनपुट के सम्मिश्रण के कारण होने वाले मूल्य संवर्धन को पहले ही स्वीकार कर लिया। इस प्रकार, प्रयुक्त देसी इनपुट (595.60 कि.ग्रा.) का एफओबी मूल्य को आयातित इनपुट के एफओबी मूल्य प्राप्त करने हेतु समान मात्रा में प्रभाजित किया जाना था जिसके परिणामस्वरूप् नकारात्मक मूल्य संवर्धन हुआ।

4.10.2 आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क का अधिक आकलन

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (बोर्ड) ने सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा14(2) के अनुसार अधिसूचना सं. 36/2001 सीमा शुल्क (एनटी) दिनांक 3 अगस्त 2001 के अन्तर्गत सुपारी के लिए टैरिफ मूल्य निर्धारित किए है, जिन्हें संशोधन अधिसूचनाओं के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जाता है। इस प्रकार जिन वस्तुओं के लिए टैरिफ मूल्य निर्धारित किए गए है, उनका निर्धारण केवल ऐसे टैरिफ मूल्य के संदर्भ में किया जाएगा।

आइजवाल सीमा शुल्क डिवीजन की सीमा शुल्क (निवारक) कमिश्नरी, एनईआर, शिलॉग के अन्तर्गत जोक्हॉ थार लैंड स्टेशन (एलसीएस) पर मैनुअली निर्धारित बिल ऑफ एंट्री की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि दिसम्बर 2013 से नवम्बर 2015 के दौरान सुपारी आयात के 214 मामलों में विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य को अपने आप में टैरिफ मूल्य को उपचारित करने की अपेक्षा बीमा और उतराई प्रभार जोड़ कर निर्धारण मूल्य (एवी) की त्रुटिपूर्ण गणना करने के कारण लागू किए जाने वाले सीमा शुल्क का अधिक निर्धारण किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.76 लाख की राशि का अधिक सीमा शुल्क लगाया गया।

यह बताने पर (सितम्बर 2016) कमिश्नरी प्राधिकारियों ने कहा (सितम्बर/नवम्बर 2016) कि क्योंकि सभी आपत्तिपूर्ण बीई का बीजक मूल्य टैरिफ मूल्य से अधिक था, निर्धारित मूल्य प्राप्त करने हेतु बीमा और उतराई प्रभार शामिल करके उस मूल्य को ही ले लिया गया जैसा कि आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क निर्धारण करने हेतु सामान्यतया किया जाता है और सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 27 के अनुसार अधिक शुल्क के पुर्नभुगतान के लिए कोई दावा नही किया गया था।

कमिश्नरी का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सीमा शुल्क सरकार द्वारा निर्धारित आयातित वस्तुओं के टैरिफ मूल्य के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए और ऐसे आयातों का निर्धारण करने में निर्धारण अधिकारी को समुचित सावधानी बरतनी चाहिए।

बोर्ड ने बाद में सीमा शुल्क (निवारक) कमिश्नरी एनईआर शिलॉन्ग के मामले में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (मार्च 2019)।

आईसीईएस के डाटा विश्लेषण से यह पता चला कि 2017-18 के दौरान न्हावा शेवा और चेन्नई (समुद्र) के माध्यम से किए गए इस प्रकार के आयातों में

टैरिफ शुल्क नहीं लगाया गया था। बोर्ड इन आयातों की जांच करे और सुधारात्मक कार्रवाई करे।

4.11 निष्कर्ष

इस अध्याय में 3107 बीई और अन्य सहायक दस्तावेजों की नमूना जांच के द्वारा विद्यमान अधिसूचनाओं, लागू सीमा शुल्क टैरिफ, शुल्क और करारोपण के अननुपालन के मामलों पर प्रकाश डाला गया है जो आयातों के किए गये निर्धारण में लेखापरीक्षा के संज्ञान में आए। ₹ 88.42 करोड़ का राजस्व या तो छूट अधिसूचनाओं के त्रुटिपूर्ण लागूकरण के कारण शुल्क के न/कम लगाए जाने के कारण, आयातित वस्तुओं को गलत श्रेणीबद्ध करने के कारण या शुल्क कर और फीस के त्रुटिपूर्ण लागूकरण से जोखिम पर था।

मंत्रालय/विभाग ने 41 मामलों को स्वीकार किया ओर रिपोर्ट के अंतिम रूप देने के समय तक ₹ 6.57 करोड़ की वसूली की। रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के समय तक इस अध्याय में रिपोर्ट किए गए कुल 49 मामलों में से 8 मामलों में मंत्रालय/विभाग का उत्तर प्रतिक्षित था।

यद्यपि मंत्रालय द्वारा कई मामलों में शुल्क की वसूली हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की गई है, यहां यह बताना आवश्यक है कि ये केवल कुछ निदर्शी मामले है। चाहे आरएमएस आधारित निर्धारण हो अथवा मैनुअल निर्धारण इस प्रकार की भूल-चूक की त्रुटियों की सम्भावना कई अन्य मामलों में मौजूद हो सकती है। लेखापरीक्षा ने जहां पर भी लागू हो आयात डाटा का प्रयोग करके इस प्रकार के सभी लेनदेनों का आकलन करके राजस्व के संभावित जोखिम की मात्रा का निर्धारण करने का प्रयास किया है। विभाग को उन सभी लेनदेन की समीक्षा करने की आवश्यकता है, जिनमें राजस्व हानि का जोखिम हो, इसमें सीबीआईसी डाटा के विश्लेषण पर आधारित लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारित किए गए लेनदेन भी शामिल है।

यह नोट करना प्रासंगिक है कि नमूना जांच में लेखापरीक्षा द्वारा जांच किये गये बीई बडी संख्या आरएमएस के माध्यम से निर्धारित की गई जो यह दर्शाता है कि निर्धारण आधारित प्रणाली को सुविधा प्रदान करने हेतु आरएमएम में तय किए गए निर्धारण नियम अपर्याप्त थे।

आरएमएस में तय और जोखिम मानदंडों को अद्यतित करने की प्रक्रिया की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

अध्याय- V

विदेश व्यापार नीति की विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों का अननुपालन

5.1 भारतीय विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) व्यापार सुविधाकरण में सुधार और व्यापार करने में आसानी पर ध्यान केन्द्रीत करने के साथ वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एक रूपरेखा प्रदान करती है। केन्द्र सरकार द्वारा विदेश व्यापार (विकास और विनियमन),(एफटीडीआर) अधिनियम, 1992 यथा संशोधित की धारा के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एफटीपी 2015-2020 अधिसूचित की हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) एफटीपी बनाने के लिए उत्तरदायी है, जो डीजीएफटी और राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किए जाते हैं।

एफटीपी के अंतर्गत निर्यात प्रोत्साहन योजनाओंको निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया जा सकता है:

(i) **भारत से निर्यात योजनाएं:** इनका उद्देश्य निर्यातकों को अवसंरचनात्मक अक्षमताओं और शामिल संबद्ध लागतों को ऑफसेट करने के लिए पुरस्कार प्रदान करने तथा निर्यातकों को समान अवसर प्रदान करना है। इस श्रेणी के अंतर्गत दो प्रमुख योजनाएं मर्चेंडाईज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) तथा सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया (एसईआईएस) हैं।

(ii) **शुल्क छूट और छूट योजनाएं:** ये निर्यात उत्पादन हेतु पूंजीगत वस्तुओं और अन्य इनपुट के लिए शुल्क मुक्त आयात या रियायती दरों पर आयात या निर्यातित वस्तुओं के उत्पादन के दौरान निर्यातकों द्वारा भुगतान किए गए करों और शुल्कों में शुल्क छूट उपलब्ध कराती हैं। अग्रिम प्राधिकरण, शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण तथा ड्रॉबैक शुल्क इस श्रेणी के अंतर्गत महत्वपूर्ण योजनाएं है। निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (ईपीसीजी) योजना प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर निर्यात वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन हेतु शून्य रियायती दरों पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात हेतु सुविधा प्रदान करती है।

डीजीएफटी विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत निर्यातकों को स्क्रिप जारी करता है और 38 क्षेत्रीय लाइसेंस कार्यालयों (आरएलए) के नेटवर्क के माध्यम से अपने संबंधित दायित्वों के निगरानी करता है। सभी 38 आरएलए कंप्यूटरीकृत हैं और डीजीएफटी केन्द्रीय सर्वर से जुड़े हुए हैं। डीजीएफटी द्वारा जारी स्क्रिपों के अंतर्गत आयातों को विनियमित करने के लिए सीबीआईसी द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं और इन स्क्रिपों को आयुक्तों के अधीन सीमा शुल्क गृह में संबंधित निर्यातक द्वारा पंजीकृत किया जाना होता है। निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत आदानों और पूंजीगत वस्तुओं का आयात पूरी तरह से या आंशिक रूप से सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है। ऐसी छूट प्राप्त वस्तुओं के आयातक निर्धारित निर्यात दायित्वों को पूरा करने के (ईओ) साथ विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करने का कार्य करते हैं-साथ, जिसके पूरा न करने के कारण शुल्क में छूट प्राप्त सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क विभाग द्वारा वसूली योग्य हो जाता है। सीमा शुल्क विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के अतिरिक्त, लाइसेंसधारी जारी किए गए लाइसेंस की शर्तों को पूरा नहीं करने पर एफटीडीआर अधिनियम 1992 के तहत डीजीएफटी द्वारा दण्डात्मक कार्रवाई करने के अधीन है।

विदेश व्यापार नीति के अध्याय **3** के अंतर्गत कतिपय अन्य स्कीमों के संबंध में**,** अवसंरचनात्मक अक्षमताओं और संबद्ध लागतों की भरपाई करने के लिए एक पुरस्कार के रूप में निर्यातके एफओबी मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान है।

5.2 निर्यात दायित्व को पूरा न करने के संबंध में लगातार अनियमितता

क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों को चार सप्ताह की निर्धारित अवधि के भीतर उनकी प्रतिक्रिया के लिए लेखापरीक्षा इकाइयों को निरीक्षण रिपोर्ट (आईआर) के माध्यम से चिन्हित किया जाता है।

इन वर्षों में, लेखापरीक्षा में अग्रिम प्राधिकरण और अन्य योजनाओं जैसी निर्यात संवर्धन योजनाओं के लाइसेंस धारकों द्वारा निर्धारित निर्यात दायित्वों को पूरा न किए जाने के आवर्ती मामलें पाए गए है।एक बार की कार्रवाई के रूप में, ऐसे सभी मामलों में वर्ष 2000 से 2017 के दौरान अनुपालन

लेखापरीक्षा में 22[49] आरएलए और पांच सीमा शुल्क कमिश्नरों, जहां विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की सूचना नहीं दी गई थी, समेकित किया गया और 1043 पैरा में यह देखा गया था कि अग्रिम प्राधिकार और ईपीसीजी योजनाओं के अंतर्गत जारी लगभग 3000 लाइसेंस के मामले शामिल हैं जिनमे निर्धारित निर्यात दायित्व को पूरा नहीं किया गया था, इनमें लाइसेंस धारकों द्वारा छूट और अन्य कर लाभों के रूप में लाभ उठाने वाले ₹ 4205 करोड़ रुपये के राजस्व निहितार्थ था।

तथापि, न तो आरएलए और न ही सीमा शुल्क कमिश्नरी ने शुल्क वसूली से बची ₹ 4205 करोड़ की बची हुई राशि के लिए लाइसेंस धारकों के प्रति उनके द्वारा शुरू की गई किसी वसूली कार्रवाई की जांच करने की सूचना दी थी, न ही लेखापरीक्षा को लेखापरीक्षा अवधि में इस राशि पर इन मामलों की स्थिति की सूचना दी गई है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (अक्टूबर 2018) और राजस्व विभाग (अक्टूबर 2018) को इस बारे में बताया गया।

वित्त मंत्रालय, डीओआर ने सूचित किए गए निर्यात दायित्वों के पूर्ण न किए जाने के अधिकांश मामलों को स्वीकार (मई 2019) करते हुए सूचित किया कि एससीएन/शुल्क मांग की पुष्टी करने और वसूली कार्रवाई /मांग पत्रों को जारी कर दिया है।कुछ मामलों में डीओआरने बताया कि उनके पास सीमा शुल्क में प्राधिकरण के पंजीकरण से सम्बंधित विवरण नहीं था और उसने डीजीएफटीसे लाइसेंस विवरण मंगाए है।तथापि, डीओआर ने चूककर्ता मामलों को आगे बढ़ाने के बारे में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार न करते हुए सूचित किया है कि निष्पादन की निगरानी के लिए क्षेत्रीय संरचनाओं के लिए अनुदेश परिपत्र (जनवरी 2011/अक्टूबर 2016) में जारी किए गए है।

---

[49]आरएलए: वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, बेंगलुरु, पानीपत, अमृतसर, चेन्नई, त्रिची, कोयंबटूर, पुडुचेरी, मदुरै, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, कटक, कोलकाता, वाराणसी, मुरादाबाद, देहरादून, कानपुर, मुंबई, सूरत और पुणे।
कमिश्नरेट: सिक्का, आईसीडी बेंगलुरु, एसीसी बेंगलुरु, चेन्नई समुद्र और सीमा शुल्क (पी) नौतनवास

तथ्य यह है कि निर्देश जारी करने के बावजूद भी, सीमा शुल्क क्षेत्रीय संरचनाओं ने ईओ अवधि से तीन महीने बीत जाने के बाद भी वूसली कार्रवाई आरंभ नहीं की जैसाकि आयात अधिसूचना में यथा निर्दिष्ट है जिसके लिए लाइसेंस धारकों ने सीमा शुल्क प्राधिकारियों को ब्रैंड/प्रतिभूति/जमानत प्रस्तुत की थी।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 219 मामलों में ईओ के पूर्ण न किए जाने को स्वीकार किया और कहा कि इनमें कारण बताओं/मांग नोटिस जारी किए जा चुके है। अन्य 215 मामलों में मंत्रालय ने कहा कि निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र (ईओडीसी) ईओ के पूर्ण होने पर आयातकों को पहले ही जारी किए जा चुके थे। यद्यपि ईओडीसी के विवरण लेखापरीक्षा को जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए थे। मंत्रालय ने कहा कि 148 मामले जांच के अधीन है। शेष मामलों में, मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

5.3 निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत वस्तु (ईपीसीजी) योजना के अंतर्गत निर्यात दायित्व पूर्ण करने में कमियां

विनिर्माण क्षेत्र में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु, पूंजीगत वस्तु निर्यात प्रोत्साहन (ईपीसीजी) योजना के अंतर्गत विदेश व्यापार योजना, शून्य या शुल्क के रियायती दर पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात को अनुमत करती है। इस बदले में, योजना का लाभ ले रहे निर्यातकों/विनिर्माताओं पर आयातित पूंजीगत वस्तुओं से विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात के लिए आयातित पूंजीगत वस्तुओं पर छूट प्राप्त आयात शुल्क का छह/आठ गुना[50]निर्यात दायित्व लगाया जाता है। निर्यात दायित्व प्राधिकार जारी होने की तिथि से छह/आठ वर्षों[51]की अवधि में पूर्ण किए जाने चाहिए। ऐसे आयातों पर अनुमत शुल्कों पर छूट से राजस्व का लोप होता है, जो सरकार को प्राप्त होना चाहिए होता है। ईओ की पूर्णता में चूक होने पर, लाईसेंस धारक को विनिर्दिष्ट ब्याज के साथ ईओ की अपूर्ण राशि के अनुपात में शूल्क वापस करना होगा।

[50]निर्यात दायित्व शून्य शुल्क पर आयात के मामले में छह गुना और रियायती 3% शुल्क के मामले में बचत की गई शुल्क का आठ गुना है

[51]शून्य शुल्क और 3% रियायती दर के लिए क्रमशः

डीजीएफटी सशर्त लाईसेंस जारी करता है जो यथानिर्दिष्ट बॉन्ड और बैंक गारंटी के साथ विशिष्ट सीमा शुल्क पत्तन पर पंजीकृत होने हैं। डीजीएफटी और सीमा शुल्क विभाग योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए उत्तरदायी है। वि.व. 2017-18 के दौरान रियायती शुल्क और प्रोत्साहन द्वारा निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं से कुल ₹ 41,477 करोड़ के राजस्व का लोप हुआ। तीन प्रमुख निर्यात निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं ईपीसीजी योजना में लोप हुए कुल राजस्व का 91 प्रतिशत (₹ 38,010 करोड़) भाग शामिल था। ईपीसीजी योजना लाईसेंस धारकों द्वारा कई प्रणालीगत कमियों के साथ ईओ पूर्ण न किए जाने का मामला वर्ष 2011 (2011 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं0 22) में प्रस्तुत पूर्ववर्ती निष्पादन लेखापरीक्षा में पहले ही उठाया जा चुका है। सीएजी ने, अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित विभागों नामत: डीजीएफटी और सीमा शुल्क समन्वय और निगरानी तंत्र को मजबूत करने की सिफारिश की जिसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ईपीसीजी लाईसेंस के लेनदेनों की लेखापरीक्षा के दौरान ईपीसीजी योजना के कार्यान्वयन में कमियां नियमित रूप से देखी गई, जिन्हें इस रिपोर्ट के पैरा 5.2 के अंतर्गत सूचित किया गया है।

लेखापरीक्षा ने 2017-18 के दौरान शोधन हेतु लंबित ईपीसीजी लाईसेंस की समीक्षा तीन आरएलए[52], से चयनित नमूना फाईलों के आधार पर किया, लेखापरीक्षा रिपोर्ट में एक मुद्दे पर बार-बार टिप्पणियां की गई हैं।ईपीसीजी लाईसेंस समीक्षा के निष्कर्षो की नीचे दीर्घ पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

5.3.1 वर्ष 2008-09 के दौरान ₹ 17,037 करोड़ के सीआईएफ मूल्य और ₹1,38,440 करोड़ के मूल्य के निर्यात वस्तुओं के दायित्व के साथ 19931 ईपीसीजी लाईसेंस जारी किए गए। वर्ष 2008-09 के दौरान आरएलए मुम्बई, गोवा और पूणे से 22 प्रतिशत लाईसेंस जारी किए।

तदनुरूप, पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित तीन आरएलए द्वारा लाईसेंस के नमूनों की जांच की गई:-

(i) अपर डीजीएफटी, मुबंई,

(ii) संयुक्त डीजीएफटी, पूणे, तथा

[52]अतिरिक्त डीजीएफटी, मुंबई, संयुक्त डीजीएफटी, पुणे और डिप्टीडीजीएफटी, गोवा

(iii) उप डीजीएफटी, गोवा

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2008-09 के दौरान जारी 688 लाईसेंस के एक नमूने का चयन किया जो 31 मार्च 2017 तक ऋणमुक्ति हेतु देय थे। कुछ लाईसेंस जो पूर्ववती अवधि में जारी हुए थे लेकिन शोधन हेतु लंबित थे, उनका चयन भी किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा अनुरोध किए गए 688 लाईसेंस मामलों में से लेखापरीक्षा हेतु 626 मामले फाईल उपलब्ध कराए गए जैसा नीचे तालिका में दर्शाया गया:

तालिका सं.5.1

क्र.सं.	आरएलए	वितीय वर्ष	जारी लाईसेंस	क्रेडिट शुल्क	चयनित संख्या	प्रस्तुत सं0 और लेखापरीक्षित	क्रेडिट शुल्क (करोड़₹)
1	अपर डीजीएफटी, मुम्बई	2008-09	3042	5205	444	404	2224
2.	संयुक्त डीजीएफटी, पूणे	2008-09	857	542	176	157	348
3.	उप डीजीएफटी गोवा	2005-06 से 2008-09	567	160	68	65	72
			4466	**5907**	**688**	**626**	**2644**

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

5.3.2 लाईसेंस धारकों द्वारा निर्यात दायित्व पूरे न करने के बावजूद प्राप्त शुल्क लाभ की वसूली के लिए विभाग द्वारा कार्रवाई न किया जाना

एफटीपी के पैरा 5.2 के अनुसार, लाईसेंस जारी किये जाने की तिथि से आठ वर्षों में ब्लॉक वार प्राप्त किए जाने वाले पूंजीगत माल के निर्यात पर बचाई गई शुल्क के आठ गुणा के समान इओ की प्राप्ति के अंतर्गत शुल्क की 3 प्रतिशत दर पर पूंजीगत माल का आयात अनुमत किया गया था। लाईसेंस धारक द्वारा 1 से 6 वर्षों के ब्लॉक में 50 प्रतिशत तक और 7 से आठ वर्षों के ब्लॉक में 50 प्रतिशत शेष तक इओ का पूरा किया जाना अपेक्षित है। लाइसेंस धारक की ओर से प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक इओ के ब्लॉक-वार भरे जाने पर एक प्रगति रिपोर्ट संबंधित आरएलए को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। आठ वर्षों की इओ अवधि के पूरा होने पर, लाईसेंस के शोधन हेतु निर्दिष्ट ईओ की पूर्णता के संबंध में लाईसेंसधारी द्वारा प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित

है। आयातक लाईसेंस जारी करने की तिथि से प्रत्येक ब्लॉक के समाप्त होने से 30 दिनों के अंदर पूर्ण किए गए इओ की सीमा दर्शाते हुए सीमा शुल्क प्राधिकारियों को प्रमाण प्रस्तुत करता है

इसके अतिरिक्त प्राधिकरण धारक को संबंधित आरएलए को आयात की पूर्णता से छः महीनों के अंदर पूंजीगत माल के संस्थापन की पुष्टि करते हुए प्राधिकरण धारक के विकल्प पर क्षेत्राधिकार सीमा शुल्क प्राधिकारी या स्वतंत्र सनदी अभियंता से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

आयातक लाइसेंस की शर्तों को पूरा करने के लिए स्वयं को बाध्य करने वाले सीमा शुल्क प्राधिकारी को ब्रांड/सुरक्षा/जमानत प्रस्तुत करता है जिसमें आयातित पूंजीगत वस्तुएं इंस्टाल करना और निर्धारित ईओ की पूर्ति शामिल है। यदि लाइसेंस के निर्यात दायित्व या शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है**,** तो आयातक उक्त ब्लॉक की समाप्ति से तीन महीने के भीतर ब्याज के साथ शुल्क का भुगतान करेगा।

लाइसेंस फाइलों की जांच में लेखापरीक्षा ने पाया कि ईओ की अवधि समाप्त होने के बावजूद विभाग ने 173 मामलों में मांग नोटिस जारी नहीं किए थे। इसके अतिरिक्त, जहां आयातकों ने निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए 60 मामलों में मांग नोटिसों का उत्तर नहीं दिया था वहां विभाग ने एससीएन जारी नहीं किया। कुछ निदर्शी मामलों के नीचे दी गए हैं:

i. **पवन टरबाइन जनरेटर के निर्यात के लिए ईपीसीजी:** आर एल ए, मुम्बई ने वित्त वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान एक आयातक को दो ईपीसीजी लाइसेंस जारी किए थे जिसमें क्रमशः ₹ 47.45 लाख और ₹ 1.26 करोड़ रुपये की शुल्क की बचत की गई थी। ईओ की अवधि मार्च और मई 2016 में समाप्त हो गई और निर्यात का विवरण दर्ज करने के लिए तीन महीने का समय भी समाप्त हो गया था। लाइसेंस फाइलों की जांच करने पर यह पाया गया कि लाइसेंस धारक ने निर्यात वस्तुओं अर्थात पवन टरबाइन जनरेटर और संबंधित उपकरणों के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया था। तथापि, लाइसेंस की किसी भी शर्त के लिए आयातक द्वारा अनुपालन के संबंध में फाइलों में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, जैसे की आयात पूरा होने की तारीख से छह माह के भीतर संस्थापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, ईओ पूर्ति पर

वार्षिक रिपोर्ट, ब्लॉक ईओ आदि की ब्लॉक-वार उपलब्धि आदि। लेखापरीक्षा में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि विभाग ने निर्धारित ईओ की गैर-पूर्णता की रिपोर्ट देने के लिए दंडात्मक कोई कार्रवाई की या सीमा शुल्क विभाग के साथ समन्वय किया।

इसके अतिरिक्त, आरएलए, मुम्बई की ईडीआई प्रणाली की जांच से पता चला कि विभाग ने अप्रैल, 2008/फरवरी, 2009 की अवधि के दौरान आयातक को अन्य 28 लाइसेंस जारी किए थे जिसमें ₹6.12 करोड़ रुपए की शुल्क बचत राशि शामिल थी। इन सभी लाइसेंसों में आयातक ने संस्थापना प्रमाण पत्र और अन्य निष्पादन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे, इसके बावजूद डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली में विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

यह बताने पर (फरवरी 2018), आरएलएने लाइसेंस धारक को नोटिस (अप्रैल 2018) जारी किया। डीजीएफ़टी, नई दिल्ली का उत्तर प्रतीक्षित है। (अक्टूबर 2019)

राजस्व विभाग (डीओआर), सीबीआईसी ने सूचित किया (जुलाई 2019) कि 14 मामलों में एससीएन/मांगों की पुष्टि कर दी गई है और शेष 16 मामलों में सीमा शुल्क के पास प्राधिकारों के पंजीकरण विवरण नहीं है, जो डीजीएफटी से मांगा गया है।

ii. **स्मार्ट कार्ड और सहायक उपकरण के निर्यात के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए ईपीसीजी:**

वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान आरएलए, पुणे ने एक आयातकर्ता को ईपीसीजी प्राधिकरण जारी किया था, जिसमें आठ वर्षों की अवधि के भीतर ₹ 8.86 करोड़ की निर्यात वस्तुओं अर्थात स्मार्ट कार्ड और सहायक उपस्करों के निर्यात में ₹ 1.10 करोड़ की शुल्क बचतभी शामिल थी। अभिलेखों की जांच से पता चला कि इन मामलों में आयातक ने लाइसेंस की शर्तों अर्थात संस्थापना प्रमाण पत्र, ईओ की ब्लॉकवार उपलब्धि, वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुपालन नहीं किया और विभाग ने न तो चूककर्ता पर दंडात्मक कार्रवाई की और न ही सीमा शुल्क विभाग को सूचित किया था।

डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली से यह पाया गया है कि वित्त वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान आरएलए, पुणे द्वारा ₹ 6.99 करोड़ की शुल्क बचत सहित अन्य 7 लाइसेंस जारी किए गए थे। अभिलेखों की जांच से पता चला कि इन मामलों में भी आयातक ने लाइसेंस की शर्तों अर्थात संस्थापना प्रमाण पत्र, ईओ की ब्लॉकवार उपलब्धि, वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुपालन नहीं किया और विभाग ने न तो चूककर्ता पर दंडात्मक कार्रवाई की और न ही सीमा शुल्क विभाग को सूचित किया था।

यह बताने पर (जुलाई 2017) आरएलए ने (जुलाई 2017) ने मांग सह एससीएन जारी किये जाने की सूचना दी।

iii. **खुदरा काउंटर बिक्री के माध्यम से निर्यात दायित्व पूरा नहीं करना:**

वर्ष 2007-08 और 2008-09 की अवधि के दौरान आरएलए, मुम्बई ने एक आयातक को 14 लाइसेंस जारी किए जिसमे जिसमें ₹ 85.80 करोड़ के निर्यात दायित्व के साथ ₹ 10.73 करोड़ रुपए की शुल्क रियायतें शामिल थीं।नमूना जांच से पता चला कि लाइसेंस धारक ने शुल्कों की रियायत दर पर फिक्चर, पॉलिस की हुई टाइलों, एचडीएमआई स्पिलटर, केबल आदि, जैसे सामान आयात किए थे और ईओ को विदेशी मुद्रा में खुदरा काउंटर विक्रयों के द्वारा इसे पूरा करने का प्रस्ताव दिया था। तथापि, आठ वर्षों की संपूर्ण अवधि के दौरान आयातक ने लाइसेंस की किसी भी शर्ते का अनुपालन नहीं किया। विभाग द्वारा इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, यद्यपि सभी चौदह लाइसेंस (2016-17) में ईओ की अवधि समाप्त हो गई थी।

इस ओर इंगित किए जाने पर, आरएलए ने मार्च 2018 को माँग नोटिस जारी किया था, जिसमें आयातक ने बताया कि निर्यात दायित्व में छूट प्राप्त करने के लिए ईपीसीजी समिति, नई दिल्ली को एक अभ्यावेदन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है।

यह स्पष्ट है कि आयातक ने आठ वर्षों की संपूर्ण अवधि के दौरान शर्तों का अनुपालन नहीं किया, और केवल लेखापरीक्षा हस्तक्षेप के बाद जारी किए गए नोटिस प्राप्त करने पर, ईओ में छूट हेतु ईपीसीजी समिति से संपर्क करने का प्रयास किया थ।

IV. **होटल और पर्यटन सेवाओं हेतु निर्यात दायित्वों को पूरा नहीं किया जाना:** पाँच सितारा होटल को चलाने में लगे हुए एक लाइसेंस धारक को आरएलए,

पूणे द्वारा ₹ 4.08 करोड़ की बचाई गई शुल्क राशि के साथ वि.व. 2008-09 के दौरान आठ लाइसेंस जारी किए गए थे। वर्ष-वार ईओ की पूर्ति के विवरण से पता चला कि आठ लाइसेंस में केवल 20 प्रतिशत से 35 प्रतिशत निर्यात दायित्व की पूर्ति की गई। आरएलए ने ब्लॉक-अनुसार ईओ की पूर्ति नहीं होने पर कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की, यद्यपि मार्च 2017 तक सभी लाइसेंसों की अवधि समाप्त हो चुकी थी और ईओ अवधि समाप्त होने से पूर्व विस्तार की मांग नहीं की गई थी। इस प्रकार ₹ 2.59 करोड़ का समानुपातिक शुल्क वसूली योग्य था।

V. **ईपीसीजी के अंतर्गत मर्सिडीज बेंज का आयात:** एक होटल और पर्यटन सेवा प्रदाता को अपने होटल उद्योग हेतु मर्सिडीज बेंज कार का आयात करने के लिए आरएलए, गोवा के द्वारा एक लाइसेंस (जनवरी 2007) जारी किया गया था। हालांकि, पर्यटन वाहन के रूप में पंजीकृत किए जाने वाले वाहन की मूलभूत शर्तों को अभी तक पूरा नही किया गया था। सात वर्षों के विलंब के बाद एससीएन जारी किया गया था परन्तु लाइसेंस धारक को भेजा नहीं जा सका क्योंकि उस समय तक होटल बंद हो चुका था। विभाग ने लाइसेंस धारक का पता लगाने और लाइसेंसधारी के लिए विस्तारित ₹ 24.53 लाख के रियायत शुल्क की वसूली करने के लिए सीमा शुल्क विभाग से समन्वय करने अथवा कोई दूसरा रास्ता निकालने का प्रयास नहीं किया था।

VI. **ईओयू से अवैध निर्यात के माध्यम से एक आभूषण इकाई के निर्यात दायित्व को पूरा करना:** आरएलए,मुम्बई द्वारा ₹1.98 करोड़ की बचाई गई शुल्क संचित राशि के साथ एक आभूषण इकाई के लिए चौदह लाइसेंस जारी किए गए, आयातक ने 12 लाइसेंस में निर्यात निष्पादन प्रस्तुत किया था, जिसके लिए विभाग ने अक्टूबर 2012 और मार्च 2016 के बीच कमीपूरक पत्र जारी किए चूंकि लाइसेंसधारी ने अवैध निर्यात अर्थात निर्यात निष्पादन में ईओयू इकाईयों से निर्यातों को शामिल किया था। हालांकि, लाइसेंसधारी ने आरएलए के कमीपूरक पत्र का उत्तर नहीं दिया, परन्तु विभाग द्वारा एससीएन जारी करके आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई।

नमूना जांच किए गए मामलों में, लेखपरीक्षा में पाया गया कि आरएलए या तो सर्तकता पत्र जारी करने में या शुल्क वूसलने के लिए किसी भी प्रकार की अन्य पूर्व-प्रभावी कार्रवाई प्रारंभ करने में विफल रहे थे, जैसा कि लाइसेंस की शर्तों को पूरा नहीं करने पर एचबीपी खंड 1 के पैरा 5.17 में निर्धरित किया गया था। लेखापरीक्षा में ऐसे साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए कि आरएलए के पास संस्थापन

के प्रामाणीकरण की प्राप्ति का पता लगाने के लिए कोई तंत्र, वर्ष-वार निर्यात निष्पादन रिपोर्ट, और ईओ को पूरा करने में ब्लॉक-वार चूक का पता लगाने के लिए कोई अनुवर्ती तंत्र था। डीजीएफटी, ईडीआई प्रणाली सीमा-शुल्क विभाग से नियमित आधार पर लाइसेंस-वार निष्पादन प्राप्त करने या ब्लॉक-वार ईओ की प्राप्ति नहीं होने के संबंध में किसी भी चेतावनी के लिए सक्षम नहीं थी। डीजीएफटी प्राधिकारी प्रणाली के तहत लाइसेंस छुड़ाने के लिए साक्ष्य को अभी भी मानवकृत रूप से प्रस्तुत करने पर निर्भर थे।

इस ओर इंगित करने पर (जुलाई 2017 से मार्च 2018), संबंधित आरएलए ने ₹ 219.73 करोड़ के शुल्क को शामिल करते हुए 165 मामलों में मांग नोटिस या एससीएन जारी करने के विषय में (जुलाई/अप्रैल 2018) बताया था। डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

5.3.3 अनुचित विदेशी मुद्रा उपार्जन को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण को छुड़ाना

ईपीसीजी योजना के एफटीपी पैराग्राफ 5.3 एवं 5.5 जिसको होटल और रेस्तरां (कैटरिंग उद्योग सहित) सेवा प्रदाताओं के लिए भी विस्तारित किया गया है, जहां विदेशी आंगतुकों को प्रदान की जाने वाली होटल और रेस्तंरा सेवाओं से विदेशी मुद्रा उपार्जन से ईओ की पूर्ति की जानी है। एफटीपी के पैराग्राफ 9.5.3 (ii) के अनुसार ''सेवा प्रदाता'' में भारत से किसी अन्य देश के सेवा उपभोक्ता के लिए भारत से सेवा की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति शामिल है। प्राधिकृत सेवाओं[53] से अर्जित विदेशी मुद्रा को ही ईओ के लिए संगणित किया जाएगा। केवल मुद्रा विनियम सेवाओं से अर्जित विदेशी मुद्रा को ईओ के लिए संगणना नहीं की जाती है।

आरएएल, पूणे ने दो लासेंसधारक को जारी किए गए चौदह ईपीसीजी लाइसेंसों को छुड़ाने की अनुमति दी गई थी, जो पूणे में होटल एवं रेस्तरा उद्योग में लगे हुए थे। निर्यात दायित्व को विदेशी आंगतुकों के अंतर्राष्ट्रीय भुगतान कोर्ड से अर्जित विदेशी मुद्रा एवं आंशिक रूप से अनिर्दिष्ट सेवाएं जिनके साथ सेवा बिल नहीं लगे थे, के लिए ₹ 2.51 करोड़ के नकदी में अर्जित विदेशी मुद्रा के माध्यम को पूरा किया गया था। ईओ पूर्ति के संबंध में ₹ 2.51 करोड़ की संगणित राशि क्रम में नहीं थी।

इस ओर इंगित किए जाने पर (अगस्त 2017), आरएलए, पूणे ने बताया (जनवरी 2018) कि लाइसेंस धारकों ने ₹2.51 करोड़ के लिए अतिरिक्त विदेशी

[53]होटल एवं रेस्तंरा सेवाएं

आवक प्रेषण प्रमाणपत्र (एफआईआरसी) प्रस्तुत किए और छूटों को नियमित किया गया।

आरएलए, पूणे अतिरिक्त एफआईआरसी की प्राप्ति पर छूट को नियमित करते समय पूर्व दृष्टांत में ईओं की गलत पूर्ति हेतु किसी भी प्रकार की शास्ति लगाने में विफल रहा।

तथ्य यह है कि लाइसेंस को गलत तरीके से छुड़ाया गया था, और लेखापरीक्षा द्वारा अनियमितता के विषय में बताए जाने के बाद ही विभाग द्वारा एफआईआरसी की मांग की गई जो यह दर्शाता है कि लाइसेंस को छुड़ाने के समय भी कोई यथोचित कार्रवाई नहीं की गई थी।

5.3.4 औसत निर्यातों के गलत प्रतिफल के आधार पर लाइसेंसों को छुड़ाना

ईपीसीजी योजना के तहत निर्यात दायित्वों को आवेदक के द्वारा प्रदान की गई विनिर्मित वस्तुओं सेवाओं के निर्यात के माध्यम से पूर्ण किया जाना आवश्यक है। निर्यात दायित्व दो प्रकार के होते हैं। औसत निर्यात दायित्व (एईओ) जिसमें निर्यात दायित्व के अतिरिक्त समग्र निर्यात दायित्व अवधि के अंतर्गत समान एवं समरूप उत्पादों हेतु पूर्ववर्ती तीन लाइसेंसिंग वर्षों में प्राधिकार धारक द्वारा प्राप्त निर्यातों के औसत स्तर शामिल होता है। इस प्रकार के औसत समान एंव समरूप उत्पादों हेतु पिछले तीन वर्षों में निर्यात निष्पादन का अंकगणितीय माध्य होगा। निश्चित निर्यात दायित्व बचाई गई शुल्क राशि का 8 गुणा है, जिसमें प्राधिकार धारक वर्ष के प्रत्येक ब्लॉक में न्यूनतम 50 प्रतिशत निर्यात दायित्व को पूर्ण करेगा - पहला ब्लॉक 6 वर्ष का होगा और दूसरा ब्लॉक 2 वर्ष का होगा।

एफटीपी 2009-14 के पैराग्राफ 5.5 के संदर्भ में, योजना के तहत लाइसेंस के लिए निर्धारित नियत किया गया निश्चित ईओ समान एवं समरूप उत्पादों हेतु पूर्ववर्ती तीन वर्षा में प्राप्त किए गए निर्यातों के औसत स्तर के अतिरिक्त होगा। लाइसेंस धारक कोप्रत्येक वर्ष निर्यात के औसत स्तर को बनाए रखते हुए निश्चित ईओ पृथक रूप से प्राप्त करना होता है।

डीजीएफटी की पॉलिसी इंटरप्रिटेशन कमेटी ने अपनी बैठक सं. 5/एम12 दिनांक 9 सितम्बर 2011 के माध्यम से दोहराया था कि पिछले तीन वर्षों के समान और समरूप निर्यातों के औसत को ध्यान में रखते हुए औसत आयात दायित्व (एईओ) को नियत किया जाएगा। यदि इकाई तीन वर्षों से कम समय से अस्तित्व में है तो एईओ उस इकाई के वर्षों के निर्यात का औसत होगा, जिसके दौरान इकाई अस्तित्व में थी।

निम्नलिखित मामलों पर ध्यान दिया गया था जिसमें आरए ने गलत तरीके से औसत निर्यातों को माना था और लाइसेंसों को छुड़ाया था:

(i) आरएलए, मुम्बई ने वि.व. 2010-11 और 2011-12 के दौरान अनुरक्षित किए गए विशिष्ट ईओ और एईओ की प्राप्ति को स्वीकार करते हुए एक आयातक को जारी किए गए लाइसेंस को छुड़ाया था। विशिष्ट ईओ और एईओ हेतु प्रस्तुत किए गए शिपिंग बिलों की सूची की जांच इंगित करती है कि ₹ 15.13 करोड़ मूल्य के एफबीओ को शामिल करते हुए की ईओ और एईओ दोनों में 19 शिपिंग बिलों की दो बार गणना की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.68 करोड़ द्वारा निवल विशिष्ट ईओ में कमी हुई, और शिपिंग बिलों के दोहरे उपयोग की जाँच किए बिना गलत लाइसेंस को छुड़ाया गया।

इस ओर इंगित किए जाने पर (मई 2017) विभाग ने बताया (मार्च 2018) कि निर्यातक ने एईओ सूची से 19 शिपिंग बिलों को हटा दिया, और अभी भी एईओ ने ₹ 1,126.41 करोड़ के अपेक्षित एईओ से अधिक अनुरक्षित किया हुआ है (फार्म सं. 03/97/021/00940/एएम 09 दिनांक 6 मार्च 2018, अतिरिक्त महानिदेशक विदेशी व्यापार, मुम्बई)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा अनियमितता के विषय में बताये जाने के बाद ही विभाग द्वारा मामलों पर ध्यान दिया गया। इसके अतिरिक्त, इसके विपरित प्रावधानों के बावजूद दो बार इन 19 शिपिंग बिलों को शामिल करने के कारणों के विषय में नहीं बताया गया था।

(ii) आरएलए, मुम्बई ने कपड़ा उद्योग में एक आयातक के लिए ईपीसीजी लाइसेंस (जुलाई 2008) जारी किया और यह मानते हुए कि इकाई तीन वर्षों से अस्तित्व में एईओ लगाया था। हालांकि, लेखापरीक्षा द्वारा जांच करने पर पाया गया कि इकाई वि.व. 2006-07 और 2007-08 दो वर्षों ही से अस्तित्व में थी, एईओ तीन वर्षों के बजाय दो वर्षों का औसत होना चाहिए, परिणामस्वरूप ₹ 15.63 लाख द्वारा एईओ का कम निर्धारण हुआ। गलत एईओ के आधार पर 01 नवम्बर 2016 को लाइसेंस को छुड़ाया गया था।

बताए जाने पर आरएलए ने ₹ 46.87 लाख पर एईओ को पुन: नियत किया जिसे फर्म ने अनुरक्षित रखा था।

तथ्य यह है कि इस प्रकार के उदाहरणों से बचने के लिए लाइसेंस जारी करने और ईओ को नियत करने के लिए आरए द्वारा व्यापक सुरक्षा आवश्यक है।

5.3.5 निर्यात दायित्वों का गलत निर्धारण

ईपीसीजी लाइसेंस आठ वर्षों में बचाए गए शुल्क के आठ गुना के बराबर ईओ को प्राप्त करने के लिए जारी किए जाते है। तथापि, लघु उद्योग (एसएसआई) इकाईयों के मामले में, ईओ कम दर पर नियत किया जाता है, आयात किए गए पूंजीगत वस्तुओं पर बचाए गए शुल्क के छः गुणा के बराबर, बशर्ते ऐसे आयातित का सीआईएफ मूल्य ₹ 50 लाख से अधिक न हो और ऐसे आयातों के बाद संयंत्र और मशीनों में कुल निवेश एसएसआई सीमा से अधिक नहीं है। यदि आयात का सीआईएफ मूल्य ₹ 50 लाख से अधिक होता है, तो ईओ को बचाए गए शुल्क के 6 गुणा के बजाए 8 गुणा पर नियत किया जाना था।

आरएलए, पुणे ने 12 मई 2008 को ₹69.01 लाख की बचाई गई शुल्क राशि और ₹ 4.14 करोड़ (बचाए गए शुल्क का 6 गुणा) के ईओ आठ वर्षों में प्राप्त करने के लिए एक आयातक को प्राधिकार जारी किया था। चूंकि प्राधिकार के माध्यम से मांगा गया आयात ₹ 50 लाख की सीमा से अधिक था, एसएसआई इकाई का लाभ अर्थात् बचाए गए शुल्क का 6 गुणा आयातक के लिए विस्तारित नहीं किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.38 करोड़ की मूल्यराशि द्वारा अर्थात दो गुणा ईओ का कम निर्धारण हुआ।

इस ओर इंगित किए जाने पर, आरएलए ने मांग सह एससीएन जारी करने के विषय में बताया (सितम्बर 2017)। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)। डीओआर ने बताया कि पैराग्राफ डीजीएफटी से संबंधित थे।

समग्र लेखापरीक्षा नमूना जांच से पता चला कि लाइसेंस धारक के द्वारा ईपीसीजी की शर्तों को पूरा किए बिना ₹ 306 करोड़ के लाभ लिए गए थे। निर्यात दायित्व की पूर्ति नहीं होना, ईपीसीजी लाइसेंस को अनियमित जारी करने के मामलों में चूक कर्ताओं पर विलंब से कार्रवाई करना, निर्यात दायित्व का गलत निर्धारण और प्राधिकार की अनियमित छूट जैसे मुद्दों ने बहुत से मामलों में इस योजना को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना जारी रखा।

वित्त मंत्रालय, डीओआर ने निर्यात दायित्वों की पूर्ति नहीं होना स्वीकार किया और कि 206 मामलों में कार्रवाई की गई है एससीएन/ मांग पत्र/ शुल्क मांग की पुष्टि करके और वसूली करने की कार्रवाई शुरू करने के संबंध में बताया (मई 2019)। 40 मामलों में, डीओआर ने बताया कि सीमा-शुल्क के पास प्राधिकरण के पंजीकरण के विषय में ब्यौरें नहीं हैं और डीजीएफटी से लाइसेंस के ब्यौरे मांगे गए है। डीजीएफटी की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2019)।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया ने ईपीसीजी योजना के तहत प्राप्त लाभ के लिए निर्यात दायित्व का अनुसरण नहीं होने के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणी की पुष्टि की कि यह एक सतत् समस्या है इस प्रकार निर्यात प्रोत्साहन के लिए अनुमत शुल्क लाभों के प्रभाव को इस सीमा तक अमान्य ठहराया गया कि निर्यात दायित्वों निरर्थक हो गए थे। इसके अतिरिक्त, उन मामलों के विषय में मंत्रालय की प्रतिक्रिया जहां प्राधिकरण के पंजीकरण के ब्यौरे उनके पास उपलब्ध नहीं थे, ने सीमा शुल्क और डीजीएफटी प्राधिकरणों के बीच कमजोर मॉनीटरिंग और सूचना का आदान-प्रदान करने वाले तंत्र को इंगित किया, चूंकि डीजीएफटी द्वारा प्राधिकृत प्रत्येक ईपीसीजी लाइसेंस सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के पास पंजीकृत किया जाना है इससे पहले कि इन लाइसेंसों के तहत आयात हो सके।

डीओआर ने चूककर्ता मामलों का पता लगाते समय कमजोर सूचना आदान-प्रदान करने वाले तंत्र के विषय में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को अस्वीकार करते हुए बताया कि सीमा-शुल्क ईडीआई प्रणाली ईपीसीजी योजना के तहत किए गए निर्यात हेतु डीजीएफटी के साथ नियमित आधार पर शिपिंग बिल के डेटा साझा कर रही है। डीजीएफटी के साथ सीबीआईसी क्षेत्र संरचनाओं द्वारा अभी तक की गई मॉनीटरिंग और समन्वय के संबंध में, आरएलए के साथ सूचना के आदान-प्रदान के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करने हेतु क्षेत्र संरचनाओं के लिए और जहां अवधि समाप्त हो गई हो के लिए वहाँ ईओ की पूर्ति की स्थिति का पता लगाने के लिए एक त्रैमासिक बैठक आयोजित करने के निर्देश/ परिपत्र (जनवरी 2011/अप्रैल 2015/अक्टूबर 2016/मई 2017) जारी किए गए थे।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया ने वस्तु स्थिति का समर्थन नहीं करता जो दर्शाता है कि निर्देशों को जारी करने और ईओ की पूर्ति के मामलों का पता लगाने हेतु संस्थागत तंत्र स्थापित करने के बावजूद सीमा-शुल्क क्षेत्र संरचनाओं ने ईओ अवधि से निर्धारित तीन महीनों की समाप्ति के बाद अपनी ओर से वसूली के लिए कार्रवाई प्रारंभ नहीं की थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर नमूना जांच किए गए मामलों में वसूलियों हेतु कार्रवाई शुरू की गई थी।

5.4 अन्य निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों का अननुपालन

जुलाई 2014 से फरवरी 2017 के बीच संव्यवहारों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा में घरेलु टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) मंजूरी पर शुल्क का कम उद्ग्रहण, न्यूनतम मूल्य संवर्धन की प्राप्ति नहीं होना, फिरती की वसूली नहीं होना जहां निर्यात आय की वसूली नहीं की गई है, देर से की गई कटौती का अधिरोपण नहीं होना/कम होना, अतिरेक क्रेडिट का भुगतान और

समय पर दावों पर शुल्क क्रेडिट का अनुदान के संबंध में अनियमिताएं देखी गई थी।

इन 39 मामलों में शामिल कुल राजस्व निहितार्थ ₹ 40.51 करोड़ था जहां विदेशी व्यापार नीति (एफटीपी) या हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स (एचबीपी) के प्रावधानों को पूरा किए बिना शुल्क में छुटों का लाभ लिया गया था। इनमे से सात मामलों पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है और ₹19.04 करोड़ के राजस्व सहित जो विभाग के द्वारा स्वीकार किए गए 32 मामले और वसूली की गई/शुरू की गई वसूली की कार्रवाई के विषय में **अनुलग्नक-11** में उल्लिखित बताया गया है।

निर्यात उन्मुख इकाईयां (ईओयू)

5.4.1 डीटीए में प्रतिबंधित वस्तुओं की मंजूरी

विदेशी व्यापार नीति (एफटीपी) 2009-14 के पैराग्राफ 6.8 (एच) के अनुसार, निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) घरेलु टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में उत्पादों का विक्रय कर सकती है, विकास आयुक्त की सूचना के तहत और पूर्ण शुल्कों के भुगतान के लिए, जो एफटीपी के तहत स्वतंत्र रूप में आयात करने योग्य[54] है, बशर्ते उनके द्वारा सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया गया है। काली मिर्च और काली मिर्च उत्पादों और संगमरमर के मामले में डीटीए विक्रय अनुमेय नहीं है। इसके अतिरिक्त, डीजीएफटी अधिसूचना सं. 38-आरई/ 2013 दिनांक 26 अगस्त 2013 के अनुसार, ग्रेनाइट (आईटीसीएच कोड़ 68029300) स्वतंत्र रूप से आयात करने योग्य हैं यदि सी.आई.एफ[55] का मूल्य प्रति वर्ग मीटर 80 यूएसडी या इससे अधिक है।

कच्छ कमीश्नरी (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीजीएसटी) के तहत एक ईओयू ने 2014-15 और 2015-16 के दौरान डीटीए में ₹7.59 करोड़ मूल्य के 12949 वर्ग मीटर की ग्रेनाइट स्लैब और टाइलों की मंजूरी दी गई थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि डीटीए में मंजूर किए गए ग्रेनाइट स्लैब का मूल्य क्रमश: वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए यूएसडी 39.96 और यूएसडी 34.14 प्रति वर्ग मीटर था, जो कि उपरोक्त डीजीएफटी अधिसूचना द्वारा निर्धारित 80 यूएसडी प्रति वर्ग मीटर से कम था, इसलिए ये स्वतंत्र रूप से आयात योग्य उत्पादों के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप

[54]वस्तुए स्वतंत्र रूप से आयात योग्य होती है जब देश में आयात एवं निर्यात करने के लिए किसी भी प्राधिकरण या अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।

[55]सीआईएफ - लागत, बीमा और माल-भाड़ा।

डीटीए क्षेत्र में ₹ 7.59 करोड़ मूल्य के 12949 वर्ग मीटर प्रतिबंधित माल ग्रेनाइट स्लैब और टाइलों की अनियमित मंजूरी दी गई।

इस ओर इंगित किए जाने पर, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने बताया (जनवरी 2019) कि जनवरी 2019 में जारी किया गया कारण बताओं नोटिस अधिनिर्णय के अधीन है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

प्रोत्साहन और पुरस्कार योजनाएं (आईईआईएस)

5.4.2 निर्यातित वस्तुओं के पुन: आयात पर दिए गए लाभों को पुनर्प्राप्त करने के प्रावधान की कमी

दिनांक 16 दिसम्बर 1996 की अधिसूचना सं. 94/1996-सीमा-शुल्क के अनुसार, निर्यातित माल का शुल्क मुक्त पुन: आयात निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमेय है:

i. यदि संघ द्वारा लगाए गए सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्कों की प्रति अदायगी के दावों के तहत माल का निर्यात किया गया था, तो सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्कों की प्रति अदायगी राशि का पुन: भुगतान किया जाता है।

ii. यदि निर्यातित माल उत्पाद शुल्क में छूट के दावे के अंतर्गत था या उत्पादन शुल्क के भुगतान के बिना बांड के तहत् था, तो उत्पाद शुल्क की राशि का भुगतान किया जाता है।

iii. यदि निर्यातित माल, शुल्क रियात पास बुक (डीईपीबी) योजना के तहत थे तो आयात पर देय उत्पाद शुल्क की राशि साथ ही निर्यात के समय पर आयात की गई सामग्री के लाभ पर अनुमत प्रति अदायगी की राशि इस शर्त के तहत उद्ग्राहय योग्य है कि आयातक आयात किए गए माल पर अनुमत डीईपीबी क्रेडिट की राशि के बराबर राशि के डेबिट हेतु निष्पक्ष अधिकारी के समक्ष डीईपीबी स्क्रिप प्रस्तुत करता है जिसका आयात किया जा रहा है।

शुल्क वापसी योजना के तहत निर्यातित माल हेतु शिपिंग बिलों के मामले में सीमा-शुल्क विभाग द्वारा भुगतान किए गए प्रति अदायगी के अलावा, विदेशी व्यापार, महानिदेशक (डीजीएफटी) ने एफटीपी के अध्याय-3 के अंतर्गत प्रोत्साहन और पुरस्कार योजनाओं के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप अनुमत किया, जो माल के आयात पर सीमा-शुल्क का भुगतान करने के लिए उपयोग किए गए है। यदि शुल्क वापसी योजना के तहत निर्यात किए गए माल दिनांक 16 दिसम्बर 1996 की अधिसूचना सं. 94-1996 सीमा-शुल्क के तहत पुन: आयात किए जाते हैं, तो पुन: आयातित माल में शामिल शुल्क वापसी की वसूली हेतु अधिसूचना में प्रावधान हैं। परन्तु प्रोत्साहन एवं पुरस्कार योजनाओं के अंतर्गत

डीजीएफटी द्वारा स्वीकृत शुल्क क्रेडिट की वसूली करने के लिए अधिसूचना में कोई प्रावधान नहीं है।

चेन्नई समुद्री सीमा शुल्क, चेन्नई एयर सीमा-शुल्क, तुतीकोरीन समुद्री सीमा शुल्क और आईसीडी सेंट जोनएस, तुतीकोरीन के माध्मय से दिनांक 16 दिसम्बर 1996 की अधिसूचना संख्या 94-1996-सीमा शुल्क के तहत वर्ष 2012 से मार्च 2013 की अवधि के लिए आयातित माल हेतु आगम-पत्र की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि जब भी शुल्क वापसी योजना के तहत निर्यातित माल पुन: आयात किए गए थे तो केवल निर्यातक को भुगतान की गई शुल्क वापसी वसूल की गई थी। एफटीपी के अध्याय-3 के तहत पुरस्कार एंव प्रोत्साहन योजनाओं के तहत दिया गया शुल्क क्रेडिट वसूल नहीं किया गया था। नमूना जांच किए गए मामलों में डीजीएफटी ईडीआई डेटा के साथ पुन: आयातित माल के शिपिंग बिलों की प्रति जांच से पता चला कि पुन: आयातित 376 मामलों में आरएलए, चेन्नई ने एफटीपी के अध्याय 3 के तहत ₹ 1.25 करोड़ के शुल्क क्रेडिट के लाभ अनुमत किए गए थे, जिनको पूर्वोक्त अधिसूचना में प्रॉवधान के अभाव में वसूल नहीं किया जा सका।

मामले के विषय में जून 2017 में संबंधित सीमा शुल्क कमिश्नर को अवगत कराया गया था। तुतीकोरिन सीमा शुल्क, कमिश्नरी ने यह स्वीकार करते हुए कि एफटीपी के अध्याय 3 के अंतर्गत पुरस्कार और प्रोत्साहन योजना के तहत शुल्क क्रेडिट की वसूली के लिए कोई प्रावधान नहीं था, हालांकि, दो आयातकों के संबंध में ब्याज के साथ प्राप्त ऐसे क्रेडिट की वसूली के विषय में बताया जिसकी राशि (मार्च 2018) ₹ 0.73 लाख थी। सीमा शुल्क (वायु) चेन्नई ने अपने उत्तर में बताया (मार्च 2018) कि फर्मों को मांग नोटिस जारी किए गये हैं। अन्य कमिश्नरियों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

5.4.3 अयोग्य निर्यातक को गलत लाभ दिया गया

एफटीपी 2009-14 के पैराग्राफ 3.14.5 के अनुसार दिनांक 18 अप्रैल 2013 की अधिसूचना सं. 3 (आरई-2013) 2009-14 देखिए जिसमें सम्मिलित किया गया कि वृद्धिशील निर्यातों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वार्षिक आधार पर वृद्धिशील निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं (आईईआईएस) शुरू की गई थी। योजना के तहत, एक आईईसी धारक पिछले वर्ष (2012-13) के निर्यातों की तुलना में चालू वर्ष (2013-14) के दौरान एफओबी मूल्य की शर्तों में निर्यातों के संदर्भ में (आईईसी धारक के द्वारा प्राप्त) वार्धिक वृद्धि के दो प्रतिशत की दर पर शुल्क केडिट स्क्रिप का हकदार था। निर्यात जो न्यूनतम निर्यात मूल्य या निर्यात शुल्क के अंतर्गत हैं, आईईआईएस लाभों के अनुदान के लिए अयोग्य हैं

(दिनांक 25 सितम्बर 2013 की अधिसूचना सं. 43 (आरई 2013) 2009-14 देखिए)।

विदशी व्यापार के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजीएफटी) कोलकाता ने वित्तीय वर्ष 2012-13 (57 एसबी) की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013-14 (57 एसबी) में वार्धिक वृद्धि हेतु आईईआईएस के तहत एक निर्यातक के लिए ₹36.37 लाख के लिए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (जनवरी 2015) जारी किया गया था। हालांकि, वर्ष 2012-13 से संबंधित पांच शिपिंग बिलों की संवीक्षा से पता चला कि सभी बिल बांग्लादेश को निर्यात किए गए डी-ऑयल राइस ब्रान से संबंधित थे और सभी मामलों में निर्यात शुल्क का भुगतान किया गया था। यह दर्शाता है कि वर्ष 2012-13 में निर्यातक ने कोई योग्य निर्यात नहीं किए थे और परिणामस्वरूप वर्ष 2013-14 हेतु आईईआईएस के तहत लाभ देना अनुचित था अत: ₹ 36.37 लाख की राशि के इस मामले में दिया गया क्रेडिट शुल्क गलत/ अनुचित था।

यह सितम्बर 2018 में मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

भारत योजना से पोषित (एसएफआईएस)

5.4.4 सम्मिलित कर की कटौती नहीं होने के कारण अतिरिक्त क्रेडिट का अनुदान

एफटीपी 2009-14 के पैराग्राफ 3.12.2 और 3.12.4 के अनुसार, हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स (एचबीपी) खंड-I (2009-14) के परिशिष्ट 41 में सूचीबद्ध सेवाओं के भारतीय सेवा प्रदाता अर्जित विदेशी मुद्रा पर एसएफआईएस स्क्रिप लेने हेतु पात्र होगें। एचबीपी, खंड-I (2009-14) का पैराग्राफ 3.6.1 में यह प्रावधान है कि सेवाओं के प्रतिपादन हेतु अर्जित किए गए विदेशी मुद्रा प्रेषण को पात्रता के लिए सगणित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, डीजीएफटी व्यापार सूचना सं. 11/2015-20 दिनांक 21 जुलाई 2016 में स्पष्ट किया गया है कि सेवा प्रदाता द्वारा उपभोक्ता से संग्रहित सरकारों को देय राज्य/ केन्द्रीय कर, सेवा प्रदाता की आय नहीं है और इसलिए पात्रता को तदनुसार विनियमित किया जाएगा।

होटल एवं पर्यटन संबंधी सेवाओं में लगे हुए सेवा प्रदाताओं के लिए जेडीजीएफटी, कोचीन और जेडीजीएफटी, तिरूवंतपुरम द्वारा जारी किए गए एसएफआईएस स्क्रिप की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि, एसएफआईएस क्रेडिट स्क्रिप संस्वीकृत करते समय, सेवाओं के लिए प्राप्त सकल पारिश्रमिक में शामिल सेवा प्रदाता द्वारा संग्रहित कर नामत: सेवा कर (12.36 प्रतिशत),

विलासिता कर (12.5 प्रतिशत) और खाद्य प्रदार्थों पर वैट (14.5 प्रतिशत) की सकल विदेशी मुद्रा अर्जित से कटौती नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप कोचीन (चार लाइसेंस) और तिरूवनंतपुरत (छः लाइसेंस) में दोनों जेडीजीएफटी कार्यालयों के द्वारा कुल ₹ 60.80 लाख के अतिरिक्त ऋण दे दिया गया।

इस ओर इंगित किए जाने पर, डीएफजीटी, नई दिल्ली ने सेवा प्रदाताओं से ब्याज सहित ₹33.49 लाख की वसूली के विषय में (अगस्त 2018/मार्च 2019) बताया था। एक सेवा प्रदाता का नाम अस्वीकृत प्रविष्टि सूची (डीईएल) में रखा गया था, जबकि एक सेवा प्रदाता ने विरोध के तहत ₹9.93 लाख मूल्य के दो स्क्रिप का अभ्यर्पण कर दिया और केरल उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

5.4.5 अन्य अनियमितताएं:

5.4.5.1 दायित्वों का गलत निर्वहन

विदश व्यापार नीति (एफटीपी) 2009-14 के पैराग्राफ 5.7 में निर्धारित किया गया है कि प्रत्यक्ष निर्यातों के मामले में, निर्यात दायित्व वास्तविक शुल्क की बचत राशि के संदर्भ में गणना की जाएगी, जबकि पूंजीगत वस्तुओं की घरेलु सोर्सिंग के मामले में निर्यात दायित्व को फ्री ऑन रोड (एफओआर)[56] मूल्य बचाए गए आनुमानिक सीमा शुल्क के संदर्भ में संगठित माना जाएगा।

चार आयतकों को जारी किए गए 20 ईपीसीजी प्राधिकार में, जहां आरएलए, अहमदाबाद में निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र (ईओडीसी) जारी किया गया, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 17 प्राधिकारों में, आवेदकों ने प्राधिकार को अमान्य कर दिया चूंकि प्रत्यक्ष आयातों का हालांकि पूंजीगत वस्तुओं को स्वदेशी रूप से स्रोत बनाया गया था। दस्तावेजों की संवीक्षा पर, यह पाया गया कि आरएलए ने पूर्वोक्त एफटीपी के पैराग्राफ 5.7 के तहत आपेक्षित रूप से आनुमानित सीमा-शुल्क के बजाय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में शुल्क की बचत के बाद घरेलु अधिप्राप्ति की अनुमति देने वाले लाइसेंसधारियों के लिए उनके निर्यात दायित्व को निर्वहन करने की अनुमति दी थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.38 करोड़ पर निर्यात दायित्व की कम पूर्ति हुई।

इस विषय में बताए जाने पर डीजीएफटी, नई दिल्ली ने कहा कि एक मामले में ईओ के पुन: निर्धारण हेतु प्रस्तुत संसोधित पत्रों की जांच की जा रही है। शेष

[56]एफओआर सड़क पर भाड़ा है जिसे फ्री ऑन रोड़ के नाम से भी जाना जाता है। क्रेता/ ग्राहक को किसी भी परिवहन शुल्क के बिना आपूर्तिकर्ता से ग्राहक तक माल परिवहन में होने वाली लागत।

तीन मामलों में फर्मों को संशोधित ईओ की पूर्ति के विषय में बताने के लिए कहा गया। अननुपालन के मामले में, एफटीडीआर अधिनिमय के तहत कार्रवाई की जाएगी। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

5.4.5.2 देरी से की गई कटौती को नहीं लगाना/कम लगाना

हैंडबुक ऑफ प्रासीजर्स (एचबीपी) 2009-14 के पैराग्राफ 3.6 (बी) में निर्धारित किया गया है कि शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के लिए आवेदन संबंधित माह/तिमाही/ छमाही वर्ष/वर्ष के अंत से 12 महीने के अंदर भरा जाएगा। इसके अतिरिक्त, एचबीपी, 2009-14 खंड-I के पैराग्राफ 9.3 के अनुसार, जब कभी भी देय तिथि के समाप्त आवेदन प्राप्त होता है, इस प्रकार के आवेदन को लागू होने के बाद 2/5/10 प्रतिशत की दर पर देर से की गई कटौती के अधिरोपण के बाद लगाया गया माना जा सकता है।

केन्द्रीय बाजार योजना (एफएमएस), वाईकेजीयूवाई, भारतीय योजना द्वारा सेवारत, वृद्धिशील निर्यात प्रोत्साहन योजना और उत्पादन केन्द्रीय योजना के ₹ 46.11 करोड़ के कुल मूल्य के साथ 864 लाइसेंसों में से, वर्ष 2016-17 के दौरान संयुक्त निदेशक विदेश व्यापार जयपुर द्वारा जारी किये गऐ थे; लेखापरीक्षा द्वारा ₹ 6.71 करोड़ मूल्य के 107 लाइसेंसों की नमूना जांच की गई और पाया गया कि 23 आवेदनों (28 लाइसेंसधारकों) में उपरोक्त योजनाओं के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप हेतु प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद दाखिल किए गए थे परन्तु क्रेडिट स्क्रिप देरी से की गई कटौती के बिना/कम अधिरोपण के जारी किए गए/प्रदान किए गए थे/इसके अलावा, पांच मामलों में एफपीएस/एफएमएस के तहत क्रेडिट स्क्रिप समय बाधित शिपिंग बिलों पर जारी किए गए/प्रदान किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.96 करोड़ के लिए जारी किए गए कुल शुल्क क्रेडिट स्क्रिप पर ₹ 20.65 लाख की राशि की देरी से की गई कटौती का अधिरोपण नहीं/कम हुआ।

इस विषय में बताए जाने पर, जीडीएफटी ने टिप्पणियों को स्वीकार करते समय 26 लाइसेंस धारकों से ₹20.65 लाख की वसूली के विषय में सूचित किया (सितम्बर 2018), कि मैसर्स ए एक्सप्रोर्ट्स को एससीएन जारी किया और मैसर्स बी ट्रैडिंग कंपनी को अंस्वीकृत सत्व सूची (डीईएल) के तहत रखा गया था, आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

5.4.5.3 समय बाधित दावों पर शुल्क क्रेडिट का अनियमित अनुदान

हैंडबुक ऑफ प्रासिजर्स (एचबीपी), 2009-14 के पैराग्राफ 3.11.9 के अनुसार, एफटीपी के अध्याय 3 के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्यात की तिथि से बारह महीने की अवधि के भीतर या वसूली की तिथि से छह महीने के अंदर या शिपिंग बिलों के मुद्रित होने/जारी करने की तिथि से तीन महीनों के अंदर, या जो भी बाद में हो, दायर किया जाएगा। इसके अलावा एचबीपी 2009-14 के पैराग्राफ 9.3 के अनुसार, कोई भी आवेदन, जो अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद प्राप्त हुआ है, उस पर 2 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की दर से देरी से की गई कटौती का अधिरोपण करने के बाद आवेदन पर विचार किया जा सकता है अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद परन्तु छ: महीनों के अंदर, छ: महीने की तिथि के बाद प्राप्त हुआ आवेदन परन्तु एक वर्ष के बाद नहीं और क्रमश: आवेदन 12 महीने के बाद प्राप्त हुआ हो परन्तु 2 वर्ष के बाद प्राप्त नहीं हुआ हों।

तीन निर्यातकों को वीकेजीयूवाई, एफपीएस और एफएमएस योजनाओं के तहत ₹ 25.53 लाख के शुल्क क्रेडिट स्क्रिप आरएलए अहमदाबाद द्वारा एफटीपी के अध्याय 3 के तहत देर से की गई कटौती के अधिरोपण के बाद (मई से नवम्बर 2014) जारी किए गए थे यद्यपि निर्यातों की तिथि से तीन वर्षों की समाप्ति के बाद और एचबीपी 2009-14 के साथ पठित उपरोक्त पैराग्राफ 3.11.9 के तहत निर्धारित की गई वसूली की तिथि से ढाई वर्षों के बाद आवेदन जमा किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप समय बाधित दावों पर ₹ 25.53 लाख के अनियमित शुल्क क्रेडिट दिए गए।

इस विषय में बताए जान पर, डीजीएफटी, नई दिल्ली ने टिप्पणी को स्वीकार करते समय (नवम्बर 2018/जुलाई 2019) में बताया कि फर्मों द्वारा ₹ 30.62 लाख की राशि के शुल्क के साथ ब्याज का भुगतान किया गया।

5.5 निष्कर्ष

निर्यात दायित्व की निरंतर पूर्ति नहीं होना, जैसा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया है, जो स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि अपेक्षित निर्यात निष्पादन के साथ मिलान किए गए निर्यातकों द्वारा प्राप्त किए गए लाभों को सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली की ध्यानपूर्वक मॉनीटरिंग की गई थी, जो डीजीएफटी में उपलब्ध नहीं थी। सरकार, लेखापरीक्षा में उल्लिखित विषयों के अतिरिक्त निर्यात दायित्व की पूर्ति नहीं होने के सभी मामलों की समीक्षा कर सकती है अपने आईटी प्लेटफार्मों के माध्यम से और निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के

कार्यान्वयन में कमियों को दूर करके दोनों के माध्यम से मॉनीटरिंग तंत्र मजबूत करने के लिए कदम उठा सकती है।

37 क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों की लेखापरीक्षा जांच से निर्यात दायित्वों को पूरा करने और निर्यात प्रोत्साहन देने से संबंधित विदेशी व्यापार नीति और प्रक्रियाओं के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के उल्लंघन के दृष्टांतों का पता चला उपरोक्त पैराग्राफों में इंगित मामले लेखापरीक्षा नमूना जांच के आधार पर निदर्शी हैं और नियमों और प्रक्रियाओं के इसी प्रकार के उल्लंघन और लाइसेंसो को जारी करने अथवा निर्वहन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा की गई भूल-चूक से इनकार नही किया जा सकता है। विभाग को ईपीसीजी एंव अन्य योजनाओं की शर्तों की पूर्ति नहीं होने के सभी मामलों की समीक्षा करने का सुझाव दिया जाता है।

अध्याय VI

सांताक्रूज इलेक्टॉनिक्स निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (एसईईपीजेड), विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), प्राधिकरण द्वारा प्रमुख निर्माण कार्य प्रदान करने में अनियमितताएं

6.1 सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन (एसईईपीजेड) प्राधिकरण के वित्तीय खाते में पाया गया कि वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान 'पूंजीगत खाते पर अग्रिम' (2015-16 में ₹ 637.08 लाख और 2016-17 में ₹ 3304.39 लाख) के तहत और 'पूंजीगत निर्माण कार्य प्रगति पर' के तहत (2015-16 में ₹ 3087.41 लाख और 2016-17 में ₹ 5197.56 लाख) पर्याप्त राशि दर्ज की गई थी। इसलिए, एसईईपीजेड सेज प्राधिकरण के नियमित अनुपालन लेखापरीक्षा (जनवरी/फरवरी 2018) के दौरान (यहां प्राधिकरण के रूप में संदर्भित करने के बाद) इन शीर्षो के तहत सूचित संव्यवहारों पर विषेश ध्यान दिया गया था। निम्नलिखित पैराग्राफों में लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर चर्चा की गई है।

6.2 एसईईपीजेड़-प्राधिकरण के मुख्य निर्माण-कार्य देने में अनियमितताएं:-

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित मुख्य मुद्दे देखे गए:-

(i) अयोग्य एजेंसी को निर्माण कार्य दिया गया;

(ii) प्राधिकरण की अनुमति के बिना कार्य आदेश जारी करना;

(iii) गुणवत्ता नियंत्रण हेतु कमजोर तंत्र;

(iv) अनिवार्य मापदंडों एंव अन्य विविध अनियमितताओं की संवीक्षा किए बिना सेज इकाईयों को एलओपी/एलओए जारी करना।

आगामी पैराग्राफों में इन मुद्दों पर चर्चा की गई है।

6.2.1 अयोग्य एजेंसी (एनएफसीडी) को एसईईपीजेड़-सेज प्राधिकरण को मुख्य निर्माण कार्य प्रदान करना

दिनांक 2 नवम्बर 2010 को जारी भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2017 के नियम 1 के साथ पठित, जीएफआर में निहित प्रावधान पृथक वित्तीय नियमों के लिए एक स्वायत्त

निकाय के उपनियमों की सीमा के अलावा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों पर लागू माने जाते हैं, जो सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। सेज नियमावली 2009 में मुख्य/लघु निर्माण/मरम्मत कार्यों से संबंधित निर्माण कार्य देने से संबंधित किसी विशेष प्रावधान के अभाव में, प्राधिकरण पर जीएफआर के प्रावधान लागू होते है।

जीएफआर, 2017 के नियम 133 के उपनियम 2 और 3 के अनुसार एक मंत्रालय या विभाग अपने विवेक से किसी भी सार्वजनिक निर्माण संगठन को ₹30 लाख से अधिक की अनुमानित लागत के अनुरक्षण कार्यों और किसी भी मूल्य के मूल/लघु निर्माण कार्य सौंप सकता है जैसे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, राज्य लोक निर्माण विभाग, अन्य केन्द सरकार के संगठन जो सिविल या इलेक्ट्रिकल कार्यों को करने के लिए अधिकृत हैं या केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य केन्द्रीय/ राज्य सरकार के संगठन/ पीएसयू द्वारा स्थापित किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) के लिए शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) उनकी वित्तीय क्षमता और तकनीकी कार्य निर्वाह क्षमता का मूल्यांकन करने के बाद अधिसूचित किया जा सकता है उपनियम 3 के तहत कार्य प्रदान करने हेतु, पीएसयू/ संगठनों के मध्य प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जाएगी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि सेज प्राधिकरण ने ₹ 74.85 करोड़ की राशि पर भारतीय राष्ट्रीय निर्माण एवं विकास सहकारी संघ (एनएफसीडी) लिमिटेड को संरचनात्मक अनुरक्षण और संबद्ध सिविल निर्माण कार्य और जलरोधक प्रशोधन का निर्माण कार्य प्रदान किया था। दिसम्बर 2017 तक एजेंसी को ₹ 56.14 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया कि एनएफसीडी एमओयूडी द्वारा अधिसूचित एजेंसियों की सूची में नहीं था, एजेंसी का चयन किसी भी प्रतिस्पर्धी बोली के बिना किया गया था। यह देखा गया कि एनएफसीडी बहु राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002, कृषि एवं सहकारी विभाग, भारत सरकार का कृषि मंत्रालय के तहत पंजीकृत एक एजेंसी है।

इस विषय में बताए जाने पर, प्राधिकरण ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2018) कि सेज अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्राधिकरण को अधिनियमित किया गया था, और सेज अधिनियम, 2005 की धारा 51 का

किसी अन्य कानून या दस्तावेजों आदि के संबंध में व्यापक रूप से प्रभावी है। आगे बताया गया कि इसके पास ₹ 50 लाख की प्रारंभिक सीमा से अधिक व्यय वहन करने की क्षमता है और अनुरक्षण तथा मरम्मत कार्य करने के लिए निक्षेप कार्य के आधार पर एनएफसीडी को लगाने का निर्णय लिया गया क्योंकि पूर्व में भवन की मरम्मत और अनुरक्षण का कार्य एमआईडीसी के पास था, जिसने विलंब से कार्य निष्पादन किया था।

प्राधिकरण का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सेज़ नियमावली के नियम 7 के तहत प्राधिकरण को केवल ₹ 50 लाख तक के लघु और अनुरक्षण कार्यों पर व्यय वहन करने की अनुमति है। जहां तक ₹ 30 लाख से अधिक के निर्माण कार्य प्रदान करने के लिए व्यय को वहन करते समय प्रक्रिया का अनुपालन करने का संबंध है, जीएफआर के प्रावधान प्राधिकरण पर लागू होते रहेंगे।

चूंकि एनएफसीडी जो बहु राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक एजेंसी है जो सरकारी स्वायत्त निकाय के अनुरक्षण कार्यों को करने के लिए एमओयूडी द्वारा अधिसूचित एजेंसियों की सूची में नहीं होने के कारण अयोग्य थी। इसके अतिरिक्त, एजेंसी का चयन करने के लिए किसी भी प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया था।

इसके बाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त प्रतिक्रिया में, यह बताया गया कि एनएफसीडी की नियुक्ति के विषय में मंत्रालय के सर्तकता अनुभाग के द्वारा जांच की जा रही थी, कि क्या जीएफआर नियमों का अनुपालन किया गया या नहीं किया गया। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

6.2.2 प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना कार्य आदेश जारी करना

प्राधिकरण ने सरंचात्मक मरम्मत और मानक डिजाइन कारखाना (एसडीएफ) भवनों और रत्न एंव आभूषण भवनों के संबद्ध निर्माण हेतु 5 प्रतिशत आकस्मिकता सहित ₹ 40.48 करोड़ का व्यय वहन किया था। इसलिए एनएफसीडी को फरवरी 2017 में ₹ 44.58 करोड़ हेतु कार्य आदेश जारी किया गया था। अत: प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना ₹ 4 करोड़ की अतिरिक्त राशि के लिए कार्य आदेश जारी किया गया था। इसके अलावा, प्राधिकरण के

अनुमोदन के बिना संरचनात्मक मरम्मत हेतु ₹ 7.77 करोड़ की अतिरिक्त राशि संस्वीकृत की गई थी।

उत्तर में प्राधिकरण ने बताया (अप्रैल 2018) कि ₹ 7.77 करोड़ की अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव विवेचना एवं चर्चा हेतु प्राधिकरण की आगामी बैठक की कार्य सूची में लिया जाना था। हालांकि, प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जा रहा था और चूक के कारण प्रशासन के द्वारा अनुमोदन पत्र जारी किया गया था।

प्राधिकरण ने आगे बताया कि अप्रैल 2018 में अनुमोदन वापस ले लिया गया था और आगामी प्राधिकरण की बैठक में इस पर विचार-विमर्श हेतु शामिल किया जाएगा और मैसर्स एनएफसीडी को इस खाते में कोई अतिरिक्त भुगतान/ बजट जारी नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2019) कि प्राधिकरण की समिति के सदस्यों को इस मामले को देखने के लिए पुनर्गठित किया गया जो इस दृष्टिकोण पर आधारित था कि सर्तकता अनुभाग द्वारा मैसर्स एनएफसीडी की नियुक्ति की पहले से ही जांच की जा रही थी। आगे बताया गया कि भारतीय तकनीकी संस्थान (आईआईटी), मुम्बई में, जिसने एक तीसरे पक्ष से निर्माण संबंधी लेखापरीक्षा कराई थी, ने अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य को लागत में वृद्धि के लिए जिम्मेदारर ठहराया था कि निर्माण संबंधी और निर्माण संबंधी मरम्मत कार्य उन स्थानों पर किए थे जो प्रारंभिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण के समय अच्छे प्रतीत हो रहे थे और प्रारंभिक आकलनों में जिन पर विचार नहीं किया गया था।

प्रमुख निर्माण कार्य के लिए ठेका प्रदान करने में अनियमिताओं ने प्राधिकरण के वित्तीय प्रबंधन में गंभीर कमियों को इंगित किया जिसके लिए जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है।

6.2.3 गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कमजोर तंत्र

प्राधिकरण के आपदा प्रबंधन सलाहकार (डीएमए) ने एनएफसीडी के ठेकेदारों द्वारा पूरा किए गए एसडीएफ और रत्न एवं आभूषण भवनों के सभी निर्माण संबंधी एवं जलरोधक निर्माण कार्य का निरीक्षण (नवम्बर 2017) में किया था। उनके द्वारा सभी भवनों में निर्माण संबंधी बड़ी कमियों को उज़ागर करते हुए निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और जिसमें पूर्ण किए गए कार्य में दोषपूर्ण

स्तंभ तथा बीम शामिल थे। यद्यपि प्राधिकरण ने कमियों को सुधारने के लिए एनएफसीडी को अनेक बार मामले से अवगत कराया था, लेखापरीक्षा की तिथि तक एनएफसीडी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। चूंकि प्राधिकरण और एनएफसीडी के मध्य किसी भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किया गया था और न ही कोई बैंक गारंटी (बीजी)/निष्पादन गारंटी (पीजी) ली गई थी, प्राधिकरण एनएफसीडी के विरूद्ध किसी भी कार्रवाई को लागू नहीं कर सका था।

उत्तर में प्राधिकरण ने बताया कि एनएफसीडी, डीएमए द्वारा इंगित की गई विसंगतियों पर अनुपालन कर रहा है। समझौता ज्ञापन के संबंध में, प्राधिकरण ने बताया कि समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जा रहा था।

मंत्रालय ने आगे बताया (जुलाई 2019) कि कार्य का निष्पादन सुनिश्चित करने लिए दिए गए गुणवत्ता मानकों एवं तकनीकी विशिष्टताओं के अनुसार भारतीय सिविल इंजीनियर, (आईआईटी), मुम्बई के विभाग के माध्यम से तीसरा पक्ष लेखापरीक्षा का आयोजन किया गया था। तथ्य यह है कि आईआईटी, मुम्बई की निरीक्षण रिपोर्ट से गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र की विफलता स्पष्ट होती है जिसमें बताया गया कि मरम्मत उन स्थानों पर भी की गई थी जो स्थान अच्छी स्थिति में थे, जिसके परिणामस्वरूप लागतों में वृद्धि हुई।

6.2.4 अनिवार्य मापदडों की संवीक्षा किए बिना सेज इकाईयों को एलओपी/ एलओए जारी किए गए

सेज नियमावली 2006 के नियम 17 और 18 में सेज ईकाइयों के आवंटन से संबंधित प्रावधान शामिल है जो कि सेज में इकाई को संस्थापित करने के लिए, सेज में भूमि/औद्योगिक शेड़ों के आवंटन के साथ-साथ पानी के कनेक्शन, पंजीकरण-सह सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी), केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास पंजीकरण का प्रमाण, बिजली का कनेक्शन, भवन अनुमोदन योजना, कारखाने के निरीक्षणालय से अनुमोदन, प्रदूषण नियंत्रण मंजूरी और निर्यात अनुमानों व पिछले निष्पादन के साथ अग्नि शमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र, आदि के अनुमोदन के साथ विकास कमिश्नर को आवेदन करने के प्रावधान करता है, यदि आवेदक मौजूदा एसईईपीजेड इकाई है

लेखापरीक्षा में पाया गया (फरवरी 2018) कि प्राधिकरण ने (मई 2017) एमआईडीसी द्वारा व्यवसायिक प्रमाणपत्र जारी करने से पहले ही एसडीएफ VIII (न्यू टॉवर) के निर्माण के लिए इकाईयों के आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित किए थे। इकाई अनुमोदन समिति (यूएसी)[57] के द्वारा जुलाई 2017 में 18 सेज इकाईयों (12 नए एलओपी, छः मौजूदा इकाईयों को ब्रॉड बैंडिंग/ अतिरिक्त स्थान अनुमत किए गए थे) के लिए अनुमोदन दिए गए थे यद्यपि अपेक्षित मंजूरी जैसे व्यवसायिक प्रमाणपत्र (ओसी), पानी एवं बिजली कनेक्शन, प्रदूषण नियंत्रण मंजूरी, फायर क्लीयरेंस और आरसीएमसी प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किये गये थे। व्यवसायिक प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पहले एसडीएफ VIII में इकाईयों को आवंटन अनियमित था। इसके अलावा, किसी भी सेज इकाई द्वारा कोई भी व्यवसायिक परिचालन शुरू नहीं किया जा सकता था चूंकि पानी एवं बिजली का कनेक्शन नहीं था और इकाईयों के द्वारा अपेक्षित अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण आवंटनों को समीक्षा के तहत रखा गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अगस्त 2017 में आयोजित अनुवर्ती यूएसी ने, पूर्व में यूएसी द्वारा किए गए सभी आवंटनों की समीक्षा करने का निर्णय, एसईईपीजेड प्राधिकरण के अनंतिम पत्र में निर्धारित नियमों और शर्तों की पूर्ति नहीं करने के आधार पर लिया, जैसे कि आवंटी द्वारा शर्तों की स्वीकृति, निर्धारित समय के अंतर्गत भुगतान करना और क्षमता वृद्धि के कारण अतिरिक्त स्थान के लिए आवेदन करने के मामले भी, इस आधार पर कि "उनके पूर्व निष्पादन, मौजूदा संस्थापन क्षमता और उनके द्वारा उपयोग किये गए स्थान के संबंध में अनुमानित निर्यात और इकाईयों को आवंटित स्थान के बीच कोई संबंध प्रतीत नहीं होता।"

लेखापरीक्षा ने प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए एलओए की जांच/समीक्षा के परिणाम प्रस्तुत करने का अनुरोध किया (फरवरी 2018) और जवाब देही तय करने के लिए क्या कोई विभागीय कार्यवाही/जांच आयोजित की जा रही थी।

[57]यूएसी का गठन सेज नियमावली एसईईपीजेड प्राधिकरण-डीसी, एसईईपीजेड के नियम 18 के तहत किया गया यूएसी की संरचना-विकास आयुक्त (अध्यक्ष), सदस्य-क्षेत्रीय डीजीएफटी के नामांकित व्यक्ति और आय कर मुम्बई के नांमाकित व्यक्ति के साथ विशेष आमंत्रितगण-संयुक्त डीसी, डिप्टी डीसी, एसईईपीजेड और निर्दिष्ट अधिकारी, एसईईपीजेड।

अपने उत्तर (मार्च 2018) में प्राधिकरण ने बताया कि वाणिज्य मंत्रालय (मार्च 2018) की मंजूरी के बाद, एसडीएफ-VIII (न्यू टॉवर) में रत्न एवं आभूषण इकाईयों के आवंटन रद्द (मई 2018) कर दिए गए हैं। यूएससी के निर्देशों के अनुसार, दिनांक 12 जुलाई 2017 और जुलाई 2017 के एलओए भी रद्द कर दिए गए हैं (मई 2018)।

6.3 निष्कर्ष

अध्याय में शामिल लेखापरीक्षा निष्कर्ष में गंभीर चूके और जीएफआर प्रावधानों का अननुपालन निर्दिष्ट किया गया। अनुमोदन के बिना अतिरिक्त कार्य आदेश जारी करने के मुद्दे और सांविधिक प्राधिकरणों से अनिवार्य मंजूरी की कमी के कारण इकाईयों के आवंटनों को रद्द करने के उदाहरण हैं जिसके लिए प्राधिकरण गंभीर रूप से दोषी हैं और जिसका उच्च स्तर पर पता लगाने की आवश्यकता है। बड़े निर्माण कार्य हेतु ठेका देने में अनियमितताओं ने प्राधिकरण के वित्तीय प्रबंधन में गंभीर कमियों के विषय में बताया जिसके लिए जवाबदेही तय करना आवश्यक है।

हांलाकि मंत्रालय ने बताया कि विभागीय सर्तकता जांच प्रारंभ की गई थी, जांच का परिणाम लेखापरीक्षा के साथ साझा नहीं किया गया था।

बिन्दु

नई दिल्ली **(एम. हिमाबिन्दु)**
दिनांक: 26 नवम्बर, 2019 **प्रधान निदेशक (सीमा शुल्क)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(राजीव महर्षि)**
दिनांक: 29 नवम्बर, 2019 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

अनुलग्नक

अनुलग्नक-1

डी.आर.आई द्वारा पता लगाए गए शुल्क चोरी के मामले (योजना-वार)

(देखें अनुच्छेद 1.12.1)

क्र.सं	योजना	वि.व 14	वि.व 15	वि.व 16	वि.व 17	वि.व 18
		मामलों की संख्या शुल्क (करोड़ रूपये)	मामलों की संख्या शुल्क (करोड़ रूपये)	मामलों की संख्या शुल्क (करोड़ रूपये)	मामलों की संख्या शुल्क(करोड़ रूपये)	मामलों की संख्या शुल्क (करोड़ रूपये)
1	अंत-उपयोग और अन्य अधिसूचना शर्तों का दुरूपयोग	38 1211.67	18 110.18	69 770.48	29 15.91	48 117.50
2	ईपीसीजी का दुरुपयोग	22 583.08	49 289.11	64 454.92	53 311.96	37 237.47
3	कम मूल्यांकन	140 432.71	85 285.64	92 254.37	154 184.89	346 1825.42
4	गलत घोषणा	102 224.22	52 172.42	112 1187.61	167 309.09	163 184.72
5	प्रतिअदायगी	17 80.50		94 1150.46	58 99.70	146 40.22
6	ईओयू/ईपीजेड/एसईजेड का दुरुपयोग	3 6.90	6 37.50	18 9.54	6 37.34	3 1.05
7	डीईईसी/अग्रिम लाइसेंस का दुरुपयोग	1 0	11 1077.15	12 15.21	55 265.21	79 293.54
8	अन्य	366 570.55	186 953.54	170 2780.73	145 198.08	118 364.74
	कुल	**694** **3112.72**	**407** **2925.54**	**631** **6623.32**	**667** **1422.18**	**940** **3064.65**

स्रोत: डीआरआई एंटी तस्करी निष्पादन रिपोर्ट (एएसपीआर)

अनुलग्नक-2

वस्तु वार आयात **(देखें अनुच्छेद 3.2.2)**

(₹ लाख में)

अध्यायवर्णन	एचएसकोड	2015-16	2016-17	2017-18
कार्बनब्लैक	280300	81269	80345.04	139987.99
सोडापाउडर	283620	101707	102490.3	111756.51
एसीटोन	291411	55796	63054.93	74975.09
विटामिनए	293621	5647	7035	5239
रबड़ रसायन	381230	103307	110323	-
पीवीसीरोल, चिपकने वाला फिल्म, पेस्ट	390410 390421 390422	936191	1061694	1144878
सादा मध्यम घनत्व फाइबर बोर्ड	441090,441112 to 441114, 441192 to 441194, 441210, 441231	83945	81205	109804
नायलॉन फिलामेंट यार्न	540231, 540232, 540245, 540251, 540261, 540710, 540741, 540742, 540744	64158	63078	57082
इलेस्टेरोमिक फिलामेंट यार्न	540244, 540411	68750	69363.83	86241
विस्कोस फिलामेंट यार्न	540310, 540331, 540332, 540810	36799	25692	46595
सिरेमिक टेबलवेयर और बर्तन एवं पॉलिश की गई या बिना पॉलिश की/ फिनिश की गई ग्लेज्ड /अनग्लेज्ड टाइलें	691110, 691200	25120	24605	24465.8
शीट ग्लास	700319,700320,701932	5047	6057.43	6062.09
अन्य ग्लास फाइबर और उसके सामान	701990	27843	29880.04	32443.93
फ्लोट ग्लास	700529, 700530	22234	33321	21447
टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास	700711, 700719	31168	41141	57257
स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड प्लैट उत्पाद	730431, 730441, 730451	20918	23500	31870
लोहे की सीमलैस टयूबे और होलो प्रोफाइलें	730490	106372	88804	83861
प्लास्टिक प्रसंसकरण यंत्र, प्लास्टिक संसकरण मशीनों या इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें	847710	80527	829845	94147

अध्यायवर्णन	एचएसकोड	2015-16	2016-17	2017-18
सिलाई मशीन सुइयों	845230	10380	9226	9169
कास्ट एल्यूमीनियम मिश्र धातु पहियें	870870	100850	98204	124111
कुल		**1968028**	**2102002**	**2261390**
		प्रतिशत	वृद्धि	**15 %**

स्रोत: निर्यात-आयात डेटा, वाणिज्य विभाग

अनुलग्नक-3

लेखापरीक्षा पद्धति और नमूना (देखें अनुच्छेद 3.4.1)

क्रम सं.	कार्यालय	कुल आयुक्त	चयनित आयुक्तालयों की संख्या	चयनित आयुक्तालय के नाम
1	अहमदाबाद	6	3	कांडला मुंद्रा जयपुर
2	बेंगलुरु	4	2	आईसीडी बेंगलुरु एसीसी बेंगलुरू
3	चंडीगढ़	2	1	लुधियाना
4	चेन्नई	13	3	चेन्नई समुद्र कस्टम टुटीकोरिन समुद्र कस्टम कोची समुद्र कस्टम
5	दिल्ली	10	2	आईसीडी तुगलकाबाद आईसीडी पटपड़गंज
6	हैदराबाद	3	2	विशाखापत्तनम हैदराबाद
7	कोलकाता	4	2	सीसी (पोर्ट), कोलकाता सीसी (प्रेवेंटिव),पश्चिमबंगाल
8	लखनऊ	4	1	नोएडा कस्टम
9	मुंबई	21	2	जेएनसीएच एनसीएच
		67	**18**	

अनुलग्नक -4

एडीडी अधिसूचना की वैधता समाप्त होने के बाद भी एडीडी का उद्ग्रहण

(देखें अनुच्छेद 3.5.2.1)

क्रम सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	कार्यालय पैरा संख्या	मद विवरण	आपत्ति की गई राशि (रू लाख में)	बीई की संख्या	आयुक्तालय का नाम	अधिसूचनासंख्या
1	अहमदाबाद	5.4.1	विभिन्न उत्पाद	67.72	57	कांडला, मुंद्रा	
2	मुंबई	6.2	टीडीआई	44.73	13	जेएनसीएच	25/2017-कस्टम(एडीडी) दिनांक 05.06.2017
3	कोलकाता	5.2	पोर्सिलेन टाइल्स	4.37	2	सीमा शुल्क पोर्ट, कोलकाता	12/2016-कस्टम(एडीडी) दिनांक 29.03.2016
			कुल	**116.82**	**72**		

अनुलग्नक -5

एंटी-डंपिंग ड्यूटी का उद्ग्रहण ना करना (एडीडी) (देखें अनुच्छेद 3.5.3.1)

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	मद विवरण	आपत्ति की गई राशि (रू लाख में)	वसूल की गई राशि (रू लाख में)	बीई की संख्या	आयुक्तालय का नाम	अधिसूचना संख्या
चेन्नई	इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन	12.30		3	चेन्नई समुद्री सीमा शुल्क	57/2015-कस्टम(एडीडी) दिनांक 04.12.15 & 9/2016-कस्टम (एडीडी) दिनांक 15.03.2016
चेन्नई	इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन	104.33		6	चेन्नई समुद्री सीमा शुल्क	57/2015-कस्टम (एडीडी) दिनांक 04.12.15 & 9/2016-कस्टम (एडीडी) दिनांक 15.03.2016
चेन्नई	इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन	17.28		6	चेन्नई समुद्री सीमा शुल्क	57/2015- कस्टम(एडीडी) दिनांक 04.12.15 & 9/2016-कस्टम (एडीडी) दिनांक 15.03.2016
चेन्नई	इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन	6.19		1	तूतीकोरिन समुद्री सीमा	57/2015-कस्टम(एडीडी) दिनांक 04.12.15 & 9/2016-

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	मद विवरण	आपत्ति की गई राशि (रू लाख में)	वसूल की गई राशि (रू लाख में)	बीई की संख्या	आयुक्तालय का नाम	अधिसूचना संख्या
					शुल्क	कस्टम (एडीडी)दिनांक 15.03.2016
बेंगलुरु	इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन	19.88		1	आईसीडी बैंगलोर	9/2016-कस्टम(एडीडी) दिनांक15.03.2016
दिल्ली	इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन	30.97		2	आईसीडी पटपड़गंज	57/2015-एडीडीदिनांक 4.12.2015
मुंबई	इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन	81.64		2	जेएनसीएच	57/2015- कस्टम(एडीडी) दिनांक04.12.2015
मुंबई	इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन	22.00		3	जेएनसीएच	09/2016- कस्टम(एडीडी) दिनांक15.03.2016
चेन्नई	नायलॉन फिलामेंट यार्न	131.70		21	चेन्नई समुद्री सीमा शुल्क	3/2012-कस्टम(एडीडी) दिनांक 13.01.2012 एवं 04/2017- कस्टम(एडीडी) दिनांक19.01.2017
दिल्ली	नायलॉन फिलामेंट यार्न	0.93		2	आईसीडी पटपड़गंज	03/2012-एडीडीदिनांक 13.01.2012
चेन्नई	मलबरी कच्चे रेशम	13.67		5	चेन्नई समुद्री सीमा शुल्क	1/2016- कस्टम(एडीडी) दिनांक28.01.2016
दिल्ली	एल्यूमीनियम फॉइल	75.11	75.11	4	आईसीडी तुगलकाबाद	23/2017- कस्टम(एडीडी) दिनांक 16.05.2017
मुंबई	एल्यूमीनियम फॉइल	37.02		4	जेएनसीएच	23/2017- कस्टम(एडीडी) दिनांक 16.05.2017
अहमदाबाद	2-एथिल हेक्सेनोल	23.10	23.1	1	कांडला	10/2016- कस्टम(एडीडी) दिनांक 29.03.2016
अहमदाबाद	फीनौल	18.13	18.13	2	डीसी, केएसईजेड	43/2014- कस्टम(एडीडी) दिनांक 30.9.2014
मुंबई	ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड	36.35		3	जेएनसीएच	04/2015- कस्टम(एडीडी) दिनांक13.02.2015
हैदराबाद	ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड	29.72		1	विशाखापत्तनम	04/2015-कस्टम(एडीडी) दिनांक 13.02.2015
चेन्नई	मापने का फीता	32.15		1	चेन्नई समुद्री सीमा शुल्क	16/2016- कस्टम(एडीडी) दिनांक 02.05.2016

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	मद विवरण	आपत्ति की गई राशि (रू लाख में)	वसूल की गई राशि (रू लाख में)	बीई की संख्या	आयुक्तालय का नाम	अधिसूचना संख्या
चेन्नई	क्लीयर फ्लोट ग्लास	76.79		23	चेन्नई समुद्री सीमा शुल्क और तूतीकोरिन और कोच्चि	48/2014- कस्टम(एडीडी) दिनांक11.12.2014 एवं30/2017- कस्टम(एडीडी) दिनांक 16.06.2017
चेन्नई	क्लीयर फ्लोट ग्लास	175.89		14	कोच्चि समुद्री बंदरगाह	19/2017- कस्टम(एडीडी) दिनांक12.05.2017
चेन्नई	क्लीयर फ्लोट ग्लास	30.74		5	कोच्चि समुद्री बंदरगाह	47/2015- कस्टम(एडीडी) दिनांक 08.09.2015
लखनऊ	क्लीयर फ्लोट ग्लास	6.63		2	नोएडा कस्टम	19/2017- कस्टम(एडीडी) दिनांक12.05.2017
मुंबई	क्लीयर फ्लोट ग्लास	14.20		2	जेएनसीएच	48/2014- कस्टम(एडीडी) दिनांक11.12.2014
कोलकाता	जूट का कपड़ा	2979.00		416	कस्टम (प्रेवेंटिव), प. बंगाल	01/2017- कस्टम(एडीडी) दिनांक 05.01.2017
अहमदाबाद	लचीले स्लैबस्टॉक पॉलीओल	0.72		1	मुंद्रा	9/2015- कस्टम(एडीडी) दिनांक07.04.2015
मुंबई	पॉलीओल के लचीले स्लैबस्टॉक	52.82		33	जेएनसीएच	09/2015- कस्टम(एडीडी) दिनांक07.04.2015
चेन्नई	विनील क्लोराइड मोनोमर का होमो पॉलीमर	8.88		1	तूतीकोरिन समुद्र	27/2014- कस्टम(एडीडी) दिनांक 13.06.2014
मुंबई	विनील क्लोराइड मोनो मर का होमो पॉलीमर	4.31		1	जेएनसीएच	26/2014-कस्टम(एडीडी) दिनांक13.06.2014
चेन्नई	सोडियमएस्कोरबेट	331.36		5	चेन्नई समुद्री सीमा शुल्क	38/2015- कस्टम(एडीडी) दिनांक06.08.2015
चेन्नई	इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन	5.24		6	चेन्नई समुद्री सीमा शुल्क	57/2015- कस्टम(एडीडी) दिनांक04.12.2015
दिल्ली	इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन	10.00		31	आईसीडी तुगलकाबाद	57/2015- एडीडीदिनांक4.12.2015

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	मद विवरण	आपत्ति की गई राशि (रू लाख में)	वसूल की गई राशि (रू लाख में)	बीई की संख्या	आयुक्तालय का नाम	अधिसूचना संख्या
मुंबई	शुद्ध टेरेफ्थैलिक एसिड	154.64		21	जेएनसीएच	23/2015- कस्टम(एडीडी) दिनांक 27.05.2015
अहमदाबाद	मेथिलीन क्लोराइड	28.11		9	कांडला	21/2016- कस्टम(एडीडी) दिनांक 31.05.2016
चेन्नई	केबल टाईज	5.23		1	चेन्नई समुद्री सीमा शुल्क	28/2013- कस्टम(एडीडी) दिनांक12.11.2013 एवं 47/2014- कस्टम(एडीडी) दिनांक 09.12.2014
अहमदाबाद	सादा मध्यम घनत्व फाइबर बोर्ड	0.80	0.80	1	मुंद्रा	48/2015- कस्टम(एडीडी) दिनांक 21.10.2015
हैदराबाद	रबड़ रासायनिक एमओआर	2.22		1	विशाखापत्तनम	54/2017- एडीडीदिनांक17.11.2017
कोलकाता	चमका/बिनाचमका हुआ पोर्सिलेन टाइल्स	1.51		5	सीमा शुल्क पोर्ट, कोलकाता	29/2017- कस्टम(एडीडी) दिनांक14.06.2017
चंडीगढ़	टेम्पर्ड ग्लास	0.29		2	लुधियाना	38/2017- कस्टम(एडीडी) दिनांक18.08.2017
बैंगलुरु	ओपल ग्लास	2.93		3	आईसीडी बैंगलोर	103/2011- कस्टम(एडीडी) दिनांक23.11.2011 एवं 37/2017- कस्टम(एडीडी) दिनांक09.08.2017
बैंगलुरु	दीवार टाइल	1.17		1	आईसीडी बैंगलोर	29/2017- कस्टम(एडीडी) दिनांक14.06.2017
चेन्नई	सिरेमिक बर्तन	29.04		13	चेन्नई समुद्री सीमा शुल्क	27/2017- कस्टम(एडीडी) दिनांक 12.06.2017 एवं 4/2018- कस्टम(एडीडी) दिनांक 21.02.2018
चेन्नई	पीवीसी रेजिन	22.92		11	चेन्नई समुद्री सीमा शुल्क और तूतीकोरिन	70/2010- कस्टम(एडीडी) दिनांक 25.06.2010एवं 27/2016- कस्टम(एडीडी) दिनांक 23.06.2016
चेन्नई	फॉस्फोरिक एसिड	14.94		9	चेन्नई समुद्री सीमा शुल्क	33/2013- कस्टम(एडीडी) दिनांक 31.12.2013, 45/2015- कस्टम(एडीडी) दिनांक 24.08.2015

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	मद विवरण	आपत्ति की गई राशि (रू लाख में)	वसूल की गई राशि (रू लाख में)	बीई की संख्या	आयुक्तालय का नाम	अधिसूचना संख्या
						एवं19/2012-कस्टम(एडीडी) दिनांक 04.04.2012
चेन्नई	डाइक्लोरो मेथेन (मेथिलीन क्लोराइड)	10.33		2	चेन्नई समुद्री सीमा शुल्क	21/2016- कस्टम(एडीडी) दिनांक 31.05.2016
चेन्नई	हाइड्रोजन परॉक्साइड	9.83		10	चेन्नई समुद्री सीमा शुल्क और कोच्चि समुद्री बंदरगाह	28/2017- कस्टम(एडीडी) दिनांक 14.06.2017
चेन्नई	सिरेमिक टाइल्स	3.03		2	तूतीकोरिन समुद्री सीमा शुल्क	29/2017- कस्टम(एडीडी) दिनांक 14.06.2017
चेन्नई	मेलामाईन	1.21		1	चेन्नई समुद्री सीमा शुल्क	48/2012- कस्टम(एडीडी) दिनांक 08.10.2012
चेन्नई	बेरियम कार्बोनेट	0.73		1	चेन्नई समुद्री सीमा शुल्क	14/2016- कस्टम(एडीडी) दिनांक 21.04.2016
चेन्नई	पोटेशियम कार्बोनेट	0.50		4	चेन्नई समुद्री सीमा शुल्क	40/2015- कस्टम(एडीडी) दिनांक 12.08.2015
चेन्नई	विटामिनई	0.71		1	कोच्चि कस्टम	29/2015- कस्टम(एडीडी) दिनांक 10.06.2015
चेन्नई	फाइबर बोर्ड एमडीएफ	2.07		3	कोच्चि कस्टम	48/2015- कस्टम(एडीडी) दिनांक 21.10.2015
दिल्ली	सिरेमिक टेबलवेयर, बरतन	16.72		1	आईसीडी पटपड़गंज	27/2017 -एडीडीदिनांक 12.06.2017
दिल्ली	आंशिक रूप से उन्मुख यार्न	8.47		2	आईसीडी तुगलकाबाद	22/2012- एडीडीदिनांक 02.05.2012
दिल्ली	केबल टाईज	1.44		1	आईसीडी तुगलकाबाद	47/2014- एडीडीदिनांक 09.12.2014
दिल्ली	सादा मध्यम घनत्व एमडीढएफ फाइबर बोर्ड	1.39		2	आईसीडी तुगलकाबाद	34/2016- एडीडीदिनांक 14.07.2016
दिल्ली	विटामिन ई	0.15		1	आईसीडी-तुगलकाबाद	29/2015- एडीडीदिनांक 10.06.2015

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	मद विवरण	आपत्ति की गई राशि (रू लाख में)	वसूल की गई राशि (रू लाख में)	बीई की संख्या	आयुक्तालय का नाम	अधिसूचना संख्या
कोलकाता	पोर्सिलेन टाइल्स	1.15		1	कस्टम्स पोर्ट, कोलकाता	12/2016- कस्टम(एडीडी) दिनांक 5.01.2017
अहमदाबाद	2-एथिल हेक्सेनोल	18.10		5	अहमदाबाद	10/2016- कस्टम(एडीडी) दिनांक 29.03.2016
अहमदाबाद	सामान्य ब्यूटनोलया एन-ब्यूटिल अल्कोहल	1.10		1	कांडला	13/2016- कस्टम(एडीडी) दिनांक 13.04.2016
अहमदाबाद	एसीटोन	9.97		3	कांडला	13/2015- कस्टम(एडीडी) दिनांक 16.04.2015
मुंबई	इलेक्ट्रॉनिक कैलक्यूलेटर	80.32		3	जेएनसीएच	24/2015- कस्टम(एडीडी) दिनांक29.05.2015
मुंबई	पेन्टा इरिथ्रिटॉल	74.59		12	जेएनसीएच	33/2012- कस्टम(एडीडी) दिनांक20.06.2012
मुंबई	टीडीआई	46.60		12	जेएनसीएच	25/2017- कस्टम(एडीडी) दिनांक05.06.2017
मुंबई	मेलामाईन	38.51		10	जेएनसीएच	48/2012- कस्टम(एडीडी) दिनांक08.10.2012 एवं 02/2016- कस्टम(एडीडी) दिनांक28.01.2016
मुंबई	पोर्सिलेन टाइल्स	34.87		14	जेएनसीएच	12/2016 कस्टम(एडीडी) दिनांक 29.03.2016 एवं 29/2017- कस्टम(एडीडी) दिनांक 14.06.2017
मुंबई	अमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट	34.31		3	जेएनसीएच	21/2017- कस्टम(एडीडी) दिनांक 16.05.2017
मुंबई	ग्लास फाइबर	25.19		7	जेएनसीएच	48/2016- कस्टम(एडीडी) दिनांक 01.09.2016
मुंबई	ग्राइन्डिंग मीडिया बॉल	20.77		2	जेएनसीएच	36/2012- कस्टम(एडीडी) दिनांक 16.07.2012
मुंबई	सोडियम नाइट्राइट	26.30		1	जेएनसीएच	39/2016- कस्टम(एडीडी) दिनांक 08.08.2016
मुंबई	ट्रेलरों के लिए एक्सल	21.52		9	जेएनसीएच	54/2016- कस्टम(एडीडी) दिनांक 29.11.2016
अहमदाबाद	ट्रेलरों के लिए एक्सल	11.40		2	मुन्द्रा	3/2015- कस्टम(एडीडी) दिनांक 10.2.2015

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	मद विवरण	आपत्ति की गई राशि (रू लाख में)	वसूल की गई राशि (रू लाख में)	बीई की संख्या	आयुक्तालय का नाम	अधिसूचना संख्या
मुंबई	इलेस्टोमितीय फिलामेंट यार्न	16.84		5	जेएनसीएच	15/2017- कस्टम(एडीडी) दिनांक 03.05.2017
मुंबई	विटामिन ई	14.13		7	जेएनसीएच	29/2015- कस्टम(एडीडी) दिनांक 10.06.2015
मुंबई	डाई सोडियम कार्बोनेट/सोडा एश	44.00		18	जेएनसीएच	34/2012- कस्टम(एडीडी) दिनांक 03.07.2012
मुंबई	हाइड्रोजन परॉक्साइड	10.53		7	जेएनसीएच	28/2017- कस्टम(एडीडी) दिनांक 14.06.2017
मुंबई	टीडीक्यु/टीएमटीडी/ एमबीटीएस	7.80		3	जेएनसीएच	98/2011- कस्टम(एडीडी) दिनांक 20.10.2011
मुंबई	केबल टाईज	6.37		53	जेएनसीएच	47/2014- कस्टम(एडीडी) दिनांक 09.12.2014
मुंबई	मेथिलीन क्लोराइड	5.07		6	जेएनसीएच	24/2014- कस्टम(एडीडी) दिनांक 21.05.2014
मुंबई	फ्लैट बेस स्टील	4.67		11	जेएनसीएच	03/2013- कस्टम(एडीडी) दिनांक 26.03.2013
मुंबई	टीडीआई	3.44		1	जेएनसीएच	25/2017- कस्टम(एडीडी) दिनांक 05.06.2017
अहमदाबाद	मेथिलीन क्लोराइड	0.76		1	कांडला	24/2014- कस्टम(एडीडी) दिनांक 21.05.2014
कोलकाता	जूट का धागा / सुतली	36.32		14	सीमा शुल्क (पीआरईवी), प. बंगाल	01/2017- कस्टम(एडीडी) दिनांक 05.01.2017
कोलकाता	जूट उत्पाद	5.49		2	सीमा शुल्क (पीआरईवी), प. बंगाल	01/2017- कस्टम(एडीडी) दिनांक 05.01.2017
मुंबई	स्टाइरीन बूटाडाइन रबर	22.36		6	जेएनसीएच	43/2017- कस्टम(एडीडी) दिनांक 30.08.2017
मुंबई	नायलॉन टायर कॉर्ड फेब्रिक	17.41		1	जेएनसीएच	30/2015- कस्टम(एडीडी) दिनांक 12.06.2015
मुंबई	कॉम्पैक्ट फ्लोरसेंट लैंप	12.2		7	जेएनसीएच	34/2015- कस्टम(एडीडी) दिनांक 28.07.2015
मुंबई	तुल्य कालिक डिजिटल	46.04		11	जेएनसीएच	15/2016- कस्टम(एडीडी) दिनांक 26.04.2016

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	मद विवरण	आपत्ति की गई राशि (रू लाख में)	वसूल की गई राशि (रू लाख में)	बीई की संख्या	आयुक्तालय का नाम	अधिसूचना संख्या
	उत्क्रमउपकरण					
अहमदाबाद	टीडीआई	2.54	2.54	1	मुंद्रा	25/2017- कस्टम(एडीडी) दिनांक 05.06.2017
मुंबई	शीट ग्लास	41.46		19	जेएनसीएच	7/2015- कस्टम(एडीडी) दिनांक 13.3.2015
चेन्नई	शीट ग्लास	229.34		69	चेन्नई (समुद्र)	7/2015- कस्टम(एडीडी) दिनांक 13.3.2015
चेन्नई	शीट ग्लास	16.34		7	तूतीकोरिन समुद्र	7/2015- कस्टम(एडीडी) दिनांक 13.3.2015
अहमदाबाद	साफ़ शीट ग्लास	662.72		155	मुंद्रा	7/2015- कस्टम(एडीडी) दिनांक 13.3.2015
	कुल	**6359.96**	**119.68**	**1205**		

अनुलग्नक-6

उत्पाद विशिष्ट शर्तों के उल्लंघन के कारण एडीडी का ना लगाना

{देखें अनुच्छेद 3.5.5 (V)}

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	मद विवरण	आपत्ति की गई राशि (रू लाख में)	वसूल की गई राशि (रू लाख में)	बीई की संख्या	आयुक्तालय का नाम	लेखापरीक्षा आपत्ति का महीना
अहमदाबाद	पैरा नाइट्रो अमीलाइन	3.29		1	कस्टम हाउस (पीपव)	जनवरी 2019
	अतिरिक्त सफेद चित्रित ग्लास	0.81		1	कस्टम हाउस (पीपव)	जनवरी 2019
	सैंड बलास्ड ग्लास	3.82		1	कस्टम हाउस (पीपव)	जनवरी 2019
	रबड़ रसायन	44.40		6	कस्टम हाउस (हजीरा)	जनवरी 2019
	रबड़ रसायन	28.22		6	कस्टम हाउस (हजीरा)	जनवरी 2019
	कार्बन ब्लैक	1027.70		30	कस्टम हाउस (हजीरा)	जनवरी 2019

	मेथिलीन क्लोराइड	78.54	1	कस्टम हाउस (हजीरा)	जनवरी 2019
बेंगलुरु	प्लास्टिक इंजेक्शन, मोल्डिंग मशीन	17.53	1	आईसीडी, व्हाइटफील्ड	दिसंबर 2018
	कोल्ड रोल्ड सीमलैस पाइपस	27.13	2	आईसीडी, व्हाइटफील्ड	दिसंबर 2018
कोलकाता	सोडियम साइट्रेट	0.99	1	कोलकाता (समुद्र)	दिसंबर 2018
	सिलाई मशीन	2.39	1	कोलकाता (वायु)	दिसंबर 2018
	निलेन्टियर कॉर्ड	0.05	2	कोलकाता (वायु)	जनवरी 2019
लखनऊ	प्लास्टिक इंजेक्शन	74.62	4	नोएडा कस्टम कॉम्स।	जनवरी 2019
	सादा मध्यम घनत्व फाइबर बोर्ड	1.54	1	नोएडा कस्टम कॉम्स।	जनवरी 2019
मुंबई	ग्लासफाइबर रोविंग	7.18	1	जेएनसीएच नहावाशेवा	जनवरी 2019
	कुल	**1318.21**	**59**		

अनुलग्नक-7

अनंतिम मूल्यांकन का गलत सहारा {देखें अनुच्छेद 3.5.7 (i) (ii)}

क्रम सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	कार्यालय पैरा संख्या	मद विवरण	आपत्ति की गई राशि (रू लाख में)	बीएसई की संख्या	आयुक्तालय का नाम	सूचना संख्या
1	मुंबई	5.4.2	शुद्ध टेरेफ्थैलिक एसिड	134.43	2	जेएनसीएच	28/2016 - कस्टम(एडीडी) दिनांक05.07.2016
2	मुंबई	5.4.1	पॉली विनाइल क्लोराइड रेजिन ग्रेड एफजे-65आर	48.15	2	जेएनसीएच	27/2014-कस्टम(एडीडी) दिनांक13.06.2014
			कुल	**182.58**	**6**		

अनुलग्नक-8

विभाग द्वारा स्वीकार किए गए और वसूल किए गए 'सामान्य छूट अधिसूचना के गलत उपयोग' के जांच परीक्षण किए गए मामलों का विवरण

(देखें अनुच्छेद 4.7)

क्रम सं.	ड्राफ्ट ऑडिट पैराग्राफ संक्षिप्त विषय	आयातक का नाम	आपत्ति की गई राशि (रू लाख में)	स्वीकृत राशि (रू लाख में)	वसूल की गई राशि (रू लाख में)	पोर्ट का नाम
1	**डीएपी** 6 **गलत अधिसूचना लाभ के कारण शुल्क का कम** लगाया **जाना**	**मैर्सज ए एवं एक अन्य**	63.31	63.31	73.64	आईसीडी, तुगलकाबाद
2	डीएपी10 पवन प्रचालित विद्युत जेनरेटरों के लिए कच्चे माल के आयात पर गलत छूट (डब्लयूओईजी) दिया जाना	मैसर्स बी. लिमिटेड	26.71	26.71		चेन्नई (समुद्र)
3	**डीएपी** 24 गलत छूट के कारण शुल्क **का कम** लगाया **जाना**	मैसर्स सी प्राइवेट लिमिटेड	30.02	30.02	-	एसीसी, बैंगलूरू
4	**डीएपी** 29 अधिसूचना के गलत अनुप्रयोग के कारण शुल्क **का कम** लगाया **जाना**	मैसर्स डी प्राइवेट लिमिटेड & एक अन्य	10.160	10.16	10.16	एसीसी, बैंगलूरू
5	**डीएपी** 67 गलत छूट प्रदान करने के कारण सीमा शुल्क का ना लगाया **जाना**		32.26	32.26		सीमा शुल्क निवारक प.बंगाल
		कुल	**162.46**	**162.46**	**83.80**	

अनुलग्नक-9

विभाग द्वारा स्वीकृत और वसूल किए गए माल के गलत वर्गीकरण के परीक्षण जांच मामलों का विवरण (देखें अनुच्छेद 4.8)

क्रम सं.	ड्राफ्ट ऑडिट पैराग्राफ संक्षिप्त विषय	आयातक का नाम	आपत्ति की गई राशि (रू लाख में)	स्वीकृत राशि (रू लाख में)	वसूल की गई राशि (रू लाख में)	पोर्ट का नाम
1	**डीएपी** 17 गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क **का कम** लगाया **जाना**	मैसर्स ए प्राइवेट लिमिटेड	23.24	23.24	-	एसीसी, मुंबई
2	**डीएपी** 18 गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क **का कम** लगाया **जाना**	मैसर्स बी प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य	17.87	17.87	-	एसीसी, मुंबई
3	**डीएपी** 25 गलत छूट के कारण शुल्क **का कम** लगाया **जाना**	मैसर्स सी प्राइवेट लिमिटेड	11.67	11.67	-	एसीसी, बैंगलूरू
4	**डीएपी** 26 गलत छूट के कारण शुल्क **का कम** लगाया **जाना**	मैसर्स डी लिमिटेड	19.13	19.13	-	एसीसी, बैंगलूरू
5	**डीएपी** 39 गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क **का कम** लगाया **जाना**	मैसर्स ई लिमिटेड और एक अन्य	23.95	23.95	10.35	आईसीडी (इम्पोर्ट) तुगलकाबाद
6	**डीएपी** 41 माल के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क **का कम** लगाया **जाना**	मैसर्स एफ प्राइवेट लिमिटेड और पांच अन्य	11.09	11.09	11.09	एसीसी, बैंगलूरू
7	**डीएपी** 46 गलत वर्गीकरण के साथ-साथ अधिसूचना लाभ के गलत अनुदान के कारण शुल्क **का कम** लगाया **जाना**	मैसर्स जी प्राइवेट लिमिटेड	21.15	21.15	-	आईसीडी, तुग़लकाबाद
8	**डीएपी** 68 माल के गलत वर्गीकरण के कारण सीमा शुल्क **का कम** लगाया **जाना**	मैसर्स एच एंड चार अन्य	14.61	14.61	-	एसीसी, हैदराबाद
9	**डीएपी** 69 गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क	मैसर्स आई लिमिटेड	29.04	29.04	30.53	आईसीडी, बल्लभगढ़

क्रम सं.	ड्राफ्ट ऑडिट पैराग्राफ संक्षिप्त विषय	आयातक का नाम	आपत्ति की गई राशि (रू लाख में)	स्वीकृत राशि (रू लाख में)	वसूल की गई राशि (रू लाख में)	पोर्ट का नाम
	का कम लगाया **जाना**					(आईसीडी-पटपड़गंज)
10	**डीएपी** 75 गलत वर्गीकरण के कारण पवन संचालित बिजली जनरेटर के लिए कास्टिंग के आयात पर सीवीडी ना लगाना	मैसर्स जे लिमिटेड	71.58	71.58	92.58	चेन्नई (समुन्द्र)
11	**डीएपी** 89 पशु आहार संयंत्र की मशीनरी के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क **का कम** लगाया **जाना**	मैसर्स के प्राइवेट लिमिटेड.	15.31	15.31	17.22	चेन्नई (समुन्द्र)
12	**डीएपी** 92 टेलीफोन सेट के पुर्जे के रूप में केबलों का गलत वर्गीकरण	मैसर्स एल लिमिटेड और तीन अन्य	12.93	12.93	-	एसीसी, मुंबई
13	डीएपी 37 **ड्राईड बेरी का गलत वर्गीकरण**	**मैसर्स एम एंड छह अन्य**	57.09	4.84	4.84	आईसीडी, तुगलकाबाद
14	डीएपी 38 यूकेलिप्टिस तेल का **गलत वर्गीकरण**	**मैसर्स एन एंड एक** अन्य	56.74	--	--	आईसीडी, तुगलकाबाद
15	डीएपी 74 पलमेसटर 3595/ पलमेसटर 3585 का गलत वर्गीकरण	**मैसर्स ओ**	42.68	--	--	चेन्नई (समुन्द्र)
16	डीएपी 94 **स्क्विड लीवर पाउडर का गलत वर्गीकरण**	**मैसर्स पी एंड एक** अन्य	22.83	22.83	7.84	चेन्नई (समुन्द्र)
17	डीएपी 23 मशरूम उगाने के लिए अल्युमीनियम शैल्विंग का गलत वर्गीकरण	**मैसर्स क्यू**	21.02	21.02	--	आईसीडी, तुगलकाबाद
18	डीएपी 88 एथिलीन प्रोपलीन - गैर संयुग्मी डाइन रबर का गलत वर्गीकरण	**मैसर्स आर एंड दो अन्य**	12.11	--	--	आईसीडी, तुगलकाबाद
		कुल	**484.04**	**320.26**	**174.45**	

अनुलग्नक-10

विभाग द्वारा लागू उदग्रहणकी कम/गैरवसूली तथा अन्य प्रभार को स्वीकृत व वसूले गए मामलों के परीक्षण किए गए मामलों का विवरण

(देखें अनुच्छेद 4.9)

क्रम सं.	ड्राफ्ट ऑडिट पैराग्राफ संक्षिप्त विषय	आयातक का नाम	आपत्तिकी गई राशि (रू लाख में)	स्वीकृत राशि (रू लाख में)	वसूल की गई राशि (रू लाख में)	पोर्ट का नाम
1	**डीएपी** 5 आरएसपी पर कमी का गलत लाभ उठाने के कारण अतिरिक्त शुल्क लगाया **जाना**	मैसर्स ए प्राइवेट लिमिटेड और अन्य	13.94	13.94	00-	सीमा शुल्क (बंदरगाह) प.बंगाल
2	**डीएपी** 9 आईजीएसटी छूट के गलत अनुदान के कारण शुल्क **का कम** लगाया **जाना**	मैसर्स बी एंड सी प्राइवेट। लिमिटेड	11.55	11.55	11.55	कस्टम हाउस, कोच्चि
3	**डीएपी** 11 आईजीएसटी दर को गलत अपनाने के कारण बीसीडी और आईजीएसटी **का कम** लगाया **जाना**	मैसर्स डी प्रा. लिमिटेड और आठ अन्य	11.09	11.09	0.88	चेन्नई (समुन्द्र)
4	**डीएपी** 16 आईजीएसटी दर को गलत अपनाने के कारण बीसीडी और आईजीएसटी **का कम** लगाया **जाना**	मैसर्स ई प्रा. लिमिटेड और अन्य	12.59	12.59	7.28	चेन्नई (समुन्द्र)
5	**डीएपी** 34 सीसीटीवी कैमरे पर बुनियादी सीमा शुल्क **का कम** लगाया **जाना**	मेसर्स एफ प्रा. लिमिटेड	131.00	131.00	171.00	जेएनसीएच, नहावाशेवा, मुंबई जोन II
6	**डीएपी** 54 कॉयल रूप में गैर मिश्र धातु और अन्य मिश्र धातु इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद के आयात पर सेफ गार्ड शुल्क **का ना** लगाया **जाना**	मेसर्स जी प्रा. लिमिटेड	10.39	10.39	12.39	सीमा शुल्क हाउस मुंद्रा के उपायुक्त का कार्यालय
7	**डीएपी** 58	मैसर्स एच	1869.00	1869.00	11.09	सीमा शुल्क (निवारक),

क्रम सं.	ड्राफ्ट ऑडिट पैराग्राफ संक्षिप्त विषय	आयातक का नाम	आपत्तिकी गई राशि (रू लाख में)	स्वीकृत राशि (रू लाख में)	वसूल की गई राशि (रू लाख में)	पोर्ट का नाम
	निर्यात आय की प्राप्ति में विफलता के कारण प्रति अदायगी की वसूली न होना					
8	**डीएपी** 59 लंबित बीआरसी के विरुद्ध आयात कर वापसी शुल्क की वसूली के लिए कार्रवाई न करना	मैसर्स I और अन्य	1609.00	1609.00	-	आईसीडी, आगरा
9	**डीएपी** 63 एचएसडी पर सीवीडी की दर के गलत लगाए जाने के कारण शुल्क **का कम** लगाया **जाना**	मैसर्स जे लिमिटेड और सात अन्य	14.05	14.05	11.08	सीमा शुल्क (निवारक), पश्चिम बंगाल
10	**डीएपी** 70 हाई सी सेल मूल्य को गलत रूप से अपनाने के कारण शुल्क **का कम** लगाया **जाना**	मैसर्स के और अन्य	10.05	10.05	9.14	आईसीडी, तुगलकाबाद आईसीडी, पटपरगंज
11	**डीएपी** 73 वीडियो रिकॉर्डिं गया पुर्न प्रसारण पर बुनियादी सीमा शुल्क **का कम** लगाया **जाना**	मेसर्स एल प्रा. लिमिटेड	37.64	37.64	38.01	जेएनसीएच, नहावाशेवा, मुंबई जोन II
12	**डीएपी** 85 टैरिफ दर को गलत रूप से अपनाने के कारण मूल सीमा शुल्क और एकीकृत कर **का कम** लगाया **जाना**	मेसर्स एम प्रा. लिमिटेड और तीन अन्य	36.78	36.78	38.18	चेन्नई (सागर) सीमा शुल्क
		कुल	**3767.08**	**3767.08**	**310.60**	

अनुलग्नक-11

विभाग द्वारा स्वीकृत और वसूल किए गए' शुल्क छूट/परिहार योजनाओं में अनियमितताओं' के परीक्षण की जांच के मामलों का विवरण

(देखें अनुच्छेद 5.4)

क्र म सं.	ड्राफ्ट ऑडिट पैराग्राफ संक्षिप्त विषय	आयातक का नाम	आपत्ति की गई राशि (रू लाख में)	स्वीकृत राशि (रू लाख में)	वसूल की गई राशि (रू लाख में)	पोर्ट का नाम
1	**डीएपी** 1 छूट के गलत अनुदान के कारण शुल्क **कम** लगाया **जाना**	मैसर्स ए इंटरनेशनल	26.42	26.42	35.73	डीसी, कोचीन सेज, काकीनाडा, कोचीन
2	**डीएपी** 2 एनएफई की गलत घोषणा के कारण एसएफआईएस के तहत अधिकता शुल्क ऋण पात्रता प्रदान करना	मैसर्स बी लिमिटेड	137.00	137.00	137.00	कोलकाता (पोर्ट)
3	**डीएपी** 3 **माने गए प्रतिअदायगी शुल्क का अतिरिक्त भुगतान**	मेसर्स सी लि.	13.66	13.66	18.40	जेडीजीएफटी, कोचीन
4	**डीएपी** 4 ईपीसीजी योजना के तहत निर्यात दायित्व की पूर्ति नहीं करना	मैसर्स डी लिमिटेड	11.43	11.43		एडीजीएफटी,कोलकाता
5	**डीएपी** 7 आईईआईएस योजना के तहत अनियमित लाभ दिया जाना	मैसर्स ई लिमिटेड	11.50	11.50		जेडीजीएफटी, जयपुर
6	**डीएपी** 12 डीईएल सूची में शामिल इकाई को लाइसेंस/ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप अनियमित रूप से जारी करना	मेसर्स एफ इंडस्ट्रीज	19.51	19.51		जेडीजीएफटी, जयपुर
7	**डीएपी** 13 **ईओयू द्वारा निर्मित/निर्यात किए गए निर्यात वस्तुओं पर प्रतिअदायगी का गलत अनुदान देना**	मेसर्स जी	25.17	25.17	28.13	उप कमिश्नर, आईसीडी खोडियार
8	**डीएपी** 14	मेसर्स एच	86.49	86.49		जेडीजीएफटी,चेन्नई

क्रम सं.	ड्राफ्ट ऑडिट पैराग्राफ संक्षिप्त विषय	आयातक का नाम	आपत्ति की गई राशि (रू लाख में)	स्वीकृत राशि (रू लाख में)	वसूल की गई राशि (रू लाख में)	पोर्ट का नाम
	निर्यात दायित्व की पूर्ति ना करना					
9	**डीएपी** 15 वीकेजीयुवाई योजना के तहत ऋण स्क्रिपों का अतिरिक्त अनुदान किया गया	मैसर्स आई लिमिटेड और अन्य	50.03	50.03	32.54	डीजीएफटी,अहमदाबाद
10	**डीएपी** 28 एसईआईएस और एसएफआईएस के तहत निर्यातकों को बिना वैध आईईसी के स्क्रिपो का गलत अनुदान	मेसर्स के प्रा. लिमिटेड और दो अन्य	66.84	66.84	8.01	डीजीएफटी,कोचीन
11	**डीएपी** 32 वीकेजीयूवाई योजना के तहत प्रोत्साहन का अतिरिक्त अनुदान किया गया	मेसर्स एल प्रा. लिमिटेड	66.75	66.75	66.75	जेएनसीएच, मुंबई
12	**डीएपी** 33 डीटीए में स्वीकृत न होने वाली वस्तुओं के संबंध में ड्यूटी छूट की राशि का भुगतान नहीं किया गया	मेसर्स एम लि.	40.00	40.00		हैदराबाद IV
13	**डीएपी** 42 अग्रिम प्राधिकरण लाइसेंस के सापेक्ष निर्यात दायित्व की पूर्ति ना करना	मैसर्स एन प्रा. लिमिटेड	69.90	69.90		आईसीडी, बेंगलुरु
14	डीएपी 43 ईपीसीजी लाइसेंस के संबंध में निर्यात दायित्व की पूर्ति ना करना	मैसर्स ओ इंडस्ट्रीज	21.87	21.87		आईसीडी, बेंगलुरु
15	**डीएपी** 44 अग्रिम प्राधिकरण लाइसेंस के सापेक्ष निर्यात दायित्व की पूर्ति ना करना	मैसर्स पी लिमिटेड	132.00	132.00		आईसीडी, बेंगलुरु
16	**डीएपी** 47 शुल्क मुक्त आदानों के आयात के लिए जारी अग्रिम प्राधिकरण लाइसेंस के सापेक्ष निर्यात दायित्व की पूर्ति ना करना	मेसर्स क्यू प्रा. लिमिटेड	37.75	37.75		एडीजीएफटी,बेंगलुरु

क्रम सं.	ड्राफ्ट ऑडिट पैराग्राफ संक्षिप्त विषय	आयातक का नाम	आपत्ति की गई राशि (रू लाख में)	स्वीकृत राशि (रू लाख में)	वसूल की गई राशि (रू लाख में)	पोर्ट का नाम
17	**डीएपी** 48 एसईआईएस में सेवा निर्यात के तहत गलत अनुदान देना	मेसर्स आर लि.	98.13	98.13	98.13	जेडीजीएफटी, चेन्नई
18	**डीएपी** 49 सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा (एनएफई) की प्राप्ति न करने पर शुल्क का ना लगाना	मैसर्स एसपीवीएवी। लिमिटेड	19.19	19.19	19.19	एसीसी, बेंगलुरु
19	**डीएपी** 51 निर्यात दायित्व की पूर्ति ना करना	मैसर्स टी लिमिटेड और एक अन्य	426.00	426.00		जेडीजीएफटी,कोयंबटूर
20	**डीएपी** 52 सीइएनवीएटी क्रेडिट का उपयोग करके डीटीए में आयातित अप्रयुक्त माल की निकासी पर सीमा शुल्क का भुगतान	मैसर्स यू लिमिटेड	113.00	113.00	113.00	वडोदरा II (नया)
21	**डीएपी** 55 आय से विदेशी मुद्रा व्यय की कटौती न होने के कारण एसएफआईएस ऋण का अतिरिक्त अनुदान देना	मेसर्स वी प्रा. लिमिटेड	21.80	21.80	33.06	जेडीजीएफटी, चेन्नई
22	**डीएपी** 57 डीटीए में निकासी पर शुल्क का कम लगाया जाना	मैसर्स डब्ल्यू लिमिटेड	23.48	23.48		सहायक आयुक्त एआरवी, डिवीजन इलेवन, पनोली
23	**डीएपी** 62 आयात पर विदेशी मुद्रा व्यय की गलत गणना के कारण एसएफआईएस के अंतर्गत शुल्क ऋण का गलत अनुदान करना	मैसर्सएक्स लिमिटेड	35.48	35.48		एडीजीएफटी, कोलकाता
24	**डीएपी** 65	मैसर्स वाई	26.39	26.39		एडीजीएफटी, हैदराबाद

क्र म सं.	ड्राफ्ट ऑडिट पैराग्राफ संक्षिप्त विषय	आयातक का नाम	आपत्ति की गई राशि (रू लाख में)	स्वीकृत राशि (रू लाख में)	वसूल की गई राशि (रू लाख में)	पोर्ट का नाम
	वीकेजीयूवाई के तहत शुल्क मुक्त ऋण पात्रता का अतिरिक्त भुगतान करना					
25	**डीएपी** 71 टर्मिनल उत्पाद शुल्क की अनियमित वापसी करना	मैसर्स जेड लिमिटेड	16.84	16.84		जेडीजीएफटी, कटक
26	**डीएपी** 72 **ईपीसीजी लाइसेंस के संबंध में निर्यात दायित्व की पूर्ति ना करना**	मैसर्स एए प्रा. लिमिटेड और अन्य	108.00	108.00	262.00	आरएलए, बेंगलुरु
27	**डीएपी** 76 आईईआईएस के तहत इनाम का गलत अनुदान करना	मेसर्स बीबी इंटरनेशनल	24.90	24.90	30.44	जेडीजीएफटी, कोयंबटूर
28	**डीएपी** 78 स्टेसस होल्डर इन्सेनटिव योजना के अंतर्गत सीमा शुल्क में छूट का अतिरिक्त अनुदान देना	मैसर्स सीसी लिमिटेड	22.56	22.56		सहायक आयुक्त, आईसीडी, खोडियार
29	**डीएपी** 81 ईपीसीजी योजना के तहत निर्यात दायित्व को पूरा नही किया गया और नियमितीकरण की कार्रवाई करने के लिए विभाग की विफलता	मैसर्स डीडी लिमिटेड और एक अन्य	**25.93**	**25.93**		डीडीजीएफटी, देहरादून
30	**डीएपी** 84 निर्यात दायित्व की पूर्ति नहीं करना	मेसर्स ईई प्रा. लिमिटेड और एक दूसरे	51.27	70.60	1.80	डीडीजीएफटी, पांडिचेरी
31	**डीएपी** 87 डीटीए में उत्पाद की अधिक निकासी के कारण शुल्क कम लगाना	मेसर्स एफएफ प्रा. लिमिटेड	36.83	36.83		पुणे III, IV (भीमा कोरेगांव डीवी) और रेंज IV (सनसवाडी)
32	**डीएपी** 90 डीटीए में अस्वीकृत वस्तुओं (आयातित) पर सीमा शुल्क का भुगतान नहीं करना	मेसर्स जीजी प्रा. लिमिटेड	19.24	19.24	31.78	सहायक आयुक्त सीजीएसटी और सीई, डीवी सातवीं, नबसारी, सूरत
		कुल	**1885.36**	**1904.19**	**915.96**	